खण्ड 1, अंक 2
मंगलवार, 26 पौष, शक संवत् 1922
(16 जनवरी, 2001 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(अन्तिम विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

उत्तरांचल विधान सभा

(खण्ड 1 में 3 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :–
उप निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की उत्तरांचल (भारत)
2001

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 का अंगीकरण	1
प्रश्नोत्तर	1-24
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	24
नैनीताल जनपद में झील विकास प्राधिकरण महायोजना को समाप्त करने के सम्बन्ध में	24-25
श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम से अनाधिकृत कब्जा हटाने की मांग के सम्बन्ध में	25
सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी विभागों के सम्बद्ध चालकों की समस्याओं का निराकरण	25-26
हरिद्वार और उधमसिंह नगर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में व्यवस्था	26
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा विनियमन) (संशोधन) नियमावली 2000 को (सदन के पटल पर रखा गया)	26-27
उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अध्यादेश, 2000 (सदन के पटल पर रखा गया)	27
उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 का अनुकूलन एवं उपान्तर अध्यादेश, 2000 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	27
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2000 (सदन के पटल पर रखा गया)	27
कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश	27
विधान सभा के माननीय सदस्यों के प्रति शिष्टाचार प्रदर्शन सम्बन्धी शासनादेश पारित	27-28
भोजनावकाश हेतु सदन का स्थगन	28
उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्यों को उत्तरांचल विधान सभा का सदस्य माने जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	28-33
सत्र के दौरान शासन द्वारा किसी नीतिगत विषय की सदन के बाहर घोषणा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	33-34

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक 2001 (पुरःस्थापित)	34
उत्तरांचल आकस्मिकता निधि विधेयक 2001 (पुरःस्थापित) ...	35
कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक 2001 (पुरःस्थापित)	35
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	35–42
महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा	42–61
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिशें ... (सर्वसम्मति से स्वीकृत)	61
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	61–62
नत्थी "क"	63–70

उत्तरांचल विधान सभा

उपस्थिति

मंगलवार, दिनांक 16 जनवरी, 2001

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :–

1. श्री अजय भट्ट
2. श्री अम्बरीष कुमार
3. श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश
4. श्री ईसम सिंह
5. श्री केदार सिंह फोनिया
6. श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा
7. श्री काजी मो० मोहिउद्दीन
8. श्री तिलक राज बेहड़
9. श्री तीरथ सिंह रावत
10. श्री नारायण सिंह राणा
11. श्री नारायण राम दास
12. श्री नित्यानन्द स्वामी
13. श्रीमती निरूपमा गौड़
14. श्री बिशन सिंह चुफाल
15. श्री भगत सिंह कोश्यारी
16. श्री भारत सिंह रावत
17. श्री मातबर सिंह कण्डारी
18. श्री मुन्ना सिंह चौहान
19. श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"
20. श्री रघुनाथ सिंह चौहान
21. श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"
22. श्री राजेन्द्र सिंह
23. श्री राम सिंह सैनी
24. श्री लाखी राम जोशी
25. श्री बंशीधर भगत
26. श्री सुरेश चन्द्र आर्य
27. श्री हरवंश कपूर
28. श्री ज्ञान चन्द

मंगलवार, दिनांक 16 जनवरी, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री प्रकाश पन्त की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 का अंगीकरण

मा0 संसदीय कार्य, सिंचाई एवं ऊर्जा मंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 208(1) के अन्तर्गत उत्तरांचल विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली बनाकर उसको अंगीकृत किये जाने तक की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के आनुषंगिक संशोधनों के साथ अंगीकृत करता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, को पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर में धान क्रय केन्द्रों की कमी

**1–श्री मुन्ना सिंह चौहान–

क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर जनपदों में धान क्रय केन्द्रों की कमी के कारण किसानों को धान का उचित मूल्य न मिल पाने की शिकायतें रहीं हैं? यदि हाँ, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं तो क्यों? इस वर्ष इन जनपदों में सरकारी क्रय केन्द्रों पर कुल कितना धान खरीदा गया और गत वर्ष कुल कितना धान खरीदा गया था?

परिवहन, खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री सुरेश चन्द आर्य)–

इस वर्ष किसानों का धान क्रय करने के लिये हरिद्वार जनपद में पांच तथा ऊधमसिंह नगर जनपद में 34 धान क्रय केन्द्र खोले गये हैं, जिन पर आने वाले धान की सम्पूर्ण मात्रा का क्रय किया जा रहा है। किसानों को धान का उचित मूल्य न मिल पाने का कोई प्रकरण प्राप्त नही हुआ है। इस वर्ष हरिद्वार जनपद में किसानों द्वारा क्रय केन्द्रों पर लाये गये 119.5 मी0टन एवं ऊधमसिंह नगर जनपद में क्रय केन्द्रों पर लाये गये 39,226.0 मी0 टन धान का अभी तक क्रय किया जा चुका है। गत वर्ष इन जनपदों में धान का क्रय शून्य रहा था।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था कि क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर जनपदों में धान क्रय केन्द्रों की कमी के कारणों, किसान धान का उचित मूल्य न मिल पाने की कोई शिकायतें रही है? उत्तर आया कि इस वर्ष किसानों का धान क्रय करने के लिए हरिद्वार जनपद में 5 तथा ऊधमसिंह नगर जनपद में 34 धान क्रय केन्द्र खोले गये जिन पर आने वाले धान की सम्पूर्ण मात्रा का क्रय किया जा रहा है। श्रीमान हमने तो प्वाइन्टेड बहुत स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था कि क्या किसानों को उनके धान के बेचने में, अपने धान में, जो समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा उनको 510 रुपये का घोषित है उस मूल्य को प्राप्त करने में क्या कोई कठिनाई हुई? माननीय मंत्री जी का उत्तर आया कि हरिद्वार जनपद में 5 और ऊधमसिंह नगर जनपद में 34 धान क्रय केन्द्र खोले गये हैं। यह इसका उत्तर नहीं है। श्रीमन् ये आपके संज्ञान में है, इस सदन के संज्ञान में है, और माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है, सरकार की जानकारी में है, ऊधमसिंह नगर में धान के क्रय को लेकर आंदोलन चलते रहे, सड़कें, रेल यातायात रोके गये तो जाहिरी तौर पर धान के क्रय को लेकर वहां धान को खरीदने में कठिनाई रही और आज भी स्थिति यह है कि किसानों को उनका धान उन मण्डियों पर निजी व्यापारियों के यहां खड़े होकर के प्रतीक्षा करनी पड़ रही है और सरकारी धान क्रय केन्द्रों पर उसकी माकूल व्यवस्था हो जहां तक माननीय मंत्री जी के प्रश्न के दूसरे भाग का सवाल है कि, गत वर्ष इन केन्द्रों पर धान का क्रय केन्द्र शून्य रहा उसका श्रीमन् माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में धान का रिकार्ड उत्पादन हुआ। गत वर्ष किसान को उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी कि जो सरकारी क्रय केन्द्रों पर धान को लेने, क्योंकि गत वर्ष बाजार में जो धान का मूल्य था वह नेशनल एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य से बहुत अधिक बाजार में था, लिहाजा किसान ने अपने धान को बाजार में बेचा, खुले बाजार में, इस वर्ष जब खुले बाजार में उनका भाव मात्र तीन सौ, साढ़े तीन सौ रु0 प्रति कुन्तल था तो 510 रु0 प्रति कुन्तल का समर्थन मूल्य उनको नहीं मिला। यह श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

सिंचाई, ऊर्जा एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य को पता है कि हमारी सरकार प्रारम्भ में जिन परिस्थितियों में प्रारम्भ हुई है उसके बावजूद हम लोगों ने किसानों को सहायता मिले और किसानों का धान खरीदा जाय और चावल वालों को भी कठिनाई न हो इस दृष्टि से 52 करोड़ रु0 की व्यवस्था की और सारे ऊधमसिंह नगर में की, अगर आप चाहते तो अलग से उसका ब्रेकअप दे सकते हैं। ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार में धान केन्द्र खुले हुए हैं अभी तक किसान जो धान बेचना चाहता है, उस धान को खरीदने में हमारे को कोई कठिनाई नहीं है जो समर्थन मूल्य दिया गया उसमें जो भी धान हमको मिलेगा उसको हम खरीदेंगे।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि धान की किसानों के यहाँ पैदावार को, कब बाजार में लाना उन्होंने शुरू किया और इन्होंने कब सेंटर वहाँ स्थापित किये क्योंकि हमारी व्यक्तिगत जानकारी है कि माननीय अध्यक्ष जी कि हरिद्वार जनपद में जब किसानों का धान औने–पौने दामों में लुट गया तब

बहुत बाद में वहां सेंटर खोले गये और पैसों का इन्तजाम तब भी नहीं हुआ। 119 मीट्रिक टन तो एक गांव में पैदा होता है, वहां पर मेरे क्षेत्र में तो भारी मात्रा में धान पैदा होता है तो कब ये सेंटर खोले गये माननीय मंत्री जी बता दें, और धान की पैदावार कब बाजार में आनी शुरू हुई ये भी बता दें?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, हमारे पास एक निश्चित तिथि के कागज तो नहीं होंगे, आप चाहेंगे तो हमारे चैम्बर में आकर के ले लीजिएगा कि किस दिन से धान की शुरूआत हुई है लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमने यथा समय ज्यों ही यह समस्या किसानों की आयी हमारी सरकार ने इसके लिए कोशिश की और आप सब माननीय सदस्यों को भी पता है कि हमने आप सब लोगों को भी सुना और तुरन्त उसकी अधिकतम व्यवस्था हो सकती है, तो वो व्यवस्था हम लोगों ने की है और अभी जो समस्या अगर आपको लगता है कि धान नहीं खरीदा जा रहा है तो धान केन्द्र खुले हैं, धान आप भिजवा दीजिये।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सरकार का दायित्व है कि किसान खुशहाल हो, आपने बताया कि हरिद्वार जनपद में 5 केन्द्र खोले गये, ऊधमसिंह नगर में 34, ऊधमसिंह नगर में जहां 34 खोले वहां भी साल भर तक यदि क्रय किया जाय धान का, तो भी लोगों का धान नहीं बिक पाएगा वहां के किसानों का डेलीगेशन मिला जिसने जानकारी दी। तो मान्यवर, हरिद्वार में केवल 5 खोले गये, तो कैसे लोगों का धान बिक सकता है इसके अलावा जब आपने कहा कि पहले भी समस्या नहीं आई पहले पूरा समर्थन मूल्य मिलता था। उत्तर प्रदेश के साथ जब ऊधमसिंह नगर में यह जुड़ा था तो पूरा समर्थन मूल्य मिल रहा था अब समर्थन मूल्य 510 के स्थान पर तीन सौ–साढ़े तीन सौ मिल रहा है तो यह स्थिति प्रदेश के लिए भी चिन्ताजनक है और किसान काफी पीड़ित हैं। इसके समाधान के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को गम्भीरता से विचार करके उत्तर देना चाहिए था प्रश्न और उत्तर की दृष्टि से नहीं। गम्भीरता से इसके बारे में बताएं कि समर्थन मूल्य नहीं मिला यह हमारी सफलता है, सरकार की तो, बताएं कि क्या असफलता है सरकार की?

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

यह एक विडम्बना है कि हमारे माननीय सदस्यगण जो अब तक उत्तर प्रदेश के अन्दर कार्य कर रहे थे उनको मालूम है कि जो बगल के जिले हैं जैसे–रामपुर, शाहजहांपुर, बरेली वहां पर जितना धान क्रय हुआ उससे 15 गुना धान ऊधमसिंह नगर के अन्दर क्रय हुआ और समर्थन मूल्य जो धान की सामान्य श्रेणी है, उससे 510 रु0 प्रति कुन्तल और ग्रेड 'ए' है उसके 540 रु0 प्रति कुन्तल दिया गया इससे अधिक तो कहीं पर भी नहीं दिया गया। यह संभवतः जानकारी के अभाव के प्रश्न हुआ है।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी! मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, यह जानना चाहता हूँ कि ऊधमसिंह नगर जनपद और हरिद्वार जनपद कौरस्पोन्डिंग कितना धान पैदा हुआ और 5 वहां केन्द्र क्यों खोले गये, वहां 34 क्यों खोले गये? कौरस्पोन्डिंग कितना है? उससे पता लग जायेगा कि वहां केन्द्र कम थे या ज्यादा थे और दूसरा सवाल यह है कि मान्यवर,

लेवी का चावल जनपद हरिद्वार में कितना खरीदा गया था पिछले वर्ष कितना खरीदा गया और इस वर्ष कितना खरीदा गया?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, लेवी के बारे में तो प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है कि क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर जनपदों के धान क्रय केन्द्रों की कमी के कारण किसानों को धान का उचित मूल्य नहीं मिल पाने की शिकायत रही है यदि हां तो सरकार ने क्या कार्यवाही की और यदि नहीं तो क्यों? इस वर्ष इन जनपदों के सरकारी क्रय केन्द्रों में कुल कितना धान खरीदा गया और गत वर्ष कुल कितना खरीदा गया, जो आपने प्रश्न पूछा मान्यवर, उसका उत्तर मिल गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय विधायक जी जो जानकारी चाह रहे हैं तो मैं माननीय मंत्री जी को निर्देशित करता हूँ कि आप अपने कक्ष में यह पूरी जानकारी उपस्थित कर दें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कह दीजिए या मैं उसको गलत जानकारी तो नहीं कहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संभवतः सही जानकारी के अभाव में यह प्रश्न पूछा गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री से ही यह जानना चाहता हूँ क्या भारत सरकार द्वारा 510 रु0 के साधारण श्रेणी के चावल का समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया गया, यदि यह मेरी जानकारी गलत है तो मैं अपनी जानकारी संशोधित कर लूंगा, अपनी भूल को स्वीकार कर लेंगे, दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्थन मूल्य से क्या आशय है? दूसरा श्रीमन्! मैं जानना चाहता हूं वह प्रश्न अपने आप में बोलता है। सेल्फ एक्सप्लेनेट्री है, मैंने प्रश्न में पूछा कि क्या धान क्रय को लेकर के काश्तकारों को कोई कठिनाई उत्पन्न हुई? उसके समर्थन में बिना आरोप–प्रत्यारोप के मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह किया कि ये सम्पूर्ण सदन की जानकारी में परिस्थितियां, कहां है यह नहीं नया राज्य बना है यह परिस्थिति हो सकती है माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में, लेकिन यह अपने आप में हकीकत है कि क्रय केन्द्रों पर माकूल व्यवस्था न होने की वजह से आन्दोलन चलते रहे आज तारीख तक किसान आन्दोलित हैं। सरकार ने यथासंभव प्रयत्न भी किये होंगे लेकिन आज तारीख तक क्रय केन्द्रों पर पर्याप्त क्रय न हो पाने की समस्या अभी यथावत् बनी हुई है इसलिए मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि इस प्रश्न का तब तक उत्तर नहीं आ सकता जब तक सरकार ये नहीं बताये कि इन दोनों जनपदों में धान के कुल कितने उत्पादन की सूचना सरकार के पास है और धान का कितना क्रय सरकारी केन्द्रों पर किया गया है जबकि मैं निश्चित जानकारी के आधार पर श्रीमान् कह सकता हूँ कि खुले बाजार में काश्तकार को तीन सौ से साढ़े तीन सौ प्रति कुन्तल की दर पर धान बेचना पड़ा जबकि किसी समस्या से किसान को नुकसान न उठाना पड़े इसलिए भारत सरकार ने 510 का समर्थन मूल्य रखा, तो मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री यह बताएंगे, कुल कितना धान उत्पादन की जानकारी सरकार के पास है, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर दोनों जनपदों में अलग–अलग कितना उत्पादन हुआ। माननीय अध्यक्ष जी ने पूछा कि दोनों जनपदों का कौरस्पोन्डिग उत्पादन **कितना** है? और दोनों जनपदों में उत्पादन के लिहाज से 5 और 34 क्रय केन्द्र खोले जाने का क्या राजनैतिक दबाव इसका कारण या सरकार की कोई नीति है कि हरिद्वार में 5 केन्द्र और वहां 34 केन्द्र खोले जायेंगे, उसका कारण भी स्पष्ट करें श्रीमन्?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, अभी तक 59951 मीट्रिक टन कुल धान खरीदा जा चुका है और आपने जो कहा कि कुल कितना धान उत्पादन हुआ है? आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य है सब चीजों को जानते हैं सीधे जनता से जुड़े है, धान से भी जुड़े है ये इकट्ठा करने में कौन सी रबी की फसल और खरीफ की फसल? जब हो जाती है उसका कुल कितना उत्पादन हुआ यह सारे आंकड़े इकट्ठा करने में थोड़ा समय लगता है मैं सोचता हूँ कि आपकी जानकारी के लिए आगे हम जानकारी इकट्ठा करके आपको जानकारी दे देंगे कि कुल कितना धान इकट्ठा हुआ, पैदा हुआ।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्! यह तो कोई उत्तर नहीं हुआ है हम आपसे एक–एक कुन्तल का हिसाब नहीं पूछ रहे है हम आपसे अनुमानित और एक अंदाज पूछ रहे हैं कि आप सदन को यह अवगत करायेंगे कि ऊधमसिंह नगर का सम्पूर्ण धान का क्रय कर लिया गया है। श्रीमन् क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री यह अवगत करायेंगे?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मैंने पहले निवेदन किया था माननीय सदस्य से कि जो आपने प्रश्न पूछा उसकी परिधि के अन्दर जो भी आपके अनुपूरक हो सकते थे, उनका उत्तर दिया जा चुका है। यदि आप चाहते हैं पूरी सूचना, तो आप दुबारा प्रश्न पूछ लीजिए, लिखकर दे दीजिए लेकिन इसकी परिधि में नहीं आता।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, इसमें तो आपका संरक्षण चाहिए अनुपूरक प्रश्न है ही इसलिए कि तारांकित प्रश्न के सहारे।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यह पूछते कि कौन धान वहां पर पैदा हुआ तो हम वह भी बताते सरकार कोई चीज छुपाने के पक्ष में नहीं है हमारी बिल्कुल पारदर्शी सरकार है और जहां पर क्रय केन्द्र जितने चाहिए थे, खोले गये। मान लीजिए हरिद्वार के अन्दर आप कहते है कम है तो बढ़ा दिये जा सकते है।

श्री राम सिंह सैनी–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यहां हमारे विधान सभा के कुछ सदस्यों का एक दल वहां भेजा जाएगा, कितनों की वो शिकायतें सुनेंगे मेरे यहां हरिद्वार में केवल 119 मीट्रिक टन धान खरीदा गया जबकि वहां पैदा बहुत ज्यादा होता है। मैंने मुख्यमंत्री जी से स्वयं शिकायत की थी कि वहां के लोगों में बहुत बेचैनी है, असंतोष व्याप्त है, वे आन्दोलित है उनका धान जो है औने–पौने दामों में बिक रहा है और वे बेचने पर मजबूर हो रहे हैं, मान्यवर, ये तो आप जो हैं, हम संरक्षण चाहते हैं, आपसे अध्यक्ष जी कि इसकी जांच होनी चाहिए ताकि किसानों को न्याय मिल सके।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिज्ञासा प्रकट की है कि वो वहां जाना चाहते हैं, आपको कोई रोक नही रहा हैं। माननीय सदस्य वहां जा सकते हैं, पूरी जानकारी कर सकते हैं। वहां के किसान बिल्कुल संतुष्ट है और वो जयकारे लगा रहे हैं। इस सरकार का आज ये बात आप कह करके भ्रम पैदा नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता रहा हूं।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा ह्दयेश–

मान्यवर, केवल एक प्रश्न इसी से सम्बन्धित पहले कर लूं। हमारी सूचना को सत्य मानते हुए क्या माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से आप इस पर चर्चा करने का अवसर देंगे कि यहां चर्चा हो सके। आपको यह आंकड़े लेकर दें अभी कौन किसानों का धान बेचा हुआ है और सर्पोटिंग प्राइज नहीं मिल रहा है और किसानों का कितना धान बचा हुआ है? साल–साल भर में धान जायेगा इन क्रय केन्द्रों के माध्यम से इस सूचना को सत्य मानते हुए कृपया संरक्षण दें और चर्चा कराने की अनुमति दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, जितने प्रश्न यहां उपस्थित किये गये हैं अनुपूरक के रूप में हम सब के लिए एक वक्तव्य हम दे दें और वक्तव्य के अन्दर ये सब प्रश्नों के उत्तर हम दे देंगे और यदि फिर भी कोई आवश्यकता होगी तो आप हमसे प्रश्न पूछियेगा, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है।

उत्तरांचल राज्य को विशेष राज्य का दर्जा

**2–डा0 इन्दिरा ह्दयेश–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है? तथा इसकी घोषणा कब तक कर दिये जाने की सम्भावना है?

वित्त, संस्थागत वित्त नियोजन एवं राजस्व मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

प्रकरण पर भारत सरकार के स्तर से निर्णय लिया जाना है।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा ह्दयेश–

मान्यवर, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मान्यवर, चूंकि विशेष राज्य का दर्जा यह सही है मेरी जानकारी है, कि केन्द्र सरकार की योजना आयोग और उनकी सरकार ही इसे निर्धारित करेगी। पर चूंकि दो माह हो गये हैं और हम सब आर्थिक तंगी से परेशान हैं, हम सब है, उसमें सरकार ही नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में ये विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के संबंध में क्या प्रगति हुई है सरकार ये जानकारी तो सदन को देगी कि, अब तक क्या प्रगति है? क्या संभावना मान रहे हैं कि कब विशेष राज्य का दर्जा मिल जायेगा?

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन् 19 अक्टूबर, 2000 को उत्तर प्रदेश में रहते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री राम प्रकाश गुप्ता जी के द्वारा भारत के प्रधान मंत्री जी को इस आशय का पहले अनुरोध

किया जा चुका है उसके बाद श्रीमन् माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 13 नवम्बर, 2000 को प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को और योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी को अलग-अलग पत्र लिख करके यह अनुरोध किया गया है, सभी परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए, कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। श्रीमन्, उसके बाद 16 दिसम्बर, 2000 को और 17 दिसम्बर, 2000 को योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी से भी माननीय मुख्यमंत्री और उसके साथ मैं भी श्रीमन् उपस्थित था, जब अलग-अलग करके मीटिंग करके और पुनः इस अनुरोध के साथ हम भारत सरकार में श्रीमन् गये आगे फिर श्रीमन् 20 दिसम्बर, 2000 को फिर वित्त मंत्री जी और योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी को पत्र लिख करके उनको स्मरण श्रीमन्, कराया गया और पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री जी को 29 और 30 तारीख को 30 को मेरी फिर से माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे अनुरोध किया था। श्रीमन् उसके बाद 25 दिसम्बर, 2000 को पुनः मेरे द्वारा भी पत्र लिखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी लिखा गया है श्रीमन् फिर लगातार उसके बाद वित्त सचिव के माध्यम से उन सूचनाओं की लिखित सूचना तो अभी कुछ नहीं मांगी थी केन्द्र सरकार ने लेकिन जो-जो भी वो अपेक्षा हमसे कर रहे हैं श्रीमन् लगातार भारत सरकार में हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं, वित्त मंत्री जी से कर रहे हैं। चार चरणों में आयोग के उपाध्यक्ष जी के साथ लगातार बैठक हो गयी है।

श्री अध्यक्ष-

[माननीय विधायक जी] चूंकि यह प्रकरण भारत सरकार से सम्बन्धित है इसलिए यहां से कोई घोषणा सरकार की तरफ से संभव नहीं है।

डा० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भारत सरकार से सम्बन्धित है क्योंकि बात-चीत चल रही है और हम लोगों की उत्सुकता है कि विशेष राज्य के दर्जे के बारे में क्या प्रगति हुई? कब तक हम संभावना मान रहे हैं ताकि राहत का अनुभव कर सकें। इसी दृष्टि से सम्बन्धित यह प्रश्न मैंने यहां पर रखा।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"-

श्रीमन्, जब माननीय मुख्यमंत्री जी की दो बार चर्चा हुई थी तो अभी तक वार्ता के क्रम में सकारात्मक रुख रहा है और हम आशान्वित हैं कि बहुत जल्द इस दिशा में कोई कार्य होगा।

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

श्रीमन् माननीय हृदयेश जी का जो प्रश्न है कि क्या मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है तथा इसकी घोषणा कब तक कर दिये जाने की संभावना है। माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया और सिलसिलेवार विवरण बताया जो भारत सरकार से समय-समय पर वार्ता हुई उत्तरांचल सरकार की और उत्तर यह दिया गया कि प्रकरण भारत सरकार के स्तर पर निर्णित होना है कि श्रीमन् बेशक यह प्रश्न थोड़ा सा सम्बन्धित है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह सकते हैं एक हटावा है लेकिन और इस विधान सभा के हम सभी सम्मानित सदस्यों का एक अहम् मसला है। सभी के लिए और इस प्रदेश की जो एक शुरुआत होनी है उसके

लिए है। लिहाजा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से यह हक भी रखते हैं और ये होना भी चाहिए कि प्रदेश के हित में यदि कहीं पर कोई एक मत कायम करने की जरूरत है जिसमें हम प्रतिपक्ष में बैठने वालों का भी सहयोग अपेक्षित है तो निश्चित रूप से इस बात का वायदा किया जा सकता है कि सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्पूर्ण सहयोग मिले तो मैं आपके माध्यम से श्रीमन् माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अभी तक विशेष राज्य का दर्जा मिलने में गतिरोध के मुख्य कारण क्या हैं?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, गतिरोध सा गतिरोध नहीं है केवल प्रक्रिया संबंधी विलम्ब हो रहा है योजना आयोग जितनी सूचना उनको इकट्ठा करनी चाहिए वो पर्वतीय राज्यों के कहां पर कौन गरीब है, कौन गरीबी रेखा के नीचे कहां है और कौन सी यहां पर योजनाएं बन सकती है और क्या–क्या काम हो सकते हैं वो सब सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं और फिर इसको वो एन०डी०ए० के अन्दर जो नेशनल डेमोक्रेटिक एलाइन्स हैं, उसकी मीटिंग में रखेंगे। उसके लिए प्रस्ताव भी बन गया है और उसके अन्दर रखेंगे और वो हमें पूरी आशा है जहां बार–बार माननीय मंत्री ने पद्दा स्पष्ट रूप से बता दिया है कि बार–बार हम मिल रहे हैं और हमको प्रत्येक बार सकारात्मक उत्तर मिला है, कभी नकारात्मक उत्तर नहीं मिल रहा है केवल प्रक्रिया सम्बन्धी जो बात है उसमें विलम्ब हो रहा है और मैं बहुत अधिक प्रशंसा करता हूं मैं आपकी आपने सरकार के साथ सहयोग के लिए पूरा आश्वासन दिया है क्योंकि जब यह विशेष दर्जा मिलेगा तो पूरे राज्य का विकास होगा इसलिए मैं धन्यवाद के साथ आपको यह सूचना दे रहा हूं।

तारांकित प्रश्न

नलकूपों को विद्युत आपूर्ति

*1–श्री मुन्ना सिंह चौहान–

क्या सिंचाई एवं ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूपों को विद्युत आपूर्ति कितने घण्टा प्रतिदिन दी जा रही है?

क्या यह सत्य है कि विद्युत की आपूर्ति नियमित रूप से नहीं हो पा रही है?

यदि हाँ, तो क्या विद्युत की नियमित आपूर्ति की जायेगी?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

नलकूपों को विद्युत आपूर्ति का शैड्यूल गढ़वाल क्षेत्र में 20 घण्टे तथा हरिद्वार जनपद में 12 घण्टे है, परन्तु विद्युत बाधाओं के कारण गढ़वाल क्षेत्र में 18 घण्टे, हरिद्वार जनपद में 8 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की जा रही है। कुमायूँ क्षेत्र में 16 से 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति प्रतिदिन की जा रही है।

कतिपय तकनीकी खामियों के कारण तथा अनुरक्षण कार्यों को ध्यान में रखते हुये विद्युत कटौती की आवश्यकता हो जाती है।

समय–समय पर ऊर्जा प्रणाली द्वारा आपातकालीन विद्युत कटौती की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी मैंने प्रश्न पूछा क्या सिंचाई एवं ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूपों को विद्युत आपूर्ति कितने घण्टे प्रतिदिन दी जा रही है? माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि नलकूपों को विद्युत आपूर्ति का शेड्यूल गढ़वाल क्षेत्र में 20 घण्टे तथा हरिद्वार में 12 घण्टे है परन्तु विद्युत बाधाओं के कारण गढ़वाल क्षेत्र में 18 घण्टे और हरिद्वार जनपद में 8 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की जा रही है कुमायूँ क्षेत्र में 16 से 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति कायम है। श्रीमन् मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि आपने एक गोल–मोल बात कह करके विद्युत बाधाओं के कारण, यह अपने आप में एक ऐसा इन्साफ है कि जिसका कोई महत्व नहीं, या तो माननीय मुख्य मंत्री जी कहें कि उत्तरांचल प्रदेश को जो आपूर्ति हो रही है वह कम हो रही या माननीय मंत्री जी कहें कि चूँकि विद्युत परिषद् एनर्जी कार्पोरेशन, ऊर्जा निगम, ट्रांसमिशन निगम सब कुछ आज जैसी कि हम पूरे प्रदेश वासियों, इस सदन के माननीय सदस्यों की चिन्ता है कि सारा नियंत्रण उत्तर प्रदेश के हाथ में है तो यह फिर माननीय ऊर्जा मंत्री जी साफ–सुथरा कहें चूँकि ऊर्जा की आपूर्ति का सम्पूर्ण इन्तजाम उत्तर प्रदेश के हाथ में है इसलिए ये इसमें कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है कि यह उत्तर प्रदेश की मर्जी पर है कि कितने घण्टे विद्युत मिले कतिपय बाधाओं के कारण से ही नहीं। हम जानना चाहेंगे निश्चित रूप से यह सदन जानना चाहेगा कि यदि केवल मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल ब्रेक डाउन है तो वो तो ऐसी बाधा नहीं है जिससे कि कह दिया जाय कि यह परम्परा है। कहीं पर बाधा उत्पन्न हुई है उसको दुरुस्त कर दिया जाय और यदि लोडशैडिंग की वजह से, यदि पावर कट की वजह से यह स्थिति है तो निश्चित रूप से इसमें माननीय ऊर्जा मंत्री को स्पष्ट रूप से सदन को सम्पूर्ण जानकारी से अवगत कराना चाहिए, इस सदन का पूरा अधिकार है कि जान सकें कि इस प्रदेश के जन–जीवन से सम्बन्धित ऊर्जा एक अहम पहलू है उसकी बाधाओं के बारे में जानकारी जानने का हमारा अधिकार है। श्रीमन् आपका संरक्षण चाहते हुए मैं ऊर्जा मंत्री से अनुरोध करूँगा कि वो बाधाएं क्या हैं?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि अभी उत्तर प्रदेश का ये जो पावर कार्पोरेशन है आप माननीय सदस्य जानते हैं पूरा सदन जानता है कि अभी भी हमारा पावर कार्पोरेशन अलग नहीं बना है। मान्यवर, दूसरी बात विधेयक में जब हमने उसको पारित किया है उत्तर प्रदेश विधान सभा और विधान परिषद् में, विधान मण्डल के अन्दर, उसमें भी यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब तब अगली व्यवस्था नहीं होती तब तक यह व्यवस्था चालू रहेगी और आज हम उस व्यवस्था को अलग करने की तैयारी में लगे हैं। और उस बीच यह संक्रमण काल है यह संक्रमण काल में स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के माध्यम से जितना हम सोचते हैं कि उत्तरांचल की सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले लें वह व्यवस्था अपने हाथ में नहीं है और दूसरा निवेदन मेरा आपसे यह है कि इस बीच उत्तर प्रदेश में ही नहीं तो पूरे देश के अन्दर आपको पता है कि कुछ ब्रेक डाउन के कारण से परेशानी

हो गयी अभी बहुत सी जगहों पर गढ़वाल और कुमायूँ में इतना अन्तर है कि गढ़वाल की साइड में और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यवस्था ठीक हो गयी है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भी व्यवस्था ब्रेक डाउन के कारण ठीक नहीं हो पायी है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन् मैंने बहुत सीधा प्रश्न पूछा था मैं कदाचित सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ मेरा सीधा सा प्रश्न था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वयं कहा, कि विद्युत बाधाओं के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। मैंने आपके संरक्षण से श्रीमन् यह जानना चाहा कि कौन सी बाधाएं हैं? सदन को यह अधिकार है जानने का कि कौन सी बाधाएं हैं जिसकी वजह से यह स्थिति बनी हुई है। दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि उत्तर प्रदेश के नियंत्रण में विद्युत व्यवस्था चल रही है तो लिहाजा श्रीमन् मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ इन बाधाओं को दूर करने के लिए जिसमें द्विपक्षीय वार्ता या द्विपक्षीय कार्यवाही की जरूरत थी, वो या कार्यवाही इस स्थिति को सुधारने के लिए आपने उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया ये दोनों प्रश्नों के उत्तर श्रीमन् जानना चाहते हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

जहां तक विद्युत बाधाओं का जो प्रश्न है वो सामान्य रूप से सदस्य भी समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था होने के कारण थर्मलपावर और यहाँ का हमारा जो हाइड्रोपावर जनरेशन है उसकी आपूर्ति में इस समय जितनी अधिक आवश्यकता जाड़ों में बढ़ जाती है उसके कारण सारी ट्रिपिंग होती है, के लिए यह करना पड़ता है यह तो एक सामान्य सी बाधाएं हैं जो हर बार फेस करनी पड़ती है यह, मेरा आपको पहला उत्तर है दूसरे प्रश्न का जो अहम प्रश्न है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा उत्तरांचल की विद्युत की पूरी आपूर्ति का और सब कुछ हम अपना पृथक कर लें इसी दृष्टि से मेरा प्रयास शासन स्तर पर और प्रशासन स्तर पर दोनों में स्वयं पर किये गये हैं अपने विद्युत कार्पोरेशन, ऊर्जा निगम और जल विद्युत उत्पादन निगम का रजिस्ट्रेशन हो गया है दूसरा हम लोगों ने मैंने स्वयं माननीय ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश से पहले चरण की वार्ता पहले की और कल लेटैस्ट हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश आये हुए थे और हम लोगों की आपस में बातचीत हुई है और हमने यह तय किया है कि अगले 10 फरवरी को क्योंकि माननीय ऊर्जा मंत्री के साथ हमने 20 तारीख को बैठना था यह अब उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री 20 और 21 को विदेश जा रहे हैं इसलिए मेरा यह तय हो गया है कि उनके लौटने के बाद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री और हमारे मुख्य मंत्री जी भी और हम सभी लोग बैठेंगे उसी दिन हमारी वार्ता होगी।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा गढ़वाल क्षेत्र में 20 घण्टे, हरिद्वार में 12 घण्टे, लेकिन बाधाओं के कारण गढ़वाल क्षेत्र में 18 घण्टे, हरिद्वार जनपद में 8 घण्टे और कुमायूँ क्षेत्र में 16 घण्टे से 18 घण्टे आपूर्ति की जा रही है। नलकूपों को मान्यवर, जो मैं यह जानना चाहता हूँ कि हरिद्वार अलग प्रशासनिक इकाई है या गढ़वाल मण्डल का हिस्सा? अगर

गढ़वाल मण्डल का हिस्सा है मान्यवर, तो गढ़वाल में 18 घण्टे और हरिद्वार में 8 घण्टे विद्युत आपूर्ति नलकूपों को क्यों की जा रही है? मान्यवर और दूसरा प्रश्न मेरा यह है क्या माननीय मंत्री जी इसका भी उत्तर देंगे या देने का कष्ट करेंगे कि 8 घण्टे विद्युत आपूर्ति होने से जो कृषि उत्पादन है जो हरिद्वार हमारे पूरे प्रदेश का सबसे अधिक कृषि उत्पादन वाला क्षेत्र है उससे प्रदेश को कितनी हानि कम विद्युत आपूर्ति के कारण होगी इसको भी माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, चूँकि पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी, पुरानी व्यवस्था के अनुसार माननीय सदस्य जानते हैं कि हरिद्वार में वो व्यवस्था लागू नहीं थी जो गढ़वाल कुमायूँ में लागू थी अब इस सम्बन्ध में हमारी बातचीत हो चुकी है और मैं अपको आश्वासन देता हूँ कि बहुत जल्द ही हरिद्वार वालों को भी इतनी ही बिजली मिलेगी जितनी गढ़वाल में मिलती है।

काजी मो0 मोहिउद्दीन–

मान्यवर, हरिद्वार के लोग तो खुद को दूसरे स्तर का सिटीजन समझे बैठे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि 12 घण्टे नहीं वहां दो पौने दो घण्टे बिजली मिल रही है क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है? और मान्यवर एक छोटा सा सवाल इसी से संबन्धित है क्या माननीय मंत्री जी ये जानते हैं कि किसानों की ओसराबन्दी होती है अगर 12 घण्टे भी मिल रही है बिजली फर्ज के लिए रात में मिल रही है, तो 2 दिन का ओसरा है अगर दिन में बिजली मिलती है तो रात वाले महरूम हो जाएंगे उस पानी से, तो इसका क्या आपने सोचा है कि हर किसान को कम से कम किसानों को पानी मिल जाए अगर आपके कहने के अनुसार 12 घण्टे की बिजली मिलती है तो 24 घण्टे की ओसराबन्दी है 12 घण्टे की नहीं, उसकी क्या व्यवस्था की है आपने कि सबको पानी मिल जाए।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, हरिद्वार की बिजली की समस्या पिछले दिनों काफी आई है यद्यपि हरिद्वार नगर में तो 24 घण्टे बिजली मिल रही है परन्तु जो ग्रामीण क्षेत्र में हरिद्वार में बिजली की आपूर्ति है पहले से, हमने उसको सुधारा है और जो किसानों की समस्या है मेरा आपसे जो माननीय सदस्य चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं मेरे पास भी काफी लोग पहले आए हैं और शीघ्र ही इसकी व्यवस्था जल्द से जल्द पूरी कर देंगे।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस साल वर्षा भी नहीं हुई हमारे हरिद्वार में लोग बाग त्राहि–त्राहि कर रहे हैं। आपने एक ओर सौतेला व्यवहार किया है माननीय मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपने कहा था व्यवहार किया है माननीय मंत्री अभी तक उत्तर प्रदेश की व्यवस्था यहाँ लागू की गयी है लेकिन आपने जो कटौती की है गढ़वाल मण्डल में 20 से 18 घण्टे कर दी आपने उसकी आपूर्ति सिर्फ 10 प्रतिशत करायी। हरिद्वार में मान्यवर आप 12 घण्टे दे रहे थे तो उसको 8 घण्टे कर दिया यह तो बाद ही की व्यवस्था है न, इसके 33 प्रतिशत कम कर दिया वहां

20 का 18 किया है और हमारे यहां 12 का 8 कर दिया यानि सौतेला व्यवहार, साफ जाहिर हो रहा है कि आप हरिद्वार में कटौती बहुत ज्यादा कर रहे हैं जबकि उपजाऊ क्षेत्र हरिद्वार है गेहूँ वहाँ पैदा होता है, मान्यवर काजी जी ने जो प्रश्न उठाया था मान्यवर, ओसराबंदी वाला वो जो सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक तो 4 बजे के बाद अगले दिन जिनका ओसरा होना है वह महरूम रह जाएंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ मान्यवर, कि गेहूँ की फसल में पानी नहीं आया अब क्योंकि बारिश नहीं हुई है तो आपका लाखों टन गेहूँ जो हरिद्वार पैदा करता था वो आपको भारी क्षति होने जा रही है तो मान्यवर इसका क्या उपाय आप कर रहे हैं?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, चूंकि विद्युत आपूर्ति एक निश्चित अवधि के लिए होनी है उसमें आपको पता है कि विद्युत की कितनी कमी है। मैं माननीय सदस्य की अपनी ओर से उतना ही आश्वासन देता हूँ कि जितना आपने गढ़वाल या कुमायूँ में जो व्यवस्था की जा रही है मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके सहयोग से और आप सब के समर्थन से हम बहुत जल्द ही जैसे आज हम ऊधमसिंह नगर को दे रहे हैं और हरिद्वार में भी निश्चित समय में ही कोई व्यवस्था कर देंगे। मान्यवर ऐसा है अभी यह घटाना और बढ़ाना अभी उत्तर प्रदेश ऊर्जा निगम जो कार्य कर रहा है जो एक ही संस्था काम कर रही है उसी संस्था के हिसाब से काम चल रहा है, हम उनसे कहते हैं कि आप इसको ठीक करो आपने अपनी चिन्ता बतायी है, इस सदन की चिन्ता हम उत्तर प्रदेश को बता करके हम इसको जल्द ही ठीक कर देंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि कमाण्ड एरिया का डिसचार्ज 24 घण्टे के हिसाब से बनाया जाता है आपने कहा कि 8 घण्टे आपूर्ति हो रही है, या सरकार स्वयं ट्यूबवैल बनायेगी 16 घण्टे में कैसे भेजे क्या उसके लिए नया कमाण्ड एरिया बनाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी मैं पीठ से निर्देश देता हूँ कि इसमें एक वक्तव्य जारी करें क्योंकि विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ। एक बात तो स्पष्ट नहीं हुई सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं, सरकार की घोषणा थी कि उत्तरांचल को कटौती मुक्त रखा जायेगा संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि उत्तरांचल में बिजली की कमी चल रही है तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार की ये घोषणा कटौती मुक्त रखने की कैसे फलीभूत होती है जब यहां बिजली की कमी चल रही है तो स्पष्ट करें कि बिजली की कुल कितनी कमी चल रही है, कितनी कुल कमी है उत्तरांचल में बिजली की? तब तो कुछ बात स्पष्ट समझ में आयेगी।

श्री अध्यक्ष–

[विधायक जी ऐसा है,] मैंने पीठ से निर्देश दे दिया है कि आपने इस प्रकरण पर जो प्रश्न उपस्थित किया है इस पर वक्तव्य जारी कर दें। यदि आप फिर भी वक्तव्य से संतुष्ट नहीं होंगे तो हम चर्चा स्वीकार कर लेंगे।

उत्तरांचल प्रदेश में बिजली की सप्लाई

*2–डा० इन्दिरा हृदयेश–

क्या विद्युत मंत्री उत्तरांचल प्रदेश में बिजली की सप्लाई में किसी भी प्रकार की कटौती न किया जाना सुनिश्चित करेंगे?

यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई है?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

देहरादून, हरिद्वार तथा नैनीताल नगर में वर्तमान में विद्युत कटौती नहीं की जा रही है, अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में तीन घण्टे की कटौती प्रणाली नियंत्रण द्वारा घोषित की गई है। विद्युत उपलब्धता होने पर निरन्तर आपूर्ति की जा सकती है।

विद्युत उपलब्धता कम होने तथा मांग अधिक होने पर प्रणाली के बनाये रखने हेतु विद्युत कटौती अपरिहार्य है।

डा० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि, उत्तर में कितना बड़ा विरोधाभास है अभी विद्युत कटौती बतायी विद्युत मंत्री जी ने और मेरे उत्तर में कही है उन्होंने देहरादून, हरिद्वार तथा नैनीताल नगर में वर्तमान में विद्युत कटौती नहीं की जा रही है और मान्यवर, इसी से पूर्व प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने विद्युत कटौती के घंटे बताये फिर इसके नीचे बताया कि पर्वतीय क्षेत्र में 3 घंटे की कटौती प्रणाली नियंत्रण द्वारा घोषित की गयी है मान्यवर, एक ओर विद्युत कटौती नहीं हो रही है, एक ओर 3 घंटे घोषित की गयी है तीसरा जो नीचे उत्तर दिया है उसमें लिखा है विद्युत उपलब्धता कम होने पर तथा मांग अधिक होने पर प्रणाली के बनाये रखने हेतु विद्युत कटौती अपरिहार्य है तो मान्यवर, तीन में से कौन सा उत्तर सही है? पहले इसका निर्णय करवा दीजिए?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, कटौती नहीं की जा रही है जो पहला आपने कहा है तो केवल तीन नगरों में नहीं की जा रही है, वो हैं देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल तो ये तो आपने एक्स्ट्रा प्रश्न पूछ लिया। बाकी अन्य स्थानों पर जो नियमतः तीन घंटे की कटौती होनी चाहिए ये नियम मैंने आपको बताया कि जो घोषित कटौती है ये तीन घंटे होनी चाहिए। लेकिन चूंकि व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है अभी जैसी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि कितनी कमी है? चूंकि इस समय हम लोग स्वयं उत्तरांचल में भी जो हमारा विद्युत उत्पादन है उत्तरांचल का जो सामान्य रूप से अगर उत्तरांचल की ही मान लें जो 500 मेगावाट होना चाहिए। वो घट करके 350 मेगावाट आ जाता है। या 320 मेगावाट आ जाता है जबकि हमें

आवश्यकता उससे अधिक है क्योंकि इस समय बिजली का उत्पादन कम और आवश्यकता अधिक होती है तो इसलिए बीच में कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं कि, बिजली की कटौती होती है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहते हैं सब मान्यवर, आप भी सुन रहे हैं और मैं क्या कहूं इसको, उन्होंने कहा तीन नगर, मैंने कहा विद्युत कटौती नहीं हो रही है, मान्यवर इससे पूर्व के उत्तर में था फिर आपने कहा आपूर्ति और डिमाण्ड के हिसाब से कटौती होती है तो मान्यवर, एक उत्तर माननीय मंत्री जी को सरकार की ओर से सदन में स्पष्ट उत्तर देना चाहिए कि विद्युत कटौती हो रही है कारण उसका जो भी हो अब आप कहते हैं कि तीन नगरों में कोई कटौती नहीं हो रही है फिर इसके नीचे आप बताते हैं कि 3 घंटे की होगी तो मान्यवर, एक उत्तर तो स्पष्ट होना चाहिए कम से कम सदन में सरकार को पूरे सदन को विश्वास में ले करके सही उत्तर देना चाहिए ये मेरी मान्यता है। और मैं चाहूंगी कि इस परम्परा का पालन किया जाय।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, इसमें मैं नहीं सोचता कि प्रश्न का उत्तर सदस्य को न मिला हो।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ, जो उत्तर इस प्रश्न का दिया है मान्यवर, यह सत्य से बिल्कुल परे है मान्यवर, मैं हरिद्वार नगर से ही हूँ कौन दिन ऐसा नहीं है जब बिजली की कटौती न हो मान्यवर, और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि ये सही है जैसा माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है तो मैं आपके माध्यम से जानकारी करना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते की जो सप्लाई का रहा हो उसकी जानकारी दे दें मान्यवर, और दूसरा क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आज सुबह ही देहरादून में विद्युत आपूर्ति बाधित थी और इसके कारण हमें बजाय लिफ्ट के हमको पैदल ही सीढ़ियों में जाना पड़ा, इसके भुक्त भोगी हम खुद ही हैं। तो मान्यवर मंत्री जी का जो उत्तर है वह सत्य से परे है और आपके मांध्यम से इन दोनों प्रश्नों का उत्तर चाहते हुए यह भी बिनती करना चाहता हूँ कि किस पारदर्शिता की बात यह सरकार करती है माननीय मंत्री जी उसी पारदर्शिता के आधार पर स्पष्ट उत्तर दें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है और जो तथ्य सामने रखे हैं मैंने उनको न तो छिपाने की कोशिश की है मैंने तो अपनी भी मजबूरी बतायी है और जो परिस्थिति है उनको भी आपके सामने रखा है जहां तक हरिद्वार में किसी दिन बिजली चली गयी, देहरादून में चली गयी, नैनीताल में चली गयी ये तो विद्युत आपूर्ति में एक क्षणिक तात्कालिक परेशानियाँ की वजह हो सकती हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगी मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी जिन लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर लिखकर माननीय मंत्री जी को दिया उन्हें

गम्भीरता से लेना चाहिए इस तरह हम लोगों का लम्बा अनुभव है और इस लम्बे अनुभव के बाद इस प्रकार के उत्तर हम यहां सुनने को तैयार नहीं बैठे हैं जो उत्तर माननीय मंत्री जी दे रहे हैं उस प्रकार के उत्तर को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय मंत्री जी यह बता दें कि विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं हुई है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसी दिन हो गयी होगी, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि बाधा न हुई हो या तीन–चार घण्टे की कटौती न हुई हो इसलिए मेरा कहना है कि माननीय मंत्री जी का उत्तर सत्य से परे है।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मैं इसमें जो विरोधी दल के हमारे माननीय सदस्य हैं, उनकी जो पीड़ा है उसको मैं भली प्रकार से समझता हूँ और किसी हद तक उनकी पीड़ा सही है आपको यह विदित ही है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस समय विद्युत का पूरा नियंत्रण कर रही है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने सभी जिलों के अन्दर विद्युत की व्यवस्था को ठीक करेंगे। अभी कभी–कभी जैसे अभी आपने कहा कि आपको 4 मंजिल से नीचे उतरना पड़ा उतरने में शायद कोई कठिनाई नहीं होगी जहां–जहां ट्रिपिंग हो जाती है, कई बार क्या होता है कि लोड ज्यादा हो जाता है तो ट्रिपिंग हो जाती है, इसके अन्दर कटौती नहीं है तो हम लोग यह कोशिश करेंगे कि आपको असुविधा न हो और जितनी जल्द हो विद्युत व्यवस्था को माननीय मंत्री जी दिन और रात लगे हैं लगातार प्रयत्न कर रहे है इसको हम लोग सही करेंगे आपकी पीड़ा में हम सम्मिलित हैं आप हमारे इस कष्ट के अन्दर सम्मिलित हो जाइए।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

अभी मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर आने के बाद तो इसमें कुछ कहने को तो नहीं बचता और जो जमीनी हकीकत है उससे हम सभी रुबरु हैं। मैं केवल माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है उससे अनुपूरक प्रश्न पैदा होता है माननीय, मंत्री जी का उत्तर था कि उत्तरांचल में विद्युत की कमी की स्थिति यह है कि जिन परियोजनाओं की उत्तरांचल में विद्युत उत्पादन की स्थिति है उसकी जनरेशन कैपेसिटी तकरीबन 500 मेगावाट आपने बतायी और आज की तारीख में करीब 320 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है आपने ऐसा संकेत दिया कि यहां की जो विद्युत डिमाण्ड और सप्लाई के बीच का गैप है तो यहां औसत जितनी विद्युत मिल पा रही है उसके लिए भी हमें बाहर से बिजली लाने की आवश्यकता पड़ सकती है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ एक तो आज की तारीख में उत्तरांचल क्षेत्र की मांग और आपूर्ति के बीच में कितना गैप है इस बात की जानकारी चाहिए। यह फीगर मेरी नहीं है मान्यवर, ये माननीय मंत्री जी की है, 500 मेगावाट और 320 मेगावाट की फीगर माननीय मंत्री जी की है मेरी नहीं है तो जब माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया तो हमें यह जानने का हक है ही श्रीमन् मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए तो यह सदन की एक प्रापर्टी होगी। जब आपने इसका उत्तर दे दिया तो हम यह जानने के हकदार हैं कि यहां पर उत्तरांचल क्षेत्र में कितना गैप है आज की तारीख में।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आपको विधिवत् जानकारी चाहिए तो मैं आपको अलग से चैम्बर में दे

सकता हूँ पूरा नहीं परन्तु जो एक आपकी जानकारी के लिए इस समय जो जाड़ो का जो लीन पीरियड कहा जाता है जिसमें उत्पादन काफी कम होने की वजह से हमारा उत्पादन कम होता है हमको 100 मेगावाट की कमी पड़ती है और वह थर्मल से उत्तर प्रदेश से इम्पोर्ट की जाती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री इस प्रश्न के उत्तर को भी आप उसी वक्तव्य में सम्मिलित कर लें, स्पष्ट हो जायेगा।

टिहरी बांध पर व्यय

*3–श्री राम सिंह सैनी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अभी तक टिहरी बांध पर कितना रुपया व्यय हो चुका है?

कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है?

यह बांध कब तक बनकर तैयार हो जायेगा?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

टिहरी बांध पर दिसम्बर, 2000 तक 2819.73 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं।

बांध का लगभग 62 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। विद्युत गृह के सिविल निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। विद्युत यांत्रिकी से सम्बन्धित स्थापना का कार्य प्रगति में है।

परियोजना के प्रथम चरण (1000 मेगावाट) का कार्य वर्ष 2002 में पूर्ण होने का अनुमान है।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब ये डैम प्रारम्भ हुआ था तो इसकी पूर्ति का लक्ष्य क्या रखा था कि कब तक ये पूरी होनी है? और क्या वो वजह बात रही जिनकी वजह से समय से टिहरी डैम का कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, टिहरी डैम ये तो चूंकि जुलाई 1988 से कार्य प्रारम्भ हुआ था उसे पूर्ण तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन टिहरी के अन्दर हम सब जानते हैं पहले तो यह कि वहां के लोगों का यह जनाक्रोश था कि ये टिहरी डैम बनना ही नहीं चाहिए इस कारण से लम्बे समय तक यह कि कानूनी दांव पेचों में भी जन आन्दोलनों में काम इसका रुका था अब अन्ततोगत्वा इसको टी0एच0डी0सी0 करके एक कम्पनी बनी है भारत सरकार की और यह भारत सरकार ने इसको 1995 से इसमें विधिवत् पूरे जोर के साथ से काम करना शुरू किया, और पहले चार वर्ष में इसमें पर्याप्त काम हो चुका है और इसका जो पहला टरबाइन है इसका 2002 मार्च में उत्पादन प्रारम्भ होने की संभावना है। यद्यपि यह भारत सरकार का मैटर है लेकिन इससे हम सीधे जुड़े हुए हैं तथा अब उत्तरांचल सरकार होने के कारण हम इससे सीधे जुड़े हुए हैं उसकी मुख्य जो समस्या बनी हुई है वह लोगों

का रिहैबिलिटेशन करने की समस्या पुनर्वास की समस्या है गांव के लोग हों या टिहरी शहर के लोग हों उन लोगों का इसमें शुरू से ही विरोध था लेकिन धीरे–धीरे अब वह विरोध कम हो गया है। अब हम सोच रहे हैं कि यथा समय इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री अम्बरीश कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी से कि ये टिहरी जल विद्युत परियोजना जो निर्माणाधीन है इसमें केन्द्र के साथ–साथ राज्य सरकार अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार कभी अपना हिस्सा देती रही है जो भी निर्धारित था। मान्यवर अब जो 38 प्रतिशत काम पूरा होना है, शेष इसमें केन्द्र सरकार को कितना देना होगा? कुल लागत इसकी कितनी है? केन्द्र सरकार का हिस्सा कितना है और उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा कितना है? और उसका भुगतान जैसा अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि विद्युत परियोजनाओं और विद्युत का सारा नियंत्रण अभी उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में है तो ये उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, वह उत्तरांचल सरकार देगी या उसे उत्तर प्रदेश की सरकार देगी और मान्यवर, और जब उसके बाद यह पूरा हो जायेगा तो मान्यवर, 1000 मेगावाट में से कितना हिस्सा बिजली का उत्तरांचल को मिलेगा इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी देने का कष्ट करें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, इस योजना में पूर्ण होने में भी लगभग 5690.64 करोड़ (पांच हजार छः सौ नब्बे प्वाइन्ट चौसठ करोड़) पूरा इसका खर्च होने का अनुमान है इसमें से अभी तक मैंने आपको बताया कि (2800) दो हजार आठ सौ करोड़ खर्च हो चुका है इसका उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा था, 25 प्रतिशत का, वो उत्तर प्रदेश ने पूरा दिया नहीं। लगभग 15 प्रतिशत में दिया होगा। हमारे पास उसका आंकड़ा नहीं है 15 प्रतिशत के आस–पास होगा, ये जो होल हिस्सा इसका बन रहा है अब पूरा का पूरा ये केन्द्र सरकार बना रहा है, केन्द्र सरकार ही इसकी व्यवस्था वहन कर रही है उनके जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि लगभग अब यह तय मान चुके हैं कि अब केन्द्र सरकार ने ही इसे पूरा करना है तो जहां तक योजना का सवाल है उसे केन्द्र सरकार ने ही पूरा करना है और आपने जो हिस्से की बात अपनी कही है, मूलतः नियम यह है कि कोई योजना जल विद्युत की किसी राज्य में बनती है तो उसका 12 प्रतिशत कम से कम रायल्टी के रूप में विद्युत उत्पादन का ये होम स्टेट को बिना शुल्क का मिलता है। पूरे उत्तरांचल को 12 प्रतिशत मिलेगा, जिस दिन 2000 मेगावाट पूरी हो जायेगी और तीसरा चरण 2400 का जिस दिन पूरा हो जायेगा तो उसका 12 प्रतिशत ये उत्तरांचल को मिलेगा।

श्री लाखीराम जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन्होंने बताया कि अब तक टिहरी बांध पर 2819.73 करोड़ रुपये व्यय हो चुका है। इसमें मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि ये जो खर्च हुआ है इसमें बांध को निर्माण कार्य पर कितना खर्च हुआ है? और बांध से होने वाले जो विस्थापित लोग हैं, विस्थापन कार्य पर कितना खर्च हुआ और इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, क्योंकि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कार्पोरेशन का जो मुख्यालय है, वह दिल्ली में है। जब मान्यवर, सिंचाई विभाग यहां पर इस बांध का निर्माण कर रहा था तो उसका मुख्यालय टिहरी

में था उनका डायरेक्टर भी टिहरी में बैठता था और वहीं पर बैठकर के वह सारे निर्माण कार्यों का देख–रेख करते थे। प्रशासनिक नियंत्रण कार्य वहीं पर होता था लेकिन आज जो उनका मुख्यालय है पहले तो दिल्ली में था अब नोएडा में उन्होंने शिफ्ट किया है। मान्यवर, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि विस्थापन कार्यों पर और बांध निर्माण कार्यों पर प्रशासनिक व्यवस्था पर इस राशि में से कितना खर्चा हुआ है। ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, मान्यवर।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं यहां चाहूंगा कि खर्चा कुल किस किस मद में कितना हुआ है इस समय मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं आप चाहें तो मैं आपको आंकड़े उपलब्ध करा दूंगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ये इस आकड़े को चैम्बर में देंगे तो सदन में क्या देंगे?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं आपको जितनी रैलेवैन्ट चीजें हैं उतना आपको बता रहा हूं, परन्तु हर एक आंकड़े इतने याद रखना शायद किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, मैंने प्रारम्भ से कहा कि ये योजना भारत सरकार की है, क्योंकि उत्तरांचल में यह योजना बन रही है और उत्तरांचल को भी उसका हिस्सा मिलना है, रिहैबिलिटेशन की समस्या हमने हल करनी है इसलिए मैंने उसका उत्तर आपके सामने रखा था अगर डिटेल मेरे उसमें होती तो मैं आपको बता देता।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनकर तो आश्चर्य हुआ माननीय मंत्री जी आपने उत्तर के प्रारम्भ में कहा कि टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश और भारत सरकार का ज्वाइन्ट–वैन्चर था। ये कहा उत्तर प्रदेश सरकार का 25 प्रतिशत अंशदान था। उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल राज्य बना तो कैसे माना जा सकता है कि ये अब केवल भारत सरकार का इन्टरप्राइजा रह गया और उत्तरांचल का संयुक्त प्रबन्धन नहीं है जो आप कह रहे हैं कि उत्तरदायित्व भारत सरकार का है नम्बर एक।

दूसरा श्रीमन् मैं आपसे यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि व्यवस्था यह है कि जिस प्रदेश में परियोजना बनती है उसका केवल 12 प्रतिशत रायल्टी के रूप में मिलता है। बाकी उसका कोई अंशदान नहीं है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो 25 प्रतिशत का अंशदान उत्तर प्रदेश करती आयी क्या उसे उत्तरांचल प्रदेश का अंशदान नहीं माना जायेगा? माननीय अध्यक्ष जी तीसरा अनुपूरक जो श्रीमन् माननीय मंत्री जी के उत्तर का तीसरा अंश है जिसमें लिखा है, परियोजना के प्रथम चरण 1000 मेगावाट का कार्य सन् 2002 तक पूर्ण होने का अनुमान है। माननीय मंत्री जी को यह जानकारी होगी मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस टिहरी जल विद्युत परियोजना की डाउन्ड स्ट्रीम में मनेरी भाली स्टेज–2 परियोजना बनने वाली है, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान भी आया उस मनेरी भाली परियोजना का, जो टेलरेस चैनल है वो इस टिहरी बांध जल विद्युत बांध परियोजना से संबधित है, इससे संबधित है, श्रीमन् इसलिए कह रहा हूं क्योंकि

जो मनेरी माली-2 की टेलरेस चैनल है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2002 में एक कमीशन हो जिस दिन स्टेज-वन टिहरी प्रोजेक्ट का कमीशन हो जायेगा उसके बाद मनेरी माली वह इस टिहरी डैम परियोजना से संबंधित है क्योंकि मनेरी माली टेलरेस की चैनल है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2002 में कमीशन हो जायेगा, मान्यवर, क्योंकि वह पानी के अन्दर डूब जायेगा तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं क्या उससे पूर्व मनेरी माली स्टेज-टू के टेलरेस चैनल के निर्माण को सुनिश्चत किया जायेगा ये तीनों अनुपूरक है श्रीमन्।

श्री भगत सिंह कोश्यारी-

मान्यवर, मैं समझता हूं इससे तीसरा प्रश्न माननीय सदस्य का मुख्य है कि टिहरी डैम के कारण से 2002 में अगर यह पूरा होगा तो ये जो टेलरेस मनेरी माली है, ये कैसे पूरी होगी? टिहरी डैम के कारण अगर 2002 में पूरा हो गया तो ये जो टेलरेस मनेरी माली है, ये मैं उनको बताना चाहता हूं पहले तो यह कि टिहरी डैम 2002 में अगर यह चरण पूरा हो जाता है तो भी 2002 में मनेरी माली का, जो अन्तिम छोर है, जिसको टेलरेस आप कहते हैं, उसको बनाने में सम्भवतः कोई कठिनाई नहीं होगी टैक्नीकली इस बात पर हम, दूसरी बात हम स्वयं भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल चुके हैं और मैंने भी आपको बार-बार कहा है, प्रेस में भी कहा है, हम बहुत जल्द ही आप सब लोगों का सहयोग रहा तो मनेरी माली सेकेण्ड फेज को हम अपने विभाग के माध्यम से अपने उत्तरांचल के माध्यम से उसको जल्द से शुरू करने की योजना हम बना रहे हैं। मान्यवर, पहला जो प्रश्न आपका है टिहरी टी0एच0डी0सी0 जो है ये उत्तर प्रदेश और भारत सरकार का ज्वाइन्ट-वैन्चर जरूर रहा है परन्तु चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार टी0एस0डी0सी0 ने जो मुझे सूचना दी है उसके हिसाब से आपने 25 प्रतिशत हिस्सा दिया नहीं है लेकिन तो भी उसका हिस्सा है और हमने बात की है। कल हमने उत्तर प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री से भी कहा है कि भई उसमें भी हमारा हिस्सा होगा वह उसमें मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं। इसलिए हमने उत्तर दिया, आपके सामने आप जो जानकारी मांग रहे हैं आपको उत्तर दे रहे हैं।

श्री लाखी राम जोशी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि परियोजना का प्रथम चरण जो 100 मेगावाट का है उसके 2002 तक पूरे होने के आसार हैं, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रथम चरण के चालू होने पर कितना क्षेत्र डूब जायेगा और कितने परिवार बेघर हो जायेंगे और उन परिवारों के विस्थापन के लिए सरकार क्या योजना बना रही है। क्या सन् 2002 तक उन परिवारों को विस्थापित कर दिया जायेगा।

श्री भगत सिंह कोश्यारी-

मान्यवर, प्रथम चरण के चालू होने तक कुल मिलाकर के 2064 परिवार प्रभावित होंगे उसमें से 2034 को कम्पन्शेसन दिया जा चुका है। जो उसकी पहली और पुरानी कट ऑफ डेट थी, उसमें अब कुछ लोग और जुड़ गये हैं। इसलिए हमारा विश्वास है कि प्रथम चरण के चालू होने से पूर्व हम लोग यह पुनर्वास से सम्बन्धित हैं पहले चरण को पूरा कर लेंगे।

श्री लाखी राम जोशी–

यह तो टिहरी शहर के बारे में है। ग्रामीण क्षेत्र के जो परिवार प्रथम चरण के चालू होने से प्रभावित होंगे उनकी कितनी संख्या है और उनके विस्थापित होने के लिए क्या योजना बनाई हुई है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह प्रथम चरण में जो परिवार पुनर्वासित होने वाले हैं उनकी दृष्टि से देहरादून और हरिद्वार में जमीन ढूंढी जा रही है और कुछ जमीन मिल भी गयी है और दूसरा हम लोग एक नयी योजना बना रहे हैं कि कुछ लोग जो प्रभावित हुए हैं उनके लिए एक पैकेज यह बनाया गया है कि वह नकद ले लेंगे, इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस नकद भुगतान हेतु एक पैकेज बनाया गया है तो मैं जानना चाहता हूं कि उस पैकेज में कितने रुपये के भुगतान का प्रस्ताव किया गया है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, अभी चूंकि एक पैकेज तय हुआ है मैं उसमें इसलिए नहीं कह रहा हूं, हमारी कोशिश यह है कि जो हमारे पुनर्वास के डाइरेक्टर हैं, जिलाधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, वह उसको ग्रामों के हिसाब से कैसे करना चाहते हैं इस संबंध में हमारी बातचीत चल रही है। अभी आप इसको हल तो होने दीजिए। टी0एच0डी0सी0 का प्रस्ताव तैयार है।

श्री लाखी राम जोशी–

क्या माननीय मंत्री जी जनप्रतिनिधियों को और प्रभावित परिवारों को विश्वास में लेकर पैकेज तैयार करने का कष्ट करेंगे।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि वह यह आश्वस्त करें कि टिहरी डैम के निर्माण हेतु प्रस्तावित बजट पारित हो चुका है, उसका धन उपलब्ध है। क्या केन्द्र सरकार और उत्तरांचल सरकार इसे वहन करेगी या फिर केन्द्र सरकार ने अकेले ही इस बजट का निर्माण जितना आपने इंगित किया है उसके लिए बजट की स्वीकृति दे दी है?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, चूंकि केन्द्र सरकार जल्दी बनाना चाहती है समस्या मूलतः पुनर्वास की है। पुनर्वास हेतु टी0एच0डी0सी0 के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया था क्योंकि इससे प्रदेश को लाभ होने वाला है उस दृष्टि से केन्द्र सरकार से मुझे विश्वास है कि पूरा बजट मिलेगा इसमें कोई ऐसी कठिनाई नहीं है।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि एक तो हमारे और उत्तर प्रदेश के बीच परिसम्पत्तियों का बंटवारा होगा और 25 प्रतिशत इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने धन व्यय किया है तो क्या यह औचित्य पूर्ण नहीं है, क्या वह उत्तर प्रदेश का 25 प्रतिशत धन हमारे हिस्से में आता है। दूसरा मान्यवर यह जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए आप पुनर्वासित योजना बना रहे हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि हरिद्वार में जहां इनको बसाने की योजना की बात कर रहे हैं और वहां के लोगों को बेघर कर रहे हैं इसलिए जो छोटे किसान हैं उनकी भूमि पुनर्वास हेतु न ली जाय।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह तो एक समस्या से दूसरी समस्या खड़ी हो गयी आप सबका सहयोग मिलेगा तो यह हल हो जायेगा जो भी समस्या आयेगी आप से पूछ कर उसका हल निकाल लिया जायेगा। जहां तक परिसम्पत्तियों के बंटवारे की बात है उसके लिए तो हम इन टोटल में बात करेंगे।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, टी0एच0डी0सी0 ने 89 में कार्य शुरू कर दिया था और प्रशासनिक कार्यालय दिल्ली के पास नोएडा में, हर काश्तकार और विस्थापित अपनी शिकायत करने नहीं जा सकता है, वहीं पर अधिकारी बैठक करते हैं। वे सब लोग अप एण्ड डाउन करते हैं। जिससे टी0ए0 और डी0ए0 में ही काफी पैसा खर्च हो जाता है और यह व्यय योजना व्यय में ही शामिल होता है। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि जहां पर उनका प्रोजेक्ट बन रहा है उस प्रोजेक्ट के आस–पास ऋषिकेश में उनका प्रशासनिक भवन बना हुआ है, उस प्रशासनिक व्यवस्था को ऋषिकेश में ही स्थापित कर देंगे और प्रशासनिक खर्चे को कम करने के लिए सरकार कदम उठायेगी।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि यह योजना केन्द्र सरकार की है। हेड क्वार्टर उनका दिल्ली में हो सकता है और किसी को भी पुनर्वास के लिए दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग भी यहां पर हैं जो भी समस्या होगी उसे हम यहीं पर हल कर लेंगे।

अतारांकित प्रश्न

उत्तरांचल के मैदानी जनपदों में खराब पड़े नलकूप

1–श्री मुन्ना सिंह चौहान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल के मैदानी जनपदों में कितने–कितने नलकूप खराब पड़े हैं?

यदि हाँ, तो इन नलकूपों को कब तक ठीक कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

उत्तरांचल के मैदानी जनपदों में 664 चलित नलकूप हैं। दिनांक 4–1–2001 की बंदी के अनुसार इनमें 56 नलकूप यांत्रिक दोष से और 21 नलकूप विद्युत दोष के कारण कुल 77 नलकूप बंद है। वर्तमान में धन की उपलब्धता नहीं है। अनुरक्षण धनराशि की व्यवस्था होने पर यांत्रिक दोषों से बंद 56 नलकूपों को एक माह के भीतर चालू करा दिया जायेगा, तथा विद्युत दोषों से बंद नलकूपों को दो सप्ताह में चालू करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेश चन्द्र, भण्डार अधीक्षक का बकाया भुगतान

2–श्री राम सिंह सैनी–

क्या माननीय उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नरेश चन्द्र, भण्डार अधीक्षक, विद्युत भंडार केन्द्र, रुड़की जो दिनांक 31–3–99 को सेवानिवृत्त हुये हैं तथा जिनका जी0पी0एफ0, ग्रेच्युटी, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण नये वेतनमान में निर्धारण का बकाया भुगतान विभाग द्वारा कर दिया गया है?

यदि नहीं तो क्यों? यह भी बताने का कष्ट करें कि विलम्ब का क्या कारण है और भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

श्री नरेश चन्द्र, भंडार अधीक्षक (सेवा निवृत्त) के जी0पी0एफ0 का अंतिम भुगतान क्षेत्रीय लेखा कार्यालय लखनऊ के पत्रांक 911 दिनांक 15–11–2000 द्वारा रुपये 2,56,630.63 मात्र की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसका भुगतान पावर कारपोरेशन मुख्यालय (निधि) से निर्गत होना अपेक्षित है, निर्गत होते ही भुगतान कर दिया जायेगा। पेंशन, ग्रेच्युटी की स्वीकृति हेतु प्रपत्र क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को उपलब्ध करा दिये गये हैं, स्वीकृति अपेक्षित है। अनंतिम पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। नकदीकरण तथा सेवा निवृत्ति के अवशेष 218 दिन का भुगतान किया जा चुका है। नये वेतनमान में वेतन निर्धारण कर विदीक्षा हेतु क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को भेज दिया गया है, प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा।

चूंकि अदेयता प्रमाण–पत्र उनके सभी तैनाती स्थानों से प्राप्त नहीं हुये थे, श्री नरेश कुमार भंडार अधीक्षक (सेवा निवृत्त) द्वारा दिनांक 1–7–2000 को शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया, तुरन्त बाद प्रपत्र अग्रसारित कर दिये गये थे। अतः किसी स्तर पर शिथिलता नहीं बरती गयी है। वेतन निर्धारण एवं पेंशन, ग्रेच्युटी की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा व्यक्तिगत प्रयास किये जा रहे हैं।

जनपद पिथौरागढ़ में पर्यटक स्नान गृह का निर्माण

3–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में देवगढ़ तथा सेरा में दो गंधक पानी पर्यटक स्नान गृह 1998 में स्वीकृत किये गये थे?

क्या पर्यटक, स्नान गृह का निर्माण कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटन, औद्योगिक विकास, विज्ञान एवं तकनीकी, श्रम एवं सेवायोजन, तीर्थाटन, धर्मस्व मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)–

जी हाँ।

जी हाँ।

देवगढ़ (मदकोट) में 70 प्रतिशत तथा सेराघाट में 75 प्रतिशत कार्य किया जा चुका है। अवशेष कार्य 30 जून, 2001 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

जनपद पिथौरागढ़ में सिंचाई विभाग की पूर्ण रूप से बन्द नहरें

4–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में सिंचाई विभाग की कुल कितनी नहरें पूर्ण रूप से बन्द हैं? क्या इन बन्द नहरों को सुचारु रूप से चलाया जायेगा। यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

जनपद पिथौरागढ़ में सिंचाई विभाग की 51 नहरें बन्द पड़ी हैं।

जी, हाँ।

नहरों की मरम्मत हेतु धन की व्यवस्था हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है, धन की व्यवस्था होते ही नहरें चालू करायी जायेंगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के गाँवों में विद्युतीकरण

5–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1997 से वर्ष 2000 तक जिन राजस्व गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य था, उनमें से पूरे गांवों का विद्युतीकरण किया गया है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन छुटे हुए विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1997 से वर्ष 2000 तक कुल 51 गाँवों हेतु लक्ष्य रखा गया था जिसके सापेक्ष 45 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

अवशेष 6 गांवों का विद्युतीकरण 31–3–2001 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

रुड़की नगर में कार्यरत सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

6–श्री राम सिंह सैनी–

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि रुड़की नगर में कार्यरत विभाग के कर्मचारियों का माह अक्टूबर व नवम्बर, 2000 के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है?

यदि हाँ, तो कब तक भुगतान कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

उत्तरांचल राज्य के रुड़की स्थित कार्यरत कर्मचारियों का माह अक्टूबर एवं नवम्बर, 2000 का वेतन दिसम्बर, 2000 के प्रथम सप्ताह में वितरित कर दिया गया है। अतः किसी भी कर्मचारी का वेतन दिया जाना शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

तदैव

द्रोण होटल को विधायक निवास एवं राज्य अतिथि गृह बनाये जाने से पूर्व होने वाली आय

7–श्री मुन्ना सिंह चौहान–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून स्थित गढ़वाल मण्डल विकास निगम के द्रोण होटल को विधायक निवास एवं राज्य अतिथि गृह बनाये जाने से पूर्व प्रतिमाह/प्रतिवर्ष कितनी आय हो रही थी?

प्रदेश सरकार को निगम को प्रतिमाह/प्रति वर्ष कितना भुगतान करना है?

श्री केदार सिंह फोनिया–

माह नवम्बर, 2000 से पूर्व प्रति माह 10.12 लाख की दर से प्रति वर्ष रुपये 121.44 लाख की आय निगम को होती थी।

प्रदेश सरकार को रुपये 6.27 लाख प्रतिमाह की दर से प्रति वर्ष रु0 75.25 लाख की धनराशि का भुगतान करना होगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। अब मैं नियम 301 ले रहा हूं।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

नैनीताल जनपद में झील विकास प्राधिकरण महायोजना को समाप्त करने के संबंध में

श्रीमती इंदिरा ह्रदयेश–

[मान्यवर, नैनीताल जनपद में झील विकास प्राधिकरण महायोजना को पूर्ण रूप से

समाप्त किये जाने की मांग को लेकर जनता आन्दोलित है। इस महायोजना से स्थानीय व्यक्तियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय भ्रष्टाचार एवं लालफीताशाही इस अव्यवस्था के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। आवासीय निर्माण के सामान्य संशोधन में भी जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करती हूँ कि जनता की कठिनाई के निवारण हेतु तत्काल समाधान तलाशा जाये।]

श्री बद्रीनाथ–केदारनाथ धाम से अनाधिकृत कब्जा हटाने के संबंध में

श्री अम्बरीष कुमार–

[मान्यवर, श्री बद्रीनाथ–केदारनाथ मन्दिर समिति का गठन, जनभावनाओं के अनुरूप दोनों धामों की व्यवस्था धार्मिक मान्यताओं के आधार पर करने हेतु किया गया है। ये दोनों धाम हिन्दू मात्र की धार्मिक आस्था के केन्द्र हैं। परन्तु आज भी समिति की जिला अल्मोड़ा में 278 नाली, 5 मुट्ठी, रामनगर नैनीताल में 42 बीघा, डोभाल वाला देहरादून में 21.14 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा है। अनाधिकृत कब्जा न हटाये जाने से हिन्दू धर्मावलम्बियों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, जिसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। इससे समिति की आय भी प्रभावित हो रही है।]

यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का कष्ट करें।

सरकारी तथा अर्धसरकारी विभागों के सम्बद्ध वाहन चालकों की समस्याओं का निराकरण

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

[मान्यवर, यह साधारण सा प्रतीत होने वाला परन्तु मानवीय दृष्टि से संवेदनशील विषय सदन में उठाना चाहता हूँ।

उत्तरांचल राज्य गठन होने पर सरकारी तथा अर्द्धसरकारी विभागों के वाहन चालकों को सचिवालय/राज्य सम्पत्ति विभाग के साथ तात्कालिक व्यवस्था के तौर पर सम्बद्ध किया गया था। इन सभी वाहन चालकों द्वारा आज दिन तक अपने दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन किया जा रहा है। जबकि इनकी वर्किंग कंडीशन्स यातना दायक बन गयी है। न तो कोई ड्यूटी की सीमा है, न कोई ओवर टाइम भत्ता, यात्रा भत्ता दिया जा रहा है। विधान भवन, राजभवन, मुख्य मंत्री आवास आदि परिसरों में शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल में बैठने की सुविधा तक उपलब्ध नहीं है।

वाहन चालकों की मांग है कि (1) जो वाहन चालक अपनी इच्छानुसार अपने मूल विभाग में वापस जाना चाहते हैं, उनको वापस भेज दिया जाय। (2) जब तक वाहन चालकों को स्थायी तौर पर सचिवालय/राज्य सम्पत्ति विभाग में विलीनीकरण नहीं किया जाता तब तक विशेष अतिरिक्त ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए ओवर टाइम भत्ता दिया जाय। (3) सभी वाहन चालकों की ड्यूटी सीमा निर्धारित की जाय। (4) शीतकाल तथा ग्रीष्मकाल में बैठने की सुविधा उपलब्ध करायी जाय।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अपनी मांगों को लेकर वाहन चालकों में असंतोष है।]

अत: मैं इस संवेदनशील विषय को सदन में उठाकर वाहन चालकों की समस्याओं के निराकरण की मांग सरकार से करता हूं।

हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में बिगड़ती कानून–व्यवस्था के संबंध में व्यवस्था

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 के अन्तर्गत एक सूचना प्राप्त हुई है। यह प्रदेश के हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में बिगड़ती कानून–व्यवस्था के संबंध में है। इसमें मैं व्यवस्था दे रहा हूं कि कानून–व्यवस्था के मामले को आप श्री राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उठा सकते हैं। मैं इसे अस्वीकृत करता हूं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, आपका आदेश शिरोधार्य है। केवल अनुरोध है कि यह कोई साधारण विषय नहीं है। आज स्थिति यह है कि हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जनपद अपराधों की राजधानी बनते जा रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन कत्ले आम न हो रहा हो। किच्छा नगर बंद था। वहाँ पर व्यापारियों ने हड़ताल कर दी और उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है . . . .

श्री अध्यक्ष–

जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी तो उस समय भाग लेते समय आप अपनी बात कह सकते हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, हल्द्वानी का मामला ले लीजिये। एक दिन में 3–3 हत्यायें होती हैं और किच्छा के अन्दर व्यापारी को दिन–दहाड़े गोली मार दी जाती है। हरिद्वार के अन्दर हत्यायें हुई हैं। काशीपुर में मैं खुद वहाँ पर था। उससे एक दिन पहले वहाँ पर हत्या हुई। यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न से भागना नहीं चाहता हूं। हम आपकी नोटिस का उत्तर देंगे। जब आप, समय इस पर निर्धारित कर देंगे। कानून–व्यवस्था सुधरी है और बहुत अधिक अन्तर आया है। इस काल के जो आँकड़े हैं वह सब हम आपको देंगे।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2000

कृषि, पशुपालन, सहकारिता, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री वंशीधर भगत)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कृषि एवं गन्ना अनुभाग की अधिसूचना सं0 165/ ची0उ0अनु0, दिनांक 01 जनवरी, 2001 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2000 को उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा विनियमन) अधिनियम,

---

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1953 की धारा 28 की उप धारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अध्यादेश, 2000

वित्त, संस्थागत वित्त एवं राजस्व मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल निशंक)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अध्यादेश, 2000 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 का अनुकूलन एवं उपान्तर) अध्यादेश, 2000

श्री रमेश पोखरियाल निशंक–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिक अधिनियम, 1916 का अनुकूलन एवं उपान्तर) अध्यादेश, 2000 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2000

कृषि, सहकारिता, पशुपालन, गन्ना विकास, चीनी उद्योग मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2000 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

मुझे सदन को दो सूचनायें देनी हैं।

कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 12 जनवरी, 2001 की बैठक में यह सिफारिश की है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा दिनांक 16–1–2001 से प्रारम्भ की जाय।

ऊर्जा, सिंचाई एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष ने सदन को दी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

विधान सभा के माननीय सदस्यों के प्रति शिष्टाचार प्रदर्शन सम्बन्धी शासनादेश

श्री अध्यक्ष–

उत्तरांचल विधान सभा के माननीय सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा

प्रस्तुत किये जाने वाले शिष्टाचार के सम्बन्ध में उत्तरांचल शासन के द्वारा शासनादेश निर्गत किये जाने तक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर जारी एतद् विषयक आदेश लागू माना जायेगा।

भोजनावकाश हेतु सदन का स्थगन

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन प्रति दिन भोजनावकाश के लिये मध्याह्न 1.30 बजे से 3.00 बजे तक के लिये स्थगित रखा जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 300 की सूचनाओं को ले रहा हूँ।

उ०प्र० विधान परिषद् के सदस्यों को उत्तरांचल विधान सभा का सदस्य माने जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस विषय को मैं औचित्य के प्रश्न के माध्यम से उठाने जा रहा हूँ, वैसे तो इस विषय को इस विधान सभा की कोई भी कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व उठाया जाना उचित होता। श्रीमन्, अनन्तिम विधान सभा? उत्तरांचल के ऐसे सदस्य/सदस्यों द्वारा जो अनन्तिम विधान सभा के लिये निर्वाचित नहीं हुए हैं, निर्वाचित सदस्य/सदस्यों के रूप में शपथ ली या प्रतिज्ञान किया गया और यह आपके संज्ञान में है। इस प्रकार ली गई शपथ या किया गया प्रतिज्ञान संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुरूप नहीं है। इसलिये ऐसे सदस्य/सदस्यों द्वारा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 5 और 6 के उपबन्धों के अनुसार सभा मण्डप में सदस्यों के लिये अभिप्रेत स्थान पर बैठने का अधिकार नहीं है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अनुच्छेद 193 के उपबन्धों के अधीन कार्य संचालन नियमावली के नियम 7 के अनुसार दण्डनीय अपराध घोषित किया जायेगा। विषय, सदन की कार्यवाही और संविधान के ऐसे अनुच्छेदों से संबन्धित है, जिससे सदन की कार्यवाही विनियमित होती है। श्रीमन्, मैं आपसे प्रार्थना करूँगा और आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 188 की तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा। संविधान के अनुच्छेद 188 में इस बात की व्यवस्था है कि सदन में बैठने से पूर्व सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य अपने पद का निर्वाचन या नाम निर्देशन के लिये प्रतिज्ञान या शपथ ग्रहण करेगा। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश रि–आर्गेनाइजेशन ऐक्ट, 2000 की तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन, 2000 की धारा 13 की तरफ आकृष्ट कर रहा हूँ। जिसमें लिखा है:– "एवरी सिटिंग मैम्बर आफ दि लेजिसलेटिव एसेम्बली ऑफ दि एग्जिस्टिंग स्टेट आफ उत्तर प्रदेश इलेक्टेड टू फिल ए सीट इन दैट एसेम्बली फ्राम ए कान्सीटॅयूएन्सी हविच आन दि एपॉइन्टेड डे बाई वरच्यू आफ दि प्रोविजन्स आफ सैक्सन 10 स्टैन्ड्स एलौटेड, विद और

विदाउट आल्टरेशन ऑफ बाउन्ड्रीज, टु दि स्टेट ऑफ उत्तरांचल शैल, ऑन एण्ड फ्राम दैट डे, सीज टु बी मैम्बर ऑफ दि लेजिसलेटिव एसेम्बली ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड शैल बी डीम्ड टु हैव बीन इलैक्टेड टु फिल ए सीट इन दि प्रोविजनल लेजिसलेटिव एसेम्बली ऑफ उत्तरांचल फ्राम दैट कन्सीट्युएन्सी ऐज सो एलॉटेड।"

श्रीमन्, इससे यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा का वह माननीय सदस्य जो उत्तरांचल की सीमा के अन्तर्गत जिनका निर्वाचन क्षेत्र है उन लोगों को आप दि आर्गेनाइजेशन ऐक्ट की धारा 13 के अनुसार उत्तरांचल विधान सभा के लिये निर्वाचित समझे गये इसलिये उत्तरांचल विधान सभा के लिये निर्वाचित समझे गये सदस्यों द्वारा यह शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना जो उत्तरांचल विधान सभा के लिये निर्वाचित हुए हैं, नियमों के सुसंगत है। इसमें कोई विवाद नहीं है। अब मैं उस श्रेणी के माननीय सदस्यों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा जो उत्तरांचल की विधान सभा के लिये निर्वाचित नहीं समझे गये अर्थात् जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य नहीं हैं। मैं आपका ध्यान रि–आर्गेनाइजेशन की धारा 20 की तरफ ध्यान आकृष्ट करूँगा :– प्रोविजन ऐज सच सर्टेन सिटिंग मैम्बर्स ऑन एण्ड फ्राम दि एप्वाइन्टेड डे, दि सिटिंग मैम्बर्स आफ दि लेजिसलेटिव काउन्सिल ऑफ दि एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश स्पेशिफाइड इन दि फोर्थ शेड्यूल टु दिस ऐक्ट शैल सीज टु बी मैम्बर्स ऑफ दैट काउन्सिल एण्ड शैल बी डीम्ड टु बी दि मैम्बर्स ऑफ दि प्रोविजनल लेजिसलेटिव एसेम्बली।

श्रीमन्, इससे जो सामान्य तौर पर एक धारणा बनती है वह धारणा यह बन सकती है कि शैड्यूल 4 में, जिनका पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय विधान परिषद् के सदस्यों का जिक्र है और जिसे यथाशक्य इस ऐक्ट के द्वारा पार्लियामेन्ट द्वारा संशोधित किया गया है, उसको उत्तरांचल विधान सभा के सदस्य का नाम निर्देशन किया जाय। इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं है। मैं सवाल इस बात का उठा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य उत्तरांचल विधान सभा के सदस्य हो सकते हैं या नहीं। यदि इसको चुनौती देने की बात आयेगी तो फिर चुनौती इस उत्तर प्रदेश रि–आर्गेनाइजेशन ऐक्ट को देनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि जो सम्भवतः न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विषय होगा। अभी मैं, चुनौती सिर्फ इस बात की देता हूँ कि श्रीमन्, आपने तो इस सदन के माननीय सदस्यों को 11 तारीख को प्रतिज्ञान और शपथ दिलायी, यदि आप उस कार्यवाही को निकलवाकर देख लें तो स्वतः ही प्रमाणित हो जायेगी। ऐसे माननीय सदस्य जो उत्तरांचल विधान सभा के लिये निर्वाचित नहीं हुए हैं, जो रि–आर्गेनाइजेशन के सेक्सन 13 द्वारा गवर्न नहीं हैं, उन्होंने भी इस अध्यक्ष के पीठ के बगल में बैठकर के शपथ ली है कि मैं उत्तरांचल विधान सभा के लिये निर्वाचित हुआ हूँ। और उसी का उन्होंने शपथ और प्रतिज्ञान किया। मैं श्रीमन्, स्पष्ट तौर पर यह कह सकता हूँ कि धारा 30 के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के माननीय सदस्य उत्तरांचल विधान सभा का सदस्य बनेगा, उन्हें किसी भी दशा में उत्तरांचल विधान सभा के लिये तो निर्वाचित नहीं समझा जायेगा। इस बिल में भी नहीं था। उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों के बारे में तो कहा गया है लेकिन विधान परिषद् के सदस्यों के बारे में इसमें एक अल्फाज नहीं कहा गया है कि उनको उत्तरांचल विधान सभा का सदस्य माना जायेगा, अर्थात् उनको उत्तरांचल विधान सभा का अधिक से अधिक नाम निर्देशित सदस्य माना जायेगा। तो जो इस विधान सभा के लिये पार्लियामेंट द्वारा नाम निर्देशित हुए हों यदि उन्होंने नाम निर्देशित होने की शपथ ग्रहण नहीं की है। तो इस बात का मतलब उनको इस सदन के अन्दर बैठने का अधिकार

नहीं है, जब तक कि वह नाम निर्देशित होने की शपथ नहीं ग्रहण कर लेते। श्रीमन्, मैं इसको आगे जाकर और स्पष्ट करना चाहूँगा। मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 333 की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, जो संविधान के अनुच्छेद 170 में है। उसमें उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य होने के लिये आर्हताएं निर्धारित हैं। उसकी पहली कंडीशन यह है कि विधान सभा का प्रत्येक सदस्य निर्वाचन द्वारा चुना जायेगा और जो विधान परिषद् का सदस्य होगा या तो वह प्रपोर्सनल रिप्रिजेन्टेटिव वोट द्वारा चुना जाता है या रिप्रिजेन्टेटिव वोट द्वारा चुना जाता है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं चुना जाता।

धारा 33 का उल्लेख इसलिये कर रहा हूँ कि विधान सभा का नाम निर्देशन का प्राविधान केवल अनुच्छेद 333 में है जिसके मुताबिक यह व्यवस्था की गई है कि भारत के अन्दर निवास करने वाला आँग्ल समुदाय, उनके किसी माननीय सदस्य को यदि प्रदेश के महामहिम राज्यपाल उनको उचित समझें तो नामित कर सकते हैं। उसके अलावा किसी के नौमिनेशन का प्रावधान संविधान के अन्तर्गत नहीं है। मैं आगे जिक्र करना चाहता हूँ। संविधान के अनुच्छेद जिसमें संसद के गठन की व्यवस्था की गई है, उसकी तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, जिसमें लोक सभा के साथ-साथ राज्य सभा के गठन की भी व्यवस्था है। उसके अन्दर इस बात की व्यवस्था है कि राज्य सभा के जो सदस्य होंगे उनके निर्वाचन में विधान सभा के डाइरेक्टली इलेक्टेड मैम्बर्स ही केवल मतदान करेंगे। एक परिस्थिति यह पैदा होगी। यदि ऐसा अहम् औचित्य का प्रश्न, संवैधानिक प्रश्न का यदि समाधान न किया गया तो एक प्रश्न पैदा होगा कि उत्तरांचल के कोटे में भी राज्य सभा के तीन माननीय सदस्यों का आवंटन पार्लियामेंट के द्वारा इसके मुताबिक किया गया है। इस विधान सभा का कोई कार्यकाल भी निर्धारित नहीं है। कल्पना करें, उदाहरण के लिये, इस विधान सभा के कार्यकाल के रहते हुए हमें भारत की संसद में राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन करके भेजना है तो आपके सम्मुख पुनः यह प्रश्न होगा कि क्या ये माननीय सदस्य जो विधान सभा के लिये निर्वाचित नहीं हुए हैं क्या वे राज्य सभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग ले सकेंगे? तो श्रीमन् यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। मैं समझता हूँ संसदीय इतिहास में, मैं छोटे मुँह से दुस्साहस कर रहा हूँ, आप जैसे विद्वान पुरुष जो इस पीठ पर बैठे हुए हैं, जज के रूप में संरक्षण देने वाले व्यक्ति आप हैं तो श्रीमन्, आपको इस बात की कोई परवाह नहीं होगी कि आपकी व्यवस्था से किसी माननीय सदस्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप इस बात की भी परवाह नहीं करेंगे कि आपकी व्यवस्था का आपके स्वयं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं जानता हूँ संसदीय इतिहास के अन्दर इससे ज्यादा गम्भीर और इससे ज्यादा समीचीन औचित्य का प्रश्न कोई पैदा हो ही नहीं सकता। श्रीमन्, मैं एक दृष्टान्त देना चाहता हूँ। उत्तरांचल राज्य के साथ-साथ दो नये राज्यों का निर्माण हुआ जिसके अंदर बिहार से अलग होकर झारखण्ड का निर्माण किया गया। बिहार के अंदर ही उत्तर प्रदेश के समान दो सदन हैं लेकिन झारखण्ड के अंदर विधान परिषद् के अंदर सदस्यों को विधान सभा का सदस्य नहीं बनाया गया। यह एक अनोखी घटना है मैं इस अनोखी घटना के सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ मैं तो केवल इतनी बात पर टिप्पणी कर रहा हूँ कि इस सदन में शपथ लेते समय वीडियो कवरेज भी हुआ और अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा उसकी कार्यवाही को भी दर्ज किया गया आप इसको दिखवा लें। इस सदन में बैठे प्रत्येक व्यक्ति ने विधान सभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश विधान

परिषद् के वे सदस्य जिनको उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य बनाया गया है, वे सदस्य नहीं हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ और मैं फिलहाल इसको चुनौती नहीं दे रहा हूँ। फिलहाल मैं यह कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के माननीय सदस्य जिन्हें उत्तरांचल विधान सभा के लिए नाम-निर्देशित किया गया है उन्हें नाम-निर्देशित सदस्य के रूप में ही शपथ लेनी चाहिए तभी इस सभा मण्डप में उनको बैठने का अधिकार है।

मैं इंगित ही कर सकता चूंकि कुछ माननीय सदस्य मंत्रि परिषद् के सदस्य हैं। हम नियमों, परम्पराओं और संविधान से विज्ञ हैं। मंत्रि परिषद् का सदस्य होने के लिए 6 महीने तक, के लिए यह कोई शर्त नहीं है कि वह किसी सदन का सदस्य हो या नहीं, इसलिए मैं यह धृष्टता नहीं करता उन मंत्रि परिषद् के सदस्यों को आज इस सदन में बैठने योग्य नहीं हैं और कोई स्थान ग्रहण नहीं कर सकते परन्तु निश्चित रूप से यह प्रश्न है, जिसका समाधान होना ही चाहिए इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसे गम्भीरता से लें और अपनी व्यवस्था दें। यदि आपकी यह व्यवस्था आती है कि उन माननीय सदस्यों को नाम-निर्देशित सदस्य के रूप में शपथ लेनी चाहिए थी तो श्रीमन् उसमें मंत्रि परिषद् के सदस्य से लेकर आप जिस पीठ पर विराजमान हैं आप जैसे व्यक्ति पर भी प्रभाव पड़ेगा। धारा 20 के मुताबिक नाम-निर्देशित ही होना चाहिए लिहाजा ऐसे माननीय सदयों को यहां बैठने का अधिकार नहीं है और कार्यवाही को संचालित करने का अधिकार नहीं है मैं तो आगे जाकर यह भी कहूंगा कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से लेकर आज तक की जो कार्यवाही हुई है वह कानून के अनुसार नल एण्ड व्वाइड है और अनुच्छेद 198 का उल्लंघन किया गया है। विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 5, 6 एवं 7 का उल्लंघन किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 193 का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति यदि सभा मण्डप में स्थान ग्रहण करता है तो उसे रु0 500-00 प्रतिदिन का जुर्माना और दण्ड पाने का भी प्राविधान है। यह गम्भीर प्रश्न है मैं आपसे प्रार्थना करता हू कि इस बात की परवाह न करते हुए कि इसका आप पर भी प्रभाव पड़ेगा इसलिए आप इस पर व्यवस्था दें और ऐसी व्यवस्था दें कि जो एक मिसाल कायम हो सके। मान्यवर हम लेजिस्लेचर हैं और विधान का निर्माण करते हैं तो हमें कानून का पालन भी करना चाहिए। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक औचित्य का प्रश्न है और निश्चित रूप से हिन्दुस्तान के संसदीय इतिहास में अपने आप एक निराला प्रश्न है, इसलिए आपसे प्रार्थना करूंगा आप अपनी शुद्ध अन्तरात्मा के अनुरूप ही इस औचित्य के प्रश्न पर अपनी व्यवस्था देने की कृपा करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से अपेक्षा करता था कि वह संविधान पढ़ करके आये। मुझे बड़ा दुख है कि माननीय सदस्य ने वह सब पढ़ लिया जो उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए था। माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि औचित्य के प्रश्न की परिभाषा क्या है पहले कृपा करें उसे पढ़ लें औचित्य का प्रश्न नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा उससे संबंधित कोई ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो। अब जहां तक नियम की बात है और संविधान की बात है आप ने तो कक्षा-1 से पढ़ने के बजाय कक्षा-10 तक का अध्ययन कर लिया इसलिए कृपा करके जो संविधान का अनुच्छेद 3 और 4 है पहले

उसे पढ़ लें। अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है– "नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन"–

संसद, विधि द्वारा–

(क) किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी,

(ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी,

(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी,

(घ) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी,

(ङ) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी :

परन्तु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्दिष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है वहां जब तक उस राज्य के विधान मण्डल द्वारा उस पर अपने विचार, ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जायेगा।

जिसके अन्तर्गत इस राज्य का गठन हुआ है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ और आप अच्छे पार्लियामेन्ट्रेयन हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आप शून्य में से भी कुछ न कुछ उठाकर ले आते हैं। तीन नये राज्यों का निर्माण वर्तमान में हुआ। इसका मतलब यह है जो विधेयक लाया गया वह महामहिम राष्ट्रपति की अनुज्ञा से होगा और जिस राज्य से संबंधित है उस विधान मंडल द्वारा उसकी स्वीकृति होगी। आपने यह भी कहा कि विधायन को अंग्रेजी में लेजिस्लेचर कहा जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे वह विधान सभा का सदस्य हो या विधान परिषद् का उसे लेजिस्लेचर ही कहा जायेगा। चाहे लोक सभा का सांसद हो या राज्य सभा का उसे भी लेजिस्लेचर कहा जायेगा अब जो अनुच्छेद 4 है वह बहुत महत्वपूर्ण है उसमें लिखा है :– "पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां– (1) अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्दिष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी (जिनके अन्तर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधान मंडल या विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध हैं) अंतर्दिष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे।

(2) पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी।"

यानी अनुच्छेद 368 के अंदर संशोधन होता है। संविधान संशोधन 368 के द्वारा ही होता है लेकिन यह एक विशेष अनुच्छेद है जिसमें एक निश्चित मात्रा में दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाता है आदि, संशोधन के हिसाब से एक विधेयक बना अब आप रिआर्गनाइजेशन ऐक्ट के सेक्सन 20 को देख लें जिसमें लिखा गया है–"प्रॉविजन एज टु सरटेन सिटिंग मेम्बर्स–(1) ऑन एण्ड फोर्म दि अप्वाइंटेड डे, दि सिटिंग मेम्बर्स आफ दि लेजिस्लेटिव कौंसिल ऑफ दि इग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश स्पेसी फाइड इन द फोर्थ शेड्यूल टु दिस ऐक्ट सेलसीज टु बी मेम्बरस ऑफ दैट काउन्सिल एण्ड सेल बी डीमन्ड टु बी दि मेम्बर्स ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव एसेम्बली।"

यानी 9 नवम्बर के बाद जो काउन्सिल के मेम्बर हैं वह भी विधान सभा के सदस्य मान लिये जायेंगे। क्योंकि इसमें डीमन्ड टु बी लिखा है और डीमन्ड टु बी का अर्थ आप डिक्शनरी में भी देख सकते हैं। इसलिए यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता। आपने इतना समय व्यय किया और हमारे ज्ञान में वृद्धि की इसके लिए धन्यवाद। ऐसा लगता है कि आपने बहिन इंदिरा जी से पूछे बिना यह सवाल उठाया।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको भी ग्राहयता पर सुन लिया और माननीय नेता सदन को भी सुन लिया है। मैं इस पर अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूं।

सत्र के दौरान शासन द्वारा किसी नीतिगत विषय की सदन के बाहर घोषणा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी नियम 300 के माध्यम से मैंने एक औचित्य का प्रश्न उठाया है और उस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ। यह सत्र का सदन आहूत हुआ 12 जनवरी को और इस सदन के अंदर तीन दिन के अवकाश के बाद यह सदन पुनः बैठा इस दौरान 13 जनवरी को नगर निगम के प्रेक्षा गृह में राज्य संयुक्त कर्मचारी संघ का एक सम्मेलन हुआ और वहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि हम उत्तरांचल राज्य के कर्मचारियों को समयबद्ध वेतनमान भी देंगे और जो कर्मचारी अच्छा कार्य करेंगे उन्हें हम सम्मानित भी करेंगे और यह भी कहा कि एक वेतनवृद्धि भी दी जायेगी। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारे नेता सदन हैं उनका एक लम्बा संसदीय अनुभव रहा है और जिस पीठ पर आप विराजमान हैं उस पीठ पर वह भी वर्षों तक विधान परिषद् में सभापति के रूप में विराजमान रहे और उनके सामने भी अनेकों बार इस तरह के प्रश्न आये होंगे। उनसे हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते थे कि जो हमारी परम्परायें हैं उनका वायलेशन नेता सदन के द्वारा होगा। इस सम्बन्ध में 10 फरवरी, 1986 को उत्तर प्रदेश की विधान सभा मे एक प्रश्न उठाया था माननीय शतरूद्र प्रकाश जी ने, औचित्य के प्रश्न को उठाते हुए अपनी बात को उन्होंने सदन में रखा था। उस पर अध्यक्ष जी यह भी निर्णय हुआ था, यदि सत्र होने के उपरान्त या सदन के दौरान शासन द्वारा कोई नीतिगत विषय की घोषणा सदन के बाहर की जाय तो यह औचित्य का प्रश्न बनता है। शासन द्वारा उसमें लिखा गया था और यहां जो नेता सदन हैं और शासन के मुखिया हैं उनके द्वारा यह घोषणा की गयी है। माननीय नेता सदन एक वरिष्ठ नेता हैं और उनसे हम परम्परायें सीखते हैं और उनका एक लम्बा अनुभव भी रहा है इसलिए जो उन्होंने 13 तारीख को घोषणा की है सम्मेलन में उस औचित्य के प्रश्न पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा यह कोई नियमों और संविधान के विपरीत विषय नहीं है और दूसरी बात फिर मैं यह कहूंगा कि वहां पर जो भी कोई घोषणा हुई है वह कोई नीतिगत विषय नहीं है। अगर कोई घोषणा हुई है, मैं तो नहीं जानता सामान्यतः मैं यह कहता हूँ कि इन सब विषयों पर सकारात्मक विचार किया जायेगा, परन्तु यदि कोई हुई भी है तो यह हम लोगों का प्रतिदिन का काम है और उसके अंदर हम घोषणायें करते रहे हैं। शासन की नीति का सवाल नहीं है अब जैसे डी0ए0 है, वह तो उनको मिलना ही है। समयबद्ध वेतनमान मिलना है जो शासन की सामान्यतः मजबूरी है। इसके अंदर कोई नीति नहीं है। नीति अगर कोई होती है जिसके अंदर हम कोई नया काम करने जा रहे हैं और कोई नीति बना रहे हैं इस प्रकार के नीतिगत विषय की घोषणा नहीं हुई है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, अभी नेता सदन ने कहा कि नीति नहीं है। समयबद्ध वेतनमान की बात मुख्य मंत्री जी ने भी कही और यह भी कहा कि जो अच्छा काम करेंगे उन्हें एक इन्क्रीमेन्ट दिया जायेगा। सरकारी कर्मचारियों की जो सेवा और शर्त हैं उसमें इसका कहीं उल्लेख नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह नीति संबंधी घोषणा है इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, जो अच्छे कार्यकर्ता हैं उनको इन्सेंटिव देने में कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

क्योंकि स्वस्थ परम्परा यही है कि नीतिगत घोषणायें सदन में होनी चाहिए। यदि कोई घोषणा हुई हो या नहीं हुई हो आइन्दा सत्र के दौरान जो भी घोषणायें हों वह सदन के अंदर हों।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर पलिका अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तरांचल आकस्मिकता निधि विधेयक, 2001

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं राजस्व मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल, आकस्मिकता निधि विधेयक, 2001 को पुनःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल, आकस्मिकता निधि विधेयक, 2001 को पुनःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री रमेश पोखरियाल निशंक–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल आकस्मिकता निधि विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूँ।

कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001

कृषि, पशुपालन, चीनी उद्योग, सहकारिता, गन्ना विकास मंत्री (श्री वंशीधर भगत)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री वंशीधर भगत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूँ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–56 के अन्तर्गत 3 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

*श्रीमती इंदिरा हृदयेश–

मान्यवर, उत्तरांचल प्रदेश के उद्यमी और व्यापारी जनवरी, 2001 के प्रथम सप्ताह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

तक भी व्यापार कर निर्धारण की समस्या हल न हो पाने के कारण आन्दोलित हैं। दिनांक 24 नवम्बर, 2000 को उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें उल्लेख है कि उत्तर प्रदेश में व्यापार कर अदा करने वाले माल पर केन्द्रीय व्यापार कर 31 मार्च, 2001 तक नहीं लगेगा। इस प्रकार राज्य गठन की तिथि 9 नवम्बर, 2000 से 23 नवम्बर, 2000 के बीच जो भी खरीद हुई उस पर केन्द्रीय व्यापार कर देय होगा इस अवधि की खरीद अधिनियम की धारा 28 ए में अपराध है। इस अपराध के लिए दण्ड का प्राविधान इसी अधिनियम की धारा 15 ए (ओ) में किया गया है। जिसमें कहा गया है कि यदि धारा 28 ए का उल्लंघन कर, माल लाया गया है तो माल की फेस वैल्यू का 40 प्रतिशत या कुल बनने वाले कर का तीन गुना जो भी ज्यादा होगा, जुर्माने के रूप में वसूल किया जायेगा। 24 नवम्बर, 2000 की नई अधिसूचना में 9 नवम्बर, से 23 नवम्बर, 2000 के बीच हुई खरीद के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। जब कर का निर्धारण होगा, तब व्यापारियों के सामने जुर्माने की समस्या आयेगी। 24 नवम्बर, 2000 की अधिसूचना में कोई राहत नहीं है। यदि किसी माल पर उत्तर प्रदेश में व्यापार कर दिया जा चुका है, तो केन्द्रीय व्यापार कर नहीं लिया जायेगा, इस प्रकार उत्तर प्रदेश अपने राज्य में व्यापार कर लेने के बाद ही माल को केन्द्रीय व्यापार कर से मुक्त करेगा। व्यापारी को इसका लाभ तभी मिल सकता है जबकि उत्तरांचल सरकार इस पर कोई कर न वसूले। यदि उत्तरांचल सरकार भी अपने राज्य में माल की बिक्री पर कर लेती है तो व्यापारियों, उद्यमियों, उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भार से कोई नहीं बचा सकता है।

यदि उद्यमी उत्तर प्रदेश में कर देने के बाद माल लाकर किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो केन्द्रीय व्यापार कर नहीं पड़ेगा। यदि तैयार माल को उत्तर प्रदेश में स्टाक करता है तो भी यह कर नहीं लगेगा। लेकिन जब स्टाक से बिक्री होगी तो उस राज्य का व्यापार कर एक बार फिर अदा करना होगा। इस प्रकार दोहरे व्यापार कर की मांग से उद्यमी और व्यापारी परेशान हैं। सबसे ज्यादा समस्या इस मामले में राइस मिल्स के सामने है। उत्तरांचल में लगभग 250 मिलों को धान की आपूर्ति उत्तर प्रदेश से होती है। धान पर व्यापार कर लागू नहीं है। खरीद पर 4 प्रतिशत केन्द्र व्यापार कर व ढाई प्रतिशत मण्डी शुल्क देय होगा। उत्तरांचल में चावल की इतनी ज्यादा खपत नहीं है। अतः चावल को बाहर भेजने पर पुनः 4 प्रतिशत केन्द्रीय कर व ढाई प्रतिशत मण्डी शुल्क अदा करना होगा। इसके अतिरिक्त उत्तरांचल में धान लेने पर ढाई प्रतिशत मण्डी शुल्क यहां की सरकार लेगी। इस प्रकार राइस मिलों को साढ़े पन्द्रह प्रतिशत कर अदा करना होगा। अभी तक यह राइस मिलें साढ़े छः प्रतिशत अदा कर रही हैं।

इस प्रकार मौलिक मुद्दों पर बिना विचार-विमर्श के अलग राज्य के गठन होने से उत्तरांचल राज्य के उद्यमी, व्यापारी और उपभोक्ता परेशान हैं। व्यापारियों ने अपना माल मंगाना बंद कर दिया है, फलस्वरूप जीवन रक्षक दवाओं, राशन, सीमेन्ट आदि का अभाव हो गया है। खुदरा कीमतें आसमान छूने लगी हैं। जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। जन जीवन त्रस्त है सरकार की उदासीनता से जनता में रोष है। स्थिति विस्फोटक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करने के लिए यह सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।

मान्यवर, मेरे पास राइस मिल के लगातार टेलीफोन आ रहे हैं और उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी से भी मिलने की इच्छा जाहिर की है और उत्तरांचल को भी अपनी आय के साधन बढ़ाने हैं स्थिति यह है कि ऊधमसिंह नगर की राइस मिलर्स बिलासपुर में जमीन लेनी शुरू कर दी है। मान्यवर, बहुत से राज्य ऐसे हैं जैसे महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में शून्य कर प्रणाली लागू होने के बावजूद भी उनकी आय में कोई फर्क नहीं आया इसलिए ऐसे राज्यों से सम्पर्क कर कोई कार्य योजना बनायी जाय ताकि राज्य के आय के स्रोत भी प्रभावित न हों, व्यापारी भी प्रभावित न हों, राइस मिलर्स भी प्रभावित न हों और उपभोक्ता भी परेशान न हों। इसलिए मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाय।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं राजस्व मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, जहाँ तक दोहरे कर का प्रश्न है, हमारे इस राज्य में दोहरे कर की प्रणाली नहीं है और न ही किसी सामग्री के लिये दोहरा कर लिया जा रहा है। हाँ, जहाँ तक प्रश्न इस बात का है क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य अलग–अलग हो गये हैं। स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश की अपनी कर नीति होगी और उत्तरांचल की अपनी कर नीति होगी लेकिन दोहरा कर हमने अपनाया है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यह भी आपके संज्ञान में लाना उचित समझता हूँ कि उत्तरांचल के व्यापारियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ और विभिन्न व्यावसायिक लोगों माननीय मुख्य मंत्री जी के सानिध्य में भी और मैंने स्वयं अलग–अलग करके बात की है। बहुत सारी समस्याओं का समाधान कराया जा चुका है। उत्तर प्रदेश से भी हम कुछ समय के लिये अपेक्षित सहयोग चाहते थे और उत्तर प्रदेश ने सहयोग भी दिया। कच्चे माल से संबंधित कुछ कठिनाइयाँ थी। कच्चा माल उत्तर प्रदेश से आता है, उन पर 4 प्रतिशत केन्द्रीय कर न पड़े, इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही एक शासनादेश जारी किया है और उसी क्रम में हमने भी जारी किया है। यूनिट्स प्रभावित न हों उस दिशा में भी उत्तर प्रदेश में जाकर के वहाँ अधिसूचना जारी हुई और उसी क्रम में हमने भी अधिसूचना जारी कर दी है 20 नवम्बर और 28 दिसम्बर, को जिससे उनकी जो कठिनाइयाँ है, वह दूर हुई हैं। श्रीमन्, हमारी कोशिश यह भी है कि इस राज्य की जो राजस्व है, यह स्वाभाविक है कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसके कर का है। नवोदित राज्य है। हम यह भी नहीं कर सकते कि पूरी तरह से छूट दें। हमारा पूरा ध्यान इस ओर है। हम यहाँ के व्यापारियों को दोहरे कर के भार से नहीं दबने देंगे। हमारी कोशिश यह भी है कि जो दवाइयों की बात है, सीमेन्ट की बात है और आम जनता के उपयोग की बात है, अभी तक श्रीमन्, 225 डिपोज खुल गये हैं, जिस दिन पूरे डिपोज खुल जायेंगे उस दिन अपने आप दोहरा कर समाप्त हो जायेगा। शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ डिपो न खुला हो। जहाँ तक राइस मिलर्स की बात है जो 4 प्रतिशत कर की बात है, उसमें तो हमने पहले ही छूट दे दी है। हम उनके साथ बैठेंगे और बात करेंगें ताकि हमारे डिपोज प्रभावित न हों।

श्रीमती इंदिरा हृदयेश–

मान्यवर, शासन की तरफ जो पहल होनी चाहिये, कोई भी इस तरह का प्रयास नहीं किया जा रहा है। व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर असर पड़ रहा है। लगातार टेलीफोन आ रहे हैं। कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिये। इसलिये इस पर गम्भीर विचार करें।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, यदि यह अधिसूचना जारी नहीं हुई होती तो तब आप कहती। यह सभी अधिसूचनायें 9 तारीख के बाद की ही हैं। व्यापारियों को कोई परेशानी न हो, इस दिशा में ठोस कदम उठाये जा रहे हैं। मंगलौर गुड़ मण्डी पर जो ढाई प्रतिशत का कर लगाया गया था उसे हमने डेढ़ प्रतिशत कर दिया और उसे हम एशिया की नम्बर वन मण्डी बनाने जा रहे हैं। 225 से ज्यादा डिपोज खुल चुके हैं परन्तु हमें उत्तरांचल में किसी को भी चोरी करने की इजाजत नहीं देंगे। अब जैसे तेल का डिपो नहीं खुला था यह जो 4 प्रतिशत केन्द्रीय कर है, भारत सरकार से बात हो गई है, वह स्वयं 4 प्रतिशत कर अपने आप करेंगे। यह सरकार व्यापारियों के प्रति संवेदनशील है और कार्य भी कर रही है। यदि कहीं पर कोई कमी होगी तो हम मिल बैठकर उसका समाधान ढूँढ लेंगे।

श्रीमती इंदिरा हृदयेश–

यदि 9 से 23 के बीच में कोई अधिसूचना जारी हुई है तो उसे सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री अध्यक्ष–

सदन के पटल पर अभी सूचना तुरन्त नहीं रखी जा सकती है।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मैं उपलब्ध करा दूँगा।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सूचना को अस्वीकृत करता हूँ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। वित्त विहीन पोषित पाठ्यक्रमों को स्व-वित्त पोषित किये जाने के कारण शुल्क में वृद्धि से उत्पन्न की स्थिति के संबंध में है। पहले शासन द्वारा जिन स्कूलों को और जिन महाविद्यालयों को अनुदान नहीं दिया जाता था, उनको मान्यतायें वित्त विहीन दी जाती थी और ऐसा ही हमारे यहाँ हरिद्वार में मात्र नगर में एक पोस्ट ग्रेज्युएट कॉलेज है एस0एम0जे0एन0 पोस्ट ग्रेज्युएट कालेज है और उसमें भी हिन्दी और राजनीति शास्त्र में 29 अगस्त को अस्थायी मान्यता वित्त विहीन दी गई थी। यह कुलाधिपति विशेष सचिव अनीता सिंह के द्वारा दो वर्ष के लिये दी गई थी। मान्यवर, उसी आधार पर छात्रों ने प्रवेश लिया कि मान्यता विहीन है और शुल्क जो हमको देना पड़ेगा वह पहले से चली आ रही एक हजार रुपए प्रति वर्ष देना पड़ेगा। लेकिन अगले ही दिन 30 अगस्त को श्री सुधीर कुमार, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया, जिसकी संख्या 15601/70–6/2000–5–57/99 जारी किया गया। जिसके माध्यम से शुल्क में अप्रत्याशित वृद्धि कर दी गई और मान्यवर, यह वृद्धि अगर मैं आपको

बताऊँ तो आप भी आश्चर्य चकित होंगे। शिक्षण शुल्क 5000 रुपए, परीक्षा शुल्क 820 रुपए स्नातकोत्तर कक्षाओं में और 670 रुपए स्नातक कक्षाओं में, कुल मिलाकर 500 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क और इसी प्रकार कला संकाय और वाणिज्य संकाय उनके लिए यह शुल्क वार्षिक 6300 रुपये से अधिक हो गया है।

इसके साथ-साथ अगर विज्ञान के विद्यार्थियों की स्थिति देखें तो उनके प्रयोगात्मक शुल्क 200 रुपये स्नातकोत्तर और 50 रुपये स्नातक कक्षाओं में बढ़ा दिया गया है। इससे भारी असुविधा हो रही है। जिनको यह उम्मीद थी कि एक हजार रुपये प्रति वर्ष देना पड़ेगा, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वह आज बहुत दुविधा में हैं और उनके माता-पिता इसे एफोर्ड नहीं कर सकते एक हजार की जगह 6300 रुपये फीस अदा नही कर सकते। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हिन्दी और राजनीतिशास्त्र में पोस्ट ग्रेज्युएट को मान्यता 29 अगस्त को मिली थी जो इस शासनादेश से पहले मिली थी। इस शासनादेश में रिट्रोस्पेक्टिव भी नहीं लिखा है इसके बावजूद भी छात्रों से भारी फीस वसूल की जा रही है और इसका परिणाम यह हो रहा है कि रुड़की हमारे जिले का दूसरा नगर है वहां पर भी एक मात्र पोस्ट ग्रेज्युएट कालेज है और हरिद्वार नगर में भी एक मात्र पोस्ट ग्रेज्युएट कालेज है। वहां पर स्ववित्तपोषित लागू कर दिए जाने से छात्रों में भयंकर असंतोष है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम न्यूनतम गरीबी की रेखा से जिनकी आय नीचे है उसको आप मानते है कि 11800 रुपये प्रति वर्ष और जो आय कर अदा करते है उसे हम 40000 रुपये प्रतिवर्ष मानते हैं। इस प्रकार 500 रुपये अधिक फीस यदि देनी पड़े तो, वह लोग अपना गुजारा कैसे कर सकते हैं। जिन परिस्थितियों में आज उत्तरांचल में है और आज जो हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति है।

मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बढ़ी हुई फीस को तत्काल वापस लिया जाय, पेस्तर इसके कि कोई छात्र आन्दोलन हो, छात्र सड़कों पर आयें, और उनके अभिभावक सड़कों पर आये और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े उसके पहले ही इस बढ़ी हुई फीस को वापस लिया जाना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक हजार रुपये फीस जो पिछले बीस वर्षों से चली आ रही है उसे कायम रखा जाय। लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है कि 600 परसेन्ट फीस बढ़ा दी जाय। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए इसलिए आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है इसलिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करके इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)-

मान्यवर, मेरी ऐसी कल्पना थी, मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य बहुत विज्ञ सदस्य हैं कि आप यह भली प्रकार जानते हैं कि हरिद्वार में जो कालेज है वह मेरठ विश्वविद्यालय, जिसका नाम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, उससे सम्बद्ध है और आपने स्वयं यह भी कहा कि यह फीस उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ायी है। इसलिए मान्यवर जब तक यह कालेज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है तब तक उसके अन्दर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम लोग जल्दी इस बात का प्रयत्न करेंगे कि इनकी जो सम्बद्धता है वह गढ़वाल विश्वविद्यालय से करें। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन कर दूं कि जहां तक इस सरकार के सोचने के ढंग का सवाल है हमने जो फीस, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की जो विभिन्न कालेज में दुगनी कर दी गयी थी, उसको हमने शासन

सम्भालते ही आधा कर दिया। तो आप इस सरकार से यह उम्मीद रखिये कि यह सरकार जनप्रिय है और जनता के पक्ष में निर्णय करेगी और आपकी राय से हम इसे करेंगे यह मैं आपको आश्वस्त करता हूँ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी जैसा अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि चूंकि यह महाविद्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध है और शासनादेश भी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया है। इसलिए मेरा आपसे यह अनुरोध है कि जो छात्र प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि अभी पंजाब में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ जो किसान प्रभावित थे तो केन्द्र सरकार ने उनको सब्सिडी दी और किसानों के दुखः तकलीफ को दूर करने का काम किया इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार जो हमारे यहां दो मात्र पोस्ट ग्रेज्युएट कालेज हैं, तो शासन उनको कुछ सब्सिडी दे ताकि यह छात्र आगे अध्ययन कर पायें। यह मैं अनुरोध करना चाहूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

छात्रों को सब्सिडी देने का हमारा कोई विचार नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी गढ़वाल विश्वविद्यालय से हम सम्बद्ध करें।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना को अस्वीकृत किया जाता है। अगली सूचना श्री मुन्ना सिंह चौहान जी की है।

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी इस कार्यस्थगन के प्रस्ताव के माध्यम से मैं उत्तरांचल के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित और तन्मयता के साथ लम्बे समय से स्कूल चल रहे हैं आज हमें यह गौरव हासिल है कि उत्तरांचल की, जो हमारी मदर स्टेट है उससे हमारी साक्षरता दुगना देने का है। जहां एक तरफ सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी महकमें में योगदान की बात है वहीं पर उत्तरांचल की विषम भौगोलिक परिस्थिति के बावजूद भी इन अशासकीय विद्यालयों का भी योगदान है जो कि पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक स्तर के हैं। जो जैसे तैसे अपने संसाधनों के साथ इन विद्यालयों को संचालित करते रहे हैं। नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं। शिक्षा की अनिवार्यता के बारे में इस सरकार ने जो कदम उठाये हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संवेदनशीलता प्रदर्शित की है निश्चित रूप से वह तारीफे काबिल है। उससे जाहिर होता है कि सरकार वास्तव में शिक्षा से जुड़ी जो कठिनाइयां हैं उनके प्रति बहुत संवेदनशील है।

माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कई मरतबा मुझे भी कई जगह कार्यक्रमों में रहने का अवसर मिला, बहुत उदारता पूर्वक सारे हिन्दुस्तान में पहले पहली मर्तबा होगा जिसे इस सरकार का ऐतिहासिक फैसला कहा जा सकता है कि हम नागरिक सुविधाओं के साथ शिक्षा को जोड़ेंगे, प्राथमिक शिक्षा में जो अभिभावक योगदान नहीं करेंगे उनकी नागरिक

* वक्ता नें भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

सेवाओं को कर्टेल कर दिया जायेगा। इसे मैं एक क्रान्तिकारी कदम मानता हूं। मान्यवर, दिये तले अंधेरे का काम हो रहा है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में विधान सभा और विधान परिषद् में एक मत होकर उत्तरांचल विभाग से जिसे श्री "निशंक" जी और श्री कंडारी जी देख रहे थे, निरन्तर मांग करते आ रहे है, कि उत्तरांचल के जो अर्द्धशासकीय पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं, उनको अनुदान सूची में लिया जाये क्योंकि उनकी माली हालत ऐसी नहीं है कि वह आज की तारीख में सेल्फ सपोर्टिंग हो सकें। उन विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापक आज की तारीख में उन बच्चों से फीस नहीं ले सकते, क्योंकि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र गरीब वर्ग के हैं। आज स्थिति यहां तक पहुंची है, यद्यपि हम दूसरे सदन का संज्ञान नहीं लेते। लेकिन फिर भी कुछ मायने में जो हमारी पेरेन्ट स्टेट है और हमारा हक भी है हम लोगों ने वहां पर दबाव बनाया और तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए उस पर वित्त विभाग ने अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया था कि कम से कम उत्तरांचल के 30 विद्यालयों को अनुदान सूची में ले लिया जाय। परन्तु यह एक संयोग है कि उस निर्णय के कार्यान्वित होने से पहले ही यह प्रदेश अस्तित्व में आ गया और वह विद्यालय अनुदान सूची में आने से वंचित रह गये आज स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि उन विद्यालयों के अध्यापक और अध्यापिकायें विधान सभा के सामने आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं।

एक शिक्षक श्री बिष्ट जी, जो प्रबन्ध तन्त्र में भी होंगे उनको पुलिस द्वारा उठवा लिया गया। मान्यवर, मैं यह कह रहा हूँ कि कोई वित्तीय भार भी नहीं है ऐसे विद्यालयों के बारे में कोई विवाद भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि उनके मैनेजमेण्ट में कोई फ्राड हो रहा हो, जिसके लिए हम सब लोगों ने एक मत हो कर कहा और माननीय नेता सदन जो यहां पर मौजूद हैं, उनका भी समय-समय पर मार्गदर्शन मिला, उनका संरक्षण भी मिला, इस मांग को बढ़ाने के लिए कि इन पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया जाना चाहिए। इसलिए मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, तीस विद्यालयों का मामला है और दूरदराज के गांवों में रहने वाले बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। आज वहां के शिक्षक भुखमरी के कगार पर हैं और आन्दोलनरत हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इस विषय पर स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए कि हम उन विद्यालयों को अनुदान सूची में लेंगे और मान्यवर, आपकी पीठ से भी सरकार को निर्देश होना चाहिए। इसलिए आज सदन की शेष कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायी जाय।

श्रीमती इंदिरा हृदयेश–

मान्यवर, वैसे तो माननीय मुख्य मंत्री जी काफी संवेदनशील हैं और हम लोग भी सम्पर्क में रहे हैं मैं यह कहना चाहती हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र में वित्त विहीन मान्यताएं न दी जायं। जो भी विद्यालय दिया जाय उसे अनुदान सूची पर लेकर ही दिया जाय। यहां पर केवल 30 विद्यालयों का सवाल है। वे लोग धरने पर बैठे हुए हैं यदि माननीय मुख्यमंत्री जी एक साथ अनुदान सूची में उनको न ला पायें तो एक टोकन के रूप में घोषणा कर दें ताकि हम भी उनसे कह सकें कि अनुदान सूची में लाने की प्रक्रिया चल रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मुझे प्रसन्नता तो हुई कि श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी ने अध्यापकों के लिए

बोला। अभी तक तो वह व्यापारियों के बारे में बोल रही थीं। यह कोई ऐसी बात नहीं है और न ही इसमें कोई दो राय है आप ने स्वयं भी माना कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है और वह आपसे छिपी हुई भी नहीं है। हमारा यह कर्तव्य है कि जो वित्त विहीन विद्यालय हैं उन्हें वित्त सहित मान्यता दें परन्तु उसमें कुछ समय लग सकता है। 30 विद्यालयों का नाम लिया गया उसकी सूची भी वह हमको दे दें तो हम उसे दिखवा लेंगे कि वह मानक के अन्तर्गत आते हैं या नहीं। श्री चौहान जी से और बहिन इंदिरा जी से मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारी बहिनें बाहर बैठी हुई हैं उनसे आप भी अनुरोध करें कि यह कोई आन्दोलन का समय नहीं है जितने भी संगठन हैं सभी ने हमको आश्वस्त किया है कि हम दो साल तक आन्दोलन नहीं करेंगे। हम सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे हो सकता है दो साल की जरूरत न पड़े। हम दो साल के अन्दर ही काम करना शुरू कर दें। लेकिन आज हमारी स्थिति ऐसी नहीं है और हमें योजना आयोग से स्वीकृति भी नहीं मिली है और जो हमारे घाटे का गैप है उसकी भी पूर्ति नहीं हुई है। मैं स्वयं और माननीय वित्त मंत्री जी निरन्तर केन्द्र सरकार से बात कर रहे हैं। 19 तारीख का समय तय कर लिया है कि हम वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। यह जो हमारे शिक्षक हैं अपने ही हैं हम इनमें कोई अंतर नहीं रखना चाहते हैं। इसलिए मैं बहिन इंदिरा जी से अनुरोध करूंगा कि वह उन्हें समझायें और हम प्रयास करेंगे कि वित्त सहित मान्यता देने का।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, जिन विद्यालयों की बात मैंने की उनकी सम्पूर्ण पत्रावली कन्सट्रक्ट हो चुकी है। उनसे कहा जा रहा है वह फाइल नष्ट कर दी गयी है परन्तु ऐसा नहीं होगा मेरा अनुरोध है कि आप यह तो कह दें कि एक वर्ष की अवधि में या दो वर्ष की अवधि में उन्हें हम अनुदान सूची में ले लेंगे। तभी तो उनको संतोष होगा और एक आधार बनेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मैंने कहा कि यथाशीघ्र कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब हम तीन बजे तक के लिए उठते हैं।

(सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के उपरान्त अपरान्ह 3 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

उत्तरांचल विधान सभा के प्रथम सत्र में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि –

"यह सदन माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने राज्य की अनन्तिम विधान सभा के समक्ष दिनांक 12 जनवरी, 2001 को दिया है, कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने इस ऐतिहासिक दस्तावेज में, उत्तरांचल का पहला अधिवेशन है, इसमें अपने इस अभिभाषण को पेश किया है। इस ऐतिहासिक दस्तावेज में सारे उत्तरांचल का ऐसा विकास होगा, उसका आर्थिक नियोजन कैसा होगा, कार्यान्वयन कैसा होगा, किस रूप में उसे किया जायेगा, उन तमाम सम्भावनाओं की तरफ, जो यहाँ की सम्पदा है, उनका नियोजन कैसा हो और उस नियोजन का यहाँ के उत्तरांचल के विकास में योगदान हो, चहुँमुखी विकास हो, उस रूप में इस दस्तावेज को प्रस्तुत किया है। उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ।

महामहिम राज्यपाल जी ने उन शहीदों को इस सदन के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिन शहीदों ने अपने बलिदान से त्याग से उत्तरांचल को बनाने में अपना योगदान दिया है, मैं अपनी ओर से तथा इस सदन की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मान्यवर, एक लम्बा 50 साल की कहानी है, जिससे हमें आज उत्तरांचल मिला। 1952 में कांग्रेस के पी० सी० जोशी जी ने, उत्तरांचल की विशेष भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को देखते हुए अलग राज्य की मांग की थी और राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष अपनी बात रखी थी। उसके बाद क्रमवार टी० के० पाण्डेय, डी० डी० पन्त, स्वर्गीय प्रताप सिंह, श्री त्रेपन सिंह नेगी, श्री शोभन सिंह जीना और स्वर्गीय बडौनी जी ने और भी बहुत से लोगों ने समय–समय पर उत्तरांचल की मांग को रखकर जन आन्दोलन का आधार बनाया।

1994 में यह महसूस किया गया जब सारी जनता ने उत्तरांचल में रहने वाले चाहे वह जिस वर्ग के हों, धर्म के हों, और सम्प्रदाय के हों हमारे नौजवानों ने बलिदान भी दिया। इस बलिदान देने के बाद यहाँ की जो मातृ शक्ति है, युवा शक्ति है और छात्र शक्ति है और हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने संघर्ष किया, जिसमें कई लोग बलिदान भी हुए। चाहे वह खटीमा का काण्ड हो, मुजफ्फरनगर का काण्ड हो,मसूरी का काण्ड हो या श्रीनगर का काण्ड हो। यह एक सारी कहानी है जिसके रूप में आज यह उत्तरांचल हमको मिला। हम सबको मिलकर इसका आर्थिक नियोजन करना है, इसको एक नई दिशा देनी है और इसको समृद्ध राज्य बनाना है, जिससे कि यहाँ के लोगों की आशायें और अपेक्षाओं की पूर्ति हो सके। हम सब जानते हैं कि हमारे उत्तरांचल में संसाधनों की कमी नहीं है अगर हम इनका सही ढंग से आर्थिक नियोजन करें तो मैं समझता हूँ कि यह राज्य सारे देश में आगे बढ़ सकता है और इसका सर्वांगीण विकास हो सकता है।

उत्तरांचल की जो मुख्य सम्पदा है वह है जल। जल सम्पदा के रूप में जो हमारी विद्युत परियोजनायें बनती हैं, जिसकी क्षमता को 35 हजार से 40 हजार मेगावाट तक माना गया है, यदि हम ऐसा कर पाये तो निश्चित रूप से हमें बहुत अधिक लाभ मिलेगा। जैसे टिहरी डैम योजना है, मनेरी भाली योजना है, विष्णु प्रयाग योजना है और श्रीनगर परियोजना है इसके अतिरिक्त 400 जो हमारी लघु विद्युत योजनायें हैं, यदि हमने इन योजनाओं पर काम किया और जिनकी उत्पादन क्षमता 1100 मेगावाट है परन्तु वह हमें 300–400 मेगावाट बिजली दे रही हैं, जिनकी मशीनें पूरी हो गई हैं, यदि हम उनका पुनरुद्धार कर दें तो हमें 2000 मेगावाट विद्युत मिल सकती है और हमारी आमदनी भी 3 हजार करोड़ रुपए तक बढ़ सकती है। इसी तरह से हमारी बड़ी सम्पदा है जल यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा साधन है, जब टिहरी डैम बन रहा था और रूसी इंजिनियर यहां आये थे, जब उन्होंने अलकनन्दा के पानी को बहते हुए देखा और गंगा के पानी को बहते हुए

देखा तो उन्होंने यह कहा कि यह तरल गोल्ड है यदि इसका प्रयोग किया जाय तो हमारा सारा इलाका सम्पन्न हो सकता है। यही नहीं हमारी गंगा और जमुना मिलकर के सारे प्रदेश को सींचती हैं, अगर हमने इसका सही नियोजन किया तो हमारी आय बढ़ेगी।

तीसरी बात यह है कि 2025 में जल का बहुत बड़ा संकट दुनिया में होगा और उस समय सबसे कीमती पदार्थ होगा पानी, और उस समय हमारे पास शुद्ध पानी होगा तो हम सारे देश को पेयजल भी उपलब्ध करा सकते हैं, और विदेशों में भी बोटलिंग करके बाहर भेज सकते हैं। मान्यवर, पर्यटन में भी हमारे यहां अपार सम्भावनाएं हैं प्रकृति नें हमें बहुत ही प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थान दिए हैं। अगर हम देखें जो हमारा यह हिमालय है जहां पर बर्फ है, ग्लेशियर है, बुग्याल है, वहीं फूलों की घाटी है और जगह-जगह पर पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारे सरोवर हैं अगर हम इन सबका इण्टरनेट के माध्यम से प्रचार प्रसार कर सकें तो हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं हमें ऐसे स्थानों को चिन्हित करना चाहिए और इसके लिए हम एक ग्रिड बनायें। प्रकृति ने हमें विविध जीव-जन्तु दिए हैं, यदि सारे उत्तरांचल को हम देखें तो जहां हिमालय के क्षेत्र ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है, वहां दुर्लभ सफेद बाघ पाया जाता है और उसी के साथ कस्तूरी मृग है। हमारे पास फूलों की घाटी है यदि हम इन स्थानों को और सौन्दर्य प्रदान करें तो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हैं और जिससे हमारे यहां आय बढ़ सकती है। जहां तक पर्यटन का सवाल है, मैं समझता हूं, यदि हम नियोजित तरीके से काम करें तो हम दुनिया में सबसे आगे बढ़ सकते हैं, तीर्थाटन की बात करना चाहता हूं। श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, नानक मथा, हेम कुण्ड साहिब, पिरान शरीफ की मजार जहां न केवल हिन्दुस्तान से बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं हर वर्ष मंदिरों मस्जिदों और गुरूद्वारे में आते हैं। इसका भी हमारे प्रदेश में आर्थिक विकास में सबसे बड़ा योगदान होगा उसके नीचे जब हम जाते हैं तो हमारे पास 70 प्रतिशत जंगल हैं, विभिन्न प्रकार के जंगल हैं, चाहे वह ऊपरी हिमालय के क्षेत्र का जंगल हो या मध्य हिमालय का क्षेत्र हो या जो फुट हिल्स के जंगल हैं, जहां पर जैव विविधता है यदि हम उनका सही तरह से दोहन कर सकें, संरक्षण और संवर्धन कर सकें, तो वह हमारे पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र होगी जिससे हमारी आय बढ़ेगी।

इसी के साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो हमारी नदियां हैं जिसमें कुछ वर्ष पहले हिलैरी ने गंगा से लेकर हिमालय तक की यात्रा और कर्णप्रयाग तक की यात्रा की थी ऐसे जो ऐतिहासिक खेल हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं। स्केटिंग हम करवा सकते हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की बात हमारी सरकार ने की है। मैं समझता हूं कि उद्योग का दर्जा मिलने के बाद जो हमारी विकास की सम्भावनाएं हैं वह और बढ़ जायेंगी। हमारे यहां बहुत अच्छे अभयारण्य हैं चाहे वह नेशनल कार्बेट पार्क हो, चाहे वह राजाजी पार्क हो, चाहे नन्दा देवी पार्क हो, उनमें हम समुचित रूप से पर्यटन का योगदान कर सकते हैं और जो हमारे यहां के बेरोजगार लोगों को रोजगार दे सकते हैं। हमारे प्रदेश के अलग आयाम हैं। इसलिए हमें उनके विकास के लिए अलग-अलग रणनीति बनानी होगी, कृषि नीति बनानी होगी, जल नीति बनानी होगी, उद्योग नीति बनानी होगी, शिक्षा नीति बनानी होगी। यदि हम इन सभी नीतियों का सही ढंग से कार्यान्वयन कर पाये तो मैं समझता हूं कि हमारा प्रदेश सबसे सम्मृद्ध प्रदेश बन सकता है। वन नीति के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां विभिन्न औषधियां पायी जाती हैं और जड़ी बूटियां पायी जाती हैं उसी के आधार पर हम उद्योग लगा सकते हैं। हमारे पास केवल 12 प्रतिशत भूमि

ऐसी है, जो हमारी खेती वाली भूमि है और बाकी भूमि पहाड़ की घाटियों में बिखरी हुई है। इसलिए हमें पहाड़ों के अनुरूप और वहां की जलवायु के अनुरूप औषधियों और फलों की खेती करनी चाहिए और जो मौसमी साग सब्जियां हैं उन्हें पैदा करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जहां–जहां पर जिस चीज की सम्भावना हो सकती है उसका हम व्यापक सर्वे करावायें। जैसा कि हिमाचल प्रदेश में हार्टिकल्चर ने डेवलप किया उसी तरह से हम यहां भी डेवलप कर सकते हैं।

शिक्षा नीति के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि सबको शिक्षा देंगे। शिक्षा हमारे पहाड के लोगों की प्राथमिकता है। चाहे प्राइमरी स्कूल हों, हाई स्कूल हों या डिग्री कालेज हों, मैं समझता हूं कि हमारे जगह–जगह पर जो शिक्षण केन्द्र हैं जैसे यहां देहरादून में स्कूल हैं और मसूरी में स्कूल हैं और नैनीताल में स्कूल हैं, अगर हम अपनी संस्थाओं में शिक्षा को विज्ञान से जोड़कर काम करें तो यह हमारे लिए आय का एक सबसे बड़ा स्रोत हो सकता है। सारे देश के लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिये यहां आयेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में कहा गया, यह सरकार का एक सराहनीय कदम है। इसके लिये हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं।

मान्यवर, जहां तक शराब की बात है यह पहाड़ के लिये एक अभिशाप है। आज तक जो शराब की नीति रही है वह व्यावहारिक नहीं रही है। शराब के कारण ही अपराध बढ़े हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जो भी अपराध हुए हैं उनके पीछे शराब ही मुख्य कारण है। इसलिए मेरा कहना है कि हमें इसे व्यावहारिक बनाना चाहिए। दिल्ली पैटर्न पर हमें शराब की नीति बनानी चाहिए। हमारा लक्ष्य होगा जब तक पूर्ण मद्य निषेध न हो तब तक हमें इसे व्यावहारिक रूप देना चाहिए। हम सब जानते हैं यह नया राज्य बनने से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और इतनी खराब है कि हम चलाने की स्थिति में भी नहीं हैं। ऋणात्मक रूप में हमें शासन मिला है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मंत्रिमण्डल ने यह प्रयास किया है कि केन्द्र सरकार हमें एक पैकेज दे और विशेष राज्य का दर्जा भी दे और 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक का पैकेज हमें मिलना चाहिए जो हमारा अधिकार भी है। कर्ज के रूप में 4 हजार या 5 हजार करोड़ रुपया हमारे ऊपर आया है और जिसका साढ़े चार सौ करोड़ रुपया ब्याज हमें देना होता है, तो मेरा कहना यह है कि हमारे यहां परियोजनाओं को बनाने में जो पैसा खर्च हुआ होगा उसमें हमारा भी तो पैसा लगा होगा। इसलिए जब तक परिसम्पत्तियों का बंटवारा नहीं होता तब तक उत्तर प्रदेश या केन्द्र सरकार हमें पैसा दे। हमारी सरकार ने संवेदनशील प्रशासन के ढांचे की बात की है और कहा है कि प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया जायेगा। यह एक अच्छा कदम है।

मान्यवर, आज कई ऐसे विभाग हैं जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, कर्मचारी वेतन ले रहे हैं इसलिए इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पुलिस व्यवस्था को पटवारी व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। मैं समझता हू कि आज भी पटवारी व्यवस्था अधिक उचित है, केवल उसको साधन देने की बात है। इस तरह से विकेन्द्रीकरण करके प्रशासन जनता के द्वार तक पहुंचे। मान्यवर, हमारे यहां भूमि व्यवस्था वर्षों से नहीं हुई है इसी के कारण हमारे यहां से पलायन हो रहा है और हमारी खेती लगातार बढ़ती जा रही है। खेती का उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए इसका नियोजन करना और चकबन्दी करना आवश्यक है। ताकि लोग पेड़ों को लगा सकें, खेती कर सकें, बागवानी कर सकें और साग सब्जी पैदा कर सकें। हमारे यहां उद्योग शून्य जिला है। इसकी विवेचना भी हुई है। इसलिए मेरा कहना है कि यहां पर फल पर आधारित उद्योग लगने

चाहिएं। जड़ी बूटियों के आधार पर उद्योग लगने चाहिएं, जिसकी कि हमारे यहां पर्याप्त सम्भावना है।

कृषि नीति के बारे में सरकार ने कहा है चाय की खेती करने के लिए व्यापक रूप से सर्वे होना चाहिए। हमारे जो पूर्वांचल के राज्य हैं आसाम है, सिक्किम है, दार्जिलिंग है, यहां पर सबसे बड़ी खेती चाय की होती है जिससे वहां की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और बेरोजगारी दूर हुई है। इसी तरह से हमारे यहां भी चाय की खेती को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि उसके अनुरूप हमारे पास जमीन भी है और जलवायु भी है। हमारे यहां हिमालय से लगे हुए जो इलाके हैं और कश्मीर में जैसे केसर की खेती होती है उसी तरह से हमारे यहां भी मेडिसन प्लांट लगाये जा सकते हैं। हमारे यहां जड़ी बूटियां पर्याप्त मात्रा में है, उनका संरक्षण भी हो जायेगा और संवर्धन भी हो जायेगा।

मान्यवर, अभी हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर पार्क स्वीकृत हुआ है। मैं समझता हूं कि जो सूचना प्रौद्योगिकी है, जो हमारी कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी है और इलेक्ट्रानिक टेक्नॉलोजी है उसका हम विस्तार करें जिस तरह अमेरिका के अंदर सिलीकोन वैली डेवलप हुई है, आन्ध्र में हुई है, कर्नाटक में हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल की जलवायु उसके लिए सर्वथा अनुकूल है इसलिए हम लोगों को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए और इस प्रकार की इण्डस्ट्रीज को हमें लगाना चाहिए और यदि जरूरत पड़े तो विदेशों से भी हम आमंत्रित करें। मान्यवर, हमारा जो यह उत्तरांचल है जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि यह एक जन आन्दोलन के रूप में बना किसी राजनीतिक पार्टी का या किसी दल विशेष का या जाति विशेष का नहीं था, सभी लोगों ने इसमें योगदान दिया उन सब की जो अपेक्षायें हैं वह पूरी हों। राज्यपाल के अभिभाषण में नागरिक सुविधाओं की बात कही गयी है जैसे पेयजल और स्वास्थ्य और शिक्षा यह तीन–चार चीजें मुख्य रूप से हैं इनकी विकास करने की आवश्यकता है। प्राथमिकता के तौर पर हम इन योजनाओं को लें।

मान्यवर, पहाड़ के साथ जो बड़ी विसंगति रही वह यह है कि जो हमारी सड़कें बनी, पेयजल की योजना बनी, वह सब लुंज–पुंज स्थिति में हैं। जब तक हम इनको ठीक नहीं करेंगे, तब तक आम आदमी को उससे लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि जो हमारा इन्फ्रान्स्ट्रेक्चर टूट रहा है उसकी तरफ हम ध्यान दें मैं समझता हूं कि इन योजनाओं से जनता को बहुत लाभ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अनुभवी हैं और उनका लम्बा राजनैतिक जीवन रहा है। वह सारे पहाड़ के परिप्रेक्ष्य को जानते हैं उनके नेतृत्व में जो अपेक्षायें पहाड़ के लोग लगा रहे हैं, यह तभी सम्भव होगा जब आप सब लोग सहयोग करेंगे। हुआ भी ऐसे ही है उत्तरांचल के हित में जब भी कभी कोई बात आयी तो उसमें सभी लोगों ने समर्थन दिया। पहली बार कल्याण सिंह जी के मुख्य मंत्रित्व काल में राज्य बनने का प्रस्ताव आया, फिर मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में प्रस्ताव आया, मायावती जी के नेतृत्व में प्रस्ताव आया, फिर चौथी बार प्रस्ताव आया और उत्तर प्रदेश की विधान सभा में सभी दलों ने अलग–अलग समय पर, भले ही कुछ लोगों ने किसी कारणवश विरोध किया हो, समर्थन दिया कि राज्य बनना चाहिए। हमारी केन्द्र सरकार में जो सांसद हैं और हमारे जो केन्द्रीय नेता हैं, चाहे वह माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी हों, माननीय अडवानी जी हों, माननीय जोशी जी हों, तमाम नेताओं ने सभी लोगों ने और विपक्ष के लोगों ने भी उसका समर्थन किया उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। अब हमारा यह दायित्व है कि इस राज्य को हम आगे बढ़ायें।

हमारे हरिद्वार के विधायक हैं, कभी–कभी वह अलग होने की बात कहते हैं, परन्तु प्रोटेम स्पीकर के रूप में जब हमारे काजी साहब ने आसन ग्रहण किया मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आज उन्होंने जो अपना भाषण दिया ऐसा लगा कि उन्होंने आत्मसात कर लिया है। अब वह उत्तरांचल से अलगाव की बात नहीं करेंगे। इसलिए मैं उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ ही हमारे भाई अम्बरीष जी ने जो सुझाव दिये और जो बातें कहीं, ऐसा लगता है, केवल राजनैतिक [***] के कारण वह विरोध कर रहे हों, परन्तु अब उन्होंने अपने को उत्तरांचल का मान लिया है। हमारा राज्य शैशव काल में है। इसका पालन–पोषण करना है। माननीय सैनी जी का तो हमें समर्थन मिला ही, आगे भी मिलता रहेगा। हम सब लोगों को साथ लेकर सरकार चला रहे हैं। हमारी जो यह विधान सभा है संख्या में बहुत कम हो सकती है लेकिन जिस दिन हमने उत्तर प्रदेश से विदाई ली हमारे आदरणीय केशरी नाथ त्रिपाठी जी ने कहा कि आज वह सदस्य यहां से जा रहे हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश में रहा है। उन्होंने एक पीड़ा जतायी थी। भले ही हमारा विपक्ष संख्या में कम है परन्तु बौद्धिक बल में बहुत सशक्त है, यह हम स्वीकार करते हैं। उत्तर प्रदेश विधान सभा में हम सोचते थे कि आज विधान सभा चलेगी भी या नहीं चलेगी वहां पर हुड़दंग हो जाता था। मैं समझता हूं उन परम्पराओं को हम यहां पर छोड़ दें ताकि पूरे देश में लगे यह विधान सभा अपने ढंग की एक विशेष विधान सभा है जिसमें हल्ला नहीं होता है। यह सदन हल्ला करने के लिए नहीं होता है, बल्कि विचारों का आदान–प्रदान और सुझाव देने के लिए होता है। पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के दो हिस्से हैं। आज जैसे स्थगन एक प्रस्ताव था हमारा भी उसमें सुझाव था आपसी मतैक्य हो, उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी हम ऐसा करते रहे हैं। हम अपने सदस्यों से कहते थे कि हमारी लाचारी है। इसलिए आप इस प्रश्न को उठा दें। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हरिद्वार की जनता से कहा जा रहा है परन्तु मैं कहना चाहता हूं, कि इस तरह की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा भाव है। मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के लोग तक हमसे कह रहे हैं कि हमें अपने में जोड़ लो। मुरादाबाद के भी लोग कह रहे हैं जहां पर पीतल इण्डस्ट्री से 20 हजार करोड़ रुपये फॉरेन करेन्सी के रूप में आता है। वह भी कह रहे हैं कि हमें अपने में जोड़ लो। पीतल इण्डस्ट्री यहां पर आना चाहती है। क्योंकि यहां पर ला एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। इण्डस्ट्री वहीं पर जाती हैं, जहां पर कच्चा माल, विद्युत और शान्ति व्यवस्था हो। मैं समझता हूं कि इन सारी चीजों का हमारे यहां विकास होगा और इसी के साथ मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि वह मेरे इस प्रस्ताव पर अपने सुझाव देंगे और इसकी विवेचना करेंगे ताकि उत्तरांचल का चहुंमुखी विकास हो सके। धन्यवाद।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

इससे पहले कि श्री रघुनाथ सिंह जी खड़े होकर समर्थन करें [****] शब्द को निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसे निकाल दिया जायेगा।

[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[****] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार [शब्द "प्रपंच"] कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नवसृजित उत्तरांचल राज्य की अनन्तिम विधान सभा के प्रथम सत्र में महामहिम राज्यपाल द्वारा रखे गये अभिभाषण पर, धन्यवाद का प्रस्ताव जिसे श्री भारत सिंह रावत जी ने प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं।

मान्यवर, अभी श्री भारत सिंह रावत जी कह रहे थे कि 1952 से लगातार उत्तरांचल राज्य की मांग चली आ रही थी। उत्तरांचल की जनता ने इसके लिए संघर्ष किया बलिदान और त्याग किया जिसके फलस्वरूप आज हम उत्तरांचल राज्य का गठन कर पाये हैं। महामहिम श्री राज्यपाल जी ने उन ज्ञात और अज्ञात शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने उत्तरांचल राज्य के निर्माण के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। मैं उन्हें शत–शत नमन करता हूं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी और उनके सहयोगी दलों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने जनता को दिये हुए वचन को पूरा किया और राज्य का गठन किया। मान्यवर, मैं गैर भाजपा दलों की सरकार का कोई उल्लेख नहीं करना चाहता हूं क्योंकि दो–दो प्रधानमंत्रियों ने लाल किले से घोषणा की कि उत्तरांचल राज्य का गठन किया जायेगा। परन्तु उत्तरांचल राज्य की भोली–भाली जनता को वह झुनझुना दिखाते रह गये और इस सत्य को हम नकार भी नहीं सकते कि अगर केन्द्र में अटल बिहारी बाजपेयी जी की सरकार न होती, तो मैं समझता हूं कि उत्तरांचल राज्य का गठन सम्भव नहीं था। हमें जिन कठिन परिस्थितियों में राज्य मिला, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल के क्षेत्र में हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाये।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं जितनी भी हमारी प्राइमरी पाठशालायें हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं और राजकीय विद्यालय हैं उनके रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष रूप से प्राइमरी पाठशालाओं में रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा मित्र के नाम से जो एकल विद्यालय थे वहां पर दो–दो शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है जो कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। ऐसे ही हमारे जो माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें एल0टी0 ग्रेड के रिक्त पड़े हुए पद थे, शिक्षा बन्धु के नाम से उन पदों को भी शीघ्र भरने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। सूचना प्रौद्योगिकी को माध्यमिक शिक्षा के साथ जोड़ना और सैन्य विज्ञान को भी शामिल करने का निर्णय लिया है यह भी एक स्वागत योग्य कदम है। हायर एजूकेशन में जो हमारे राजकीय महाविद्यालयों में पद रिक्त पड़े थे उनको भी हमारी सरकार ने एड–हाक के आधार पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। यह भी एक स्वागत योग्य कदम है। स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। यह भी एक सराहनीय कदम है। इतने अल्प समय में हमारी सरकार ने इतने स्वागत योग्य कदम उठाये हैं। जहां तक पेयजल की बात है, हमारी सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जहां पेयजल की कठिनाई थी वहां उनके शीघ्र निराकरण करने के लिए एक बड़ी योजना बनाई है। जितने भी असेवित विकास खण्ड हैं, गांव हैं, शहर हैं उनको भी तत्काल पानी सुलभ कराने का निर्णय लिया है। जितनी भी हमारी जल योजनायें थी, वह 6 थीं उनके कार्य को पूरा करने का जो निर्णय लिया है वह भी स्वागत योग्य कदम है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन 6 योजनाओं के अलावा 7वीं योजना अल्मोड़ा नगर की थी जिसमें सीवर की व्यवस्था कराये जाने की भी बात थी। उत्तर प्रदेश विधान सभा में जब यह प्रश्न उठाया गया था तो तत्कालीन पर्वतीय विकास मंत्री डा0 पोखरियाल ने विधान सभा में घोषणा की थी कि हम अल्मोड़ा नगर को 1830.93 लाख रुपये की सीवरेज

योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है और एक करोड़ रुपये की धनराशि उत्तर प्रदेश जल निगम को स्वीकृत कर दी गयी है। शासनादेश संख्या 989/28–1–99–8 (12 पेय) 98 दिनांक 17–4–2000 द्वारा मुख्य अभियन्ता (उ0) स्तर, उत्तर प्रदेश जल निगम देहरादून को उक्त 1 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृति हुई थी। परन्तु अभी तक इस योजना का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस योजना को पूरा किया जाय।

मान्यवर, स्थायी राजधानी के बारे में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया है कि देहरादून में जो राजधानी है वह नितान्त रूप से अस्थायी राजधानी है। स्थायी राजधानी के निर्माण के लिए एकल सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी समय सीमा तय कर ली जाय। 6 महीने का जो समय दिया गया है किसी भी स्थायी राजधानी के चयन के लिए क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, उनका आकलन करने के लिए 6 महीने का समय पर्याप्त नहीं है। क्योंकि कई सूचनाएं एकत्रित करनी होती हैं, इसलिए इसकी समय सीमा को बढ़ाया जाय और नहीं तो त्रिस्तरीय कमेटी बनायी जाय। जहां पर 13 जनपदों का केन्द्रीय स्थान हो वहां पर स्थायी राजधानी बनायी जाय। हमारे मात्र तीन जिले ऐसे हैं हरिद्वार, देहरादून और ऊधमसिंह नगर मैदानी क्षेत्र हैं बाकी हमारे क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र हैं इसलिए राजधानी केन्द्र बिन्दु पर हो। उसमें इस सदन की राय भी ले ली जाय। मान्यवर, अभी विशेष राज्य का दर्जा पाने की बात चल रही थी कि कब तक यह मिलेगा। हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि हमारी विषम आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाय यह प्रयास चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग सैद्धान्तिक सहमति दे दी है।

महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए महिला डेयरी के आकार को विस्तार देने का निर्णय लिया है। ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो महिलायें बेकार रहती थीं या दिन भर काम करती रहती थीं, उनके पास कोई रोजगार नहीं था। महिला डेयरी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने का कार्य हमारी सरकार ने किया है, यह भी एक स्वागत योग्य कदम है। विद्युत के बारे में यहां पर बात कही गयी। टिहरी डैम परियोजना, मनेली भाली परियोजना और विष्णु प्रयाग योजना के बारे में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, जो कि हमारा आर्थिक आधार भी है और इससे हम अपनी अर्थ व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, अधूरी पड़ी विद्युत परियोजना को शीघ्र पूरा करने का निर्णय लिया गया है ताकि जो आज विद्युत संकट पैदा हो रहा है वह खत्म हो जाय और 24 घण्टे विद्युत की आपूर्ति रहे और अन्य प्रदेशों को भी विद्युत दे सकें।

मान्यवर, उत्तरांचल तपोभूमि है, परन्तु यहां पर दैवी आपदायें बहुत होती हैं, कभी भू–स्खलन होता है कभी बाढ़ आती है और कभी भूकम्प आ जाता है जिससे जनहानि बहुत होती है। इस दैवी आपदा से निपटने के लिए हमारी सरकार ने दैवी आपदा प्रबन्धन के नाम से एक नया विभाग खोला है ताकि हम जनहानि को रोक सकें और उससे निपट सकें। मान्यवर, मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं कि आगजनी को दैवीय आपदा में कभी शामिल नहीं किया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे इसमें शामिल किया जाय ताकि इससे प्रभावित लोगों को राहत मिल सके, कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार ने पुलिस व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त करने का निर्णय लिया है। अत्याधुनिक हथियार और यातायात के साधन उनको मुहैया कराने का निर्णय लिया है।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में पटवारी व्यवस्था है इसके सुदृढ़ीकरण करने के लिए भी हमारी सरकार ने निर्णय लिया है इसे भी अत्याधुनिक हथियार से युक्त करने का निर्णय लिया है, ताकि पर्वतीय क्षेत्र में शान्ति बनी रहे। उत्तरांचल का स्वरूप कैसा हो, कैसे उत्तरांचल राज्य प्रगति कर सके, कैसे विकास कर सकता है, भारत के अन्य राज्यों की तरह आगे बढ़ सकता है। एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। हमारे हरिद्वार के विधायक अम्बरीष जी हैं वह उत्तरांचल की देव भूमि में पहले से रहते आये हैं। राजनीतिक कारणों से वह हरिद्वार को उत्तरांचल में रखने के पक्ष में न हों परन्तु अन्तरात्मा से पूछा जाय तो निश्चित रूप से वह यहां की जनता से मिलते रहे हैं और यहां की जनता उन्हें गले लगा रही है अब वह कभी इसका विरोध नहीं करेंगे। काजी साहब जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे, उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी हमने उनका भाषण सुना और आज भी उन्होंने जो भाषण दिया उसमें उनका भाव ही बदल गया और ऐसा लग रहा था कि वह हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ उत्तरांचल राज्य प्रगति कर सके इसका विकास हो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम जी के अभिभाषण पर भारत सिंह रावत जी द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्री राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय, किन्तु खेद है कि श्री महामहिम राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित को शामिल नहीं किया है।

[1–उत्तरांचल को परिसम्पत्तियों में हिस्सेदारी तथा अधिकारों को दिलाने के लिए किसी नीति की घोषणा तथा समय सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

2–परिसीमन के बारे में प्रदेश सरकार के सुझावों के संबंध में तथा आबादी के साथ–साथ भौगोलिक क्षेत्रफल को भी प्रमुख आधार बनाने के सम्बन्ध में।

3–उत्तरांचल में पलायन तथा बेरोजगारी की समस्याओं के समाधान के लिये स्पष्ट रोजगार नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में।

4–उत्तरांचल की अनन्तिम विधान सभा का कार्यकाल निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

5–अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण नीति के सम्बन्ध में।

6–उत्तरांचल की तराई में निवास करने वाले बंगाली समुदाय उन सभी जातियों को, जो बंगाल में अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित हैं उत्तरांचल में भी अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने के बारे में भारत सरकार से सिफारिश करने के सम्बन्ध में।

7–उत्तरांचल में रवांई तथा जौनपुर क्षेत्रों को जनजाति क्षेत्र घोषित करने के लिए भारत सरकार से सिफारिश करने के सम्बन्ध में।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[8–पर्यटन उद्योग के विकास के लिये कोई ब्लूप्रिंट तैयार कर स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने के सम्बन्ध में।

9–धान, गन्ना, गेंहू किसानों की जटिल समस्याओं के निराकरण के लिये कृषि नीति तथा कृषि आधारित उद्योग जैसे राईस मिलों तथा चीनी मिलों की समस्याओं के निराकरण के लिये नीति के सम्बन्ध में।

10–उत्तरांचल में औद्योगिक प्रगति के लिये सरकार की तरफ से व्यवसायियों को सुविधायें देकर औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के सम्बन्ध में।

11–सूचना के अधिकार को कानूनी अधिकारों का दर्जा देकर राजकार्य में पारदर्शिता बनाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में।

12–उत्तरांचल में भी हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु आदि प्रदेशों की तरह लाईब्रेरी अधिनियम बनाने के सम्बन्ध में।

13–वन एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिये वन क्षेत्रों के समीप निवास करने वाली आबादी को उनके हक–हकूकों से वंचित करने के एवज में मुआवजा स्वरूप पर्यावरण सेना का गठन् कर स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में।

14–आम नागरिक की जान–माल की सुरक्षा के कार्य के लिये जिम्मेदार पुलिस के निम्न स्तर के कर्मचारियों (कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल तथा उप निरीक्षकों) की सेवा शर्तों को बेहतर बनाने के सम्बन्ध में।

15–अल्पसंख्यकों के कल्याण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने की दृष्टि से तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षण की दृष्टि से अल्पसंख्यक कल्याण आयोग का गठन के सम्बन्ध में।

16–वक्फ बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में।

17–चकराता विधान सभा क्षेत्र में भदराज मन्दिर, सन्तोला देवी मन्दिर, हनोल मन्दिर, थैना मन्दिर, महासू मन्दिर, बिसोई, कचटा चालदा मन्दिर, लखवाड़ तथा लखस्यार मन्दिर, बांणाधार काली मन्दिर, माडू सिद्ध मन्दिर, भूरे शाह की मजार–कुल्हाल नामक स्थानों को आध्यात्मिक पर्यटक स्थलों के रूप में विकास के सम्बन्ध में।

18–चकराता तहसील में स्वतंत्रता संग्राम में शहीद वीर केशरी चन्द के गांव क्यावा के समीप रामताल गार्डन का शहीद स्थल के रूप में विकास के सम्बन्ध में।

19–सहसपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत खारा खेत नमक सत्याग्रह स्थल का ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकास के सम्बन्ध में।

20–चकराता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चकराता, नागथात, टाइगर फाल तथा आसन बैराज का पर्यटन की दृष्टि से विकास के सम्बन्ध में।

21–अशोक शिला–लेख कालसी, महाभारत कालीन लाखामण्डल, तथा मंसूरी–चकराता मार्ग पर वैराठ खाई के समीप गढ़–विराट का पुरातत्व महत्त्व के स्थलों के रूप में विकास के सम्बन्ध में।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[22–चकराता क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की अनुपस्थिति की समस्या के निराकरण के लिये स्थानीय शिक्षित युवाओं की अध्यापक के रूप में नियुक्ति के सम्बन्ध में।

23–छटनीशुदा कर्मचारियों के समायोजन के सम्बन्ध में।

24–दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।

25–पूर्व माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने के सम्बन्ध में।]

श्री अध्यक्ष–

शेष सभी संशोधन जो कार्य सूची में मुद्रित किये गये हैं उपस्थित किये गये माने गये।

(देखिए नत्थी "क" पृष्ठ 63 से 70 पर)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

* अभी श्रीमन् आदरणीय भारत सिंह रावत जी ने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया और जिसका समर्थन माननीय श्री रघुनाथ सिंह चौहान जी ने किया। श्रीमन् महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण संसदीय लोकतंत्र में सरकार का एक नीतिगत दस्तावेज होता है कि सरकार के क्या कार्यक्रम हैं और आने वाली सरकार की क्या नीतियां और कार्यक्रम होंगे इसका खुलासा अभिभाषण में किया जाता है। यह कोई साधारण अभिभाषण भी नहीं है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है। हिन्दुस्तान के अन्दर एक नये राज्य का उदय हुआ है और उस राज्य की प्रथम विधान सभा के अन्दर राज्य के प्रथम राज्यपाल द्वारा अपना प्रथम अभिभाषण किया गया। न केवल इस सम्मानित सदन के सदस्य बल्कि उत्तरांचल की आवाम बहुत आशा भरी निगाहों से टक–टकी लगाकर यह देख रही थी कि नया राज्य बना है और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के रूप में सरकार की जो नीतियां सामने आयेंगी वह कहीं न कहीं निश्चित तौर पर स्पष्ट करेगा कि हम एक बुनियादी स्परूप प्राप्त करने जा रहे हैं। इसलिये उन दकियानूसी कार्यक्रमों और रटी–रटायी चीजों से, देश का एक हिस्सा, जिसे हमने उत्तरांचल कहा है उसको एक दिशा देने में सफल होगा। आप भी श्रीमन्, स्वयं विज्ञ हैं कि कोई भी व्यवस्था एक बार गड़बड़ा जाय उसको पटरी पर लाने में मुश्किल होती है। लेकिन जो व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं निश्चित रूप से काम करने वालों के रण कौशल पर और उनके विवेक पर जरूर निर्भर करता है कि कैसे उस योजना को कार्य रूप में परिणित करें।

हमारे सामने एक अवसर था कि जिस नवोदित राज्य ने शक्ल ली है उस राज्य के लिये कुछ न कुछ हम ऐसा करेंगे जिससे लगे कि आधुनिक समय में सरकार की जो जरूरतें थी, जनआंकाक्षायें हैं, उसमें वह तमाम सारी बातें कर पायेंगे जो पहले से विद्यमान राज्य में, भौतिक शास्त्र का एक सिद्धान्त है– इनरसिया होता है, गड़बड़ायी स्थिति को ठीक करने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। वह परिस्थितियां यहां नहीं थी, साफ मैदान था।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

हमारी सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता था कि उसकी जो बुनियाद है उसे हम किस तरह से डालें लेकिन अफसोस, कि किसी भी मायने में यह भाषण उन तमाम राज्यों के अभिभाषण से जो रस्म अदायगी के तौर पर महामहिम राज्यपाल द्वारा विधान मण्डल के अन्दर दिये जाते हैं, किसी भी रूप में उसे भिन्न नहीं लगता है। चाहे प्रशासनिक ढाँचे के रिस्ट्रक्चरिंग का सवाल हो या विकास को आवाम के अनुरूप किये जाने का सवाल हो, यह जरूर है कि शब्दों का मकड़जाल है, बहुत सारी चीजें टिप–टाप करके लायी गयी हैं। कहीं सिंगल विंडो सिस्टम की बात कही गई, तो कहीं शिक्षा बिहार की बात कही गई। एक बात समझ से परे है कि किसी भी देश, राज्य और समाज के अन्दर, आज के समय में कार्यक्रमों को जो स्वरूप देने के लिये बुनियादी चीजों की व्यवस्था है वह है संसाधन। मैं निश्चित रूप से ऐसे अवसर पर दुरुपयोग करने के लिये सरकार की आलोचना नहीं करूँगा। हम अपने इस दायित्व से विज्ञ हैं कि एक ऐतिहासिक क्षण है। दलगत भावना से ऊपर उठकर के और थोथी प्रशंसा करने का अवसर नहीं है। यह अवसर निश्चित रूप से ऐसा है, विचार–विमर्श का है, मन्थन करने का है और चिन्तन का है कि क्या खाका हमारे दिमाग में उत्तरांचल के लिये है तो सबसे पहले हम उम्मीद कर रहे थे कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में इस बात का खुलासा किया जायेगा कि उत्तरांचल के अन्दर जिन संसाधनों की दुहाई देते हैं।

आदरणीय श्री भारत सिंह जी ने कहा कि हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। इसी तरीके से देश के स्तर पर कहा जाता है कि हिन्दुस्तान में संसाधनों की कमी नहीं है। हिन्दुस्तान उसके बावजूद भी गरीब है। उत्तर प्रदेश में विदाई भाषण में मैंने कहा था कि यह विडम्बना है कि उत्तरांचल की पर कैपिटा आमदनी उत्तर प्रदेश से दुगनी है और साक्षरता दर दुगनी है, फिर भी हमारा क्षेत्र पिछड़ा है। कहने का मतलब यह है कि जिन संसाधनों की हम दुहाई देते हैं उनको मोबिलाइज करने की बात होनी चाहिये, हम अपेक्षा करते थे कि यह सरकार गम्भीर चिन्तन के साथ ताली पिटवाने के लिये सस्ती लोकप्रियता से बचने का काम करती और निश्चित रूप से दृढ़ राजनैतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए एक ब्लू प्रिंट लेकर सामने आती। हम सरकार से यह माँग नहीं करते कि फलाँ सड़क क्यों नहीं बनी, विद्युतीकरण क्यों नहीं हुआ और फलाँ जगह नलकूप क्यों नहीं लगे, मैं कहना चाहता हूँ कि हम सरकार से हाथ में सरसों उगाने की उम्मीद नहीं करते हैं और हम सरकार से जादू दिखाने की उम्मीद नहीं कर सकते, हम मुस्तैदी से खड़े होकर जनता के बीच में जाकर सरकार के ऐसी नीति की पैरवी करते कि सरकार ने सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने से दूर हटकर उत्तरांचल की सेहत के लिये जो चीजें हैं, उस पर अपने को कंसनट्रेट किया है। लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत, जेब में फूटी कौड़ी नहीं। बैंक से ओवर ड्राफ्ट लेकर घोड़ा–गाड़ी दौड़ा रहे हैं। 1700 और 1800 करोड़ रुपए डेफिसिट लेकर हम उत्तर प्रदेश से लेकर आये और लगभग 5 हजार करोड़ रुपये कर्जा विरासत में हम लेकर आये, यदि हमें इसका ब्याज देना पड़े तो वह 400 से 500 करोड़ रुपए होगा। इसलिये सरकार को दोष देने का सवाल नहीं है।

मैं कह रहा था कि थोथी घोषणायें आप कर रहे हैं कि 6 महीने में हम हर गाँव में पानी पहुँचा देंगे। आजादी के 52 साल में तो हम हर गाँव में पानी नहीं पहुँचा पाये तो यहाँ जेब में 5 रुपए नहीं, और हर गाँव में पानी पहुँचा देंगे। दो महीने बीत गये। रोज मर्रा बैंक से कर्जा लेकर जैसे–तैसे गाड़ियाँ चला रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि सरकार ने इस अवसर को गँवा दिया और पुनः आज एक कि ओर की स्थिति पैदा कर दी। आज

शासन और प्रशासन में बैठने वाले लोग जो प्रशासनिक ढाँचे की रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा ढाँचा बनाया जाय। कोई कहता है कमिश्नर खत्म हो रहे हैं, कोई कहता है मण्डलीय कार्यालय खत्म हो रहे हैं और कोई कहता है कि सृजन किया जा रहा है। कोई कहता है कि बी०डी०ओ० की जगह पर आइ०एफ०एस० को बिठाया जायेगा और कोई कहता है कि बी०डी०ओ० को एस०डी०एम० बना दिया जायेगा। जिसकी जो मर्जी आ रही है, वह बोलता चला जा रहा है। मैं यह नहीं कहता कि इसका आर्थिक पहलू क्या है लेकिन यदि एक बार अफरा-तफरी का प्रदेश में माहौल बना और कि ओर की स्थिति में चला गया तो किसी के बूते की बात नहीं है कि उसे कोई पटरी पर ला सके।

मैंने अपनी बात की शुरू में कहा था, सबसे पहले जरूरत थी, इस सदन के अन्दर कह रहा हूँ और चाहे सदन के बाहर कह रहा हूँ कि प्रदेश किसी पार्टी विशेष का नहीं होता और न प्रदेश के विकास का दायित्व अकेले सरकार पर है। प्रदेश के विकास के लिये जहाँ सरकार का दायित्व है उधर वहीं इधर बैठे लोगों का भी है और प्रदेश की जनता का भी है लेकिन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। प्रथम तो पहले सरकार यह कर लेती कि जितने संसाधनों की उसे तत्काल आवश्यकता है, आपके पास राजनैतिक अवसर है, समीचीन होता, उसका उदाहरण दूँगा, ऐसी परिस्थितियाँ कभी-कभी आती हैं और राजनैतिक प्रश्न है। जैसे आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसी दल की सरकार केन्द्र में भी है और सौभाग्य से कह लीजिये या दुर्भाग्य से कह लीजिये उत्तर प्रदेश के अन्दर भी उसी पार्टी की सरकार है। चाहे वह जल संसाधन हों, चाहे विद्युत परियोजनायें हो, उत्तर प्रदेश रिआर्गेनाइजेशन के अन्तर्गत इस बात का उल्लेख है कि किसी विषय पर कोई विवाद होता है तो भारत सरकार उसमें आर्बिट्रेटर का काम करेगी और उसका फैसला कर देगी।

मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप राजनैतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते, तो हम भी आपको शाबाशी देते, क्योंकि दिल्ली में सरकार आपकी है और आपके प्रधानमंत्री जी बहुत काबिल हैं तो उनके सामने एक सूत्रीय कार्यक्रम ले जाते और उत्तरांचल की जो परिसम्पत्तियाँ हैं और उत्तरांचल से संबंधित जो अधिकार हैं उन अधिकारों को उत्तर प्रदेश से दिलवाने के लिये प्रधानमंत्री खुद पहल करें। यह सब हम जानते हैं यदि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को बुला कर के हलका सा इशारा भी करेंगे तो बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लगता नहीं है कि सरकार की कोई इच्छा शक्ति है। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि इस तरह से स्थिति को टाला गया तो अच्छा नहीं होगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं उन्होंने अपनी वाकपटुता का परिचय देते हुए सवालों का उत्तर देने का जैसे-तैसे काम किया माननीय मुख्यमंत्री जो संसदीय परम्परा के भीष्म पितामाह हैं, उन्होंने भी अपने कौशल का परिचय देते हुए अपना पीछा छुड़ाने का काम किया। लेकिन अपने आप में यह एक हकीकत है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री और यहां की कैबिनेट को असहाय होकर सदन के अन्दर कहना पड़ रहा है यदि नलकूपों को बिजली नहीं मिल पा रही है तो इसमें कुछ बाधायें हैं और वह बाधायें अधिकारों का निर्धारण। यह बुनियादी सवाल है दूसरा बुनियादी सवाल होना चाहिए था, विशेष राज्य का दर्जा मीठी गोली देकर आप सरकाते जा रहे हैं। और यदि किन्हीं परिस्थितियों में विशेष राज्य का दर्जा मिला भी तो वह सब चीजों का रामबाण इलाज तो

है नहीं। फर्ज कर लीजिए कि आप को 2 हजार करोड़ रुपये अथवा 4 हजार करोड़ रुपये का विशेष राज्य का दर्जा मिल जाय, आपके मुंह में घी शक्कर लेकिन ऐसा लगता नहीं है। मैंने कहा कि जो इसके लिए इन्डीकेटर्स हैं बैकवर्डनेस के लिए वह आपके पक्ष में नहीं हैं। आपका लिटरेसी रेट और परकैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। जिसे आपको आत्मसात करना पड़ेगा। और इसे जितना आप टालते जायेंगे और जब राजनैतिक परिस्थितियां बदलेंगी।

आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपकी इस बात के लिए भी तारीफ करता हूं कि आज आपका उत्तर प्रदेश सरकार में प्रभाव है, आप विधान परिषद् के चेयरमैन रहे वहां की विधान मंडल पर भी आपका प्रभाव है, आप की वरिष्ठता इतनी ज्यादा है कि इस प्रदेश में भी आपका प्रभाव है और सौभाग्य से आपकी साफ सुथरी छवि है सबसे ऊपर भारत के जो चीफ एक्जूकीटिव हैं प्रधानमंत्री जी हैं उनके ऊपर व्यक्तिगत प्रभाव है। 2 घण्टे की नोटिस पर प्रधानमंत्री से मिल लेते हैं शायद यह परिस्थितियां भविष्य में न रहें। दिल्ली में ही परिस्थितियां बदलती हैं तो आप प्रिविलेस से भी वंचित रह जायेंगे। इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी यदि आप इस इश्यू को लटकाते जायेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा विचाराधीन है, अधिकारों का फैसला चल रहा है, हमने कागज पत्र भेजे हैं और निगम हम बनायेंगे नहीं, उत्तर प्रदेश वन निगम से 210 करोड़ रुपया ट्रान्सफर हो जायेगा और उत्तर प्रदेश कहेगा कि हमने कर्जा ले लिया माना कि यह दोनों राज्यों की संयुक्त कम्पनी है। जब तक उसका विभाजन नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इतनी भी जरूरत नहीं समझी कि 210 करोड़ रुपया बगैर आपकी राय लिए ट्रान्सफर कर दिया आप भी कह सकते थे कि 50 करोड़ रुपया हम भी लेना चाहेंगे। लेकिन उन्होंने आपसे बात करने की जरूरत नहीं समझी। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री रोज कहते हैं कि उत्तरांचल की परियोजनाओं पर हमारा अधिकार है। टी0एच0डी0सी0 द्वारा टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। 12 प्रतिशत टेरोटोरियल के रूप में रायल्टी आप को मिल जाय लेकिन 25 प्रतिशत जो प्रदेश का अंशदान है उसमें आपको क्या मिलने वाला है। एक हजार मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा तो उसका 25 प्रतिशत यानि 250 मेगावाट होता है और आज की तारीख में पूरे उत्तरांचल में 250 से 300 मेगावाट से ज्यादा बिजली की खपत भी नहीं है, उद्योग हैं नहीं मामूली घरेलू कनेक्शन्स हैं। इसलिए यह एक गम्भीर सवाल है यदि इसको टालते जायेंगे तो इसका कोई जवाब नहीं है। थोथा उत्तर दे देते हैं बहुत समय है तय कर लेंगे, आप तो विदेश में भी गये हैं हिन्दुस्तान के दक्षिणी भाग को भी देखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह मामले यदि इतनी आसानी से हो जाते तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में जो कावेरी का जल विवाद है वह आजादी के 25 साल के बाद भी सुलझ नहीं पाया और ट्रिबुनल भी नहीं सुलझा पाया।

मान्यवर, एक बहुत विचार मन्थन का सवाल है कि आज इस प्रदेश के अंदर दो तरह के भू-भाग हैं कुछ भू-भाग मैदानी और शेष पर्वतीय क्षेत्र हैं। परन्तु जब सड़कों पर यह देखने में आता है कि हम इस प्रदेश के जनमानस को बांटते चले जा रहे हैं, बांटने का कारण है कि आबादी के परिसीमन की बात करता है यहां तक की लोगों के बीच तीखी नोंक-झोंक भी हो जाती है। संविधान के अंदर व्यवस्था है और रिआर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के

अंदर भी उल्लेख है कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों की सीमायें और वहां की जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए परिसीमन पर यह सोच होनी चाहिए। मान्यवर, आबादी की बात को कोई इगनोर नहीं कर पायेगा मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि आबादी के साथ ही साथ जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, यदि इसे राज्य बनाने का मकसद था तो वह इस तरह से ध्वस्त हो जायेगा।

मैंने एक विधान सभा क्षेत्र का जिक्र किया था कि उसका एक किनारा और दूसरे किनारे के बीच में 600 किमी0 का अन्तर है और आबादी 10 किमी0 के बराबर भी नहीं है। 600 किमी0 के अंदर तो आप एक विधान सभा क्षेत्र रखेंगे और 10 किमी0 के अन्दर आप एक विधान सभा क्षेत्र को रखेंगे परन्तु इस संबंध में कोई बात महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं कही गयी है। जिससे वैमनष्यता बढ़ रही है। जूडीशियल तरीके से इस पर सोचना चाहिए जो इस प्रकार के कन्टेच्यूअस इश्यू हैं उनको आप छोड़ दे रहे हैं। मान्यवर, इससे काम चलने वाला नहीं है। उत्तरांचल राज्य का निर्माण जन आंदोलन से शुरू हुआ था। किसी एक व्यक्ति और पार्टी का नहीं है। जैसा कि भारत सिंह रावत जी द्वारा कहा गया कि इस राज्य के निर्माण की शुरुआत 1952 से अल्मोड़ा के श्री पी0 सी0 जोशी ने शुरू की थी और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों ने तथा सामाजिक संगठनों ने अपना योगदान दिया और कई लोगों ने इसके लिए कुर्बानियां भी दी हम सभी उनके प्रति आभार ज्ञापित करते हैं लेकिन साथ ही साथ इसका श्रेय लेने वाले सभी दलों से प्रार्थना करता हूं कि जो राज्य निर्माण से संबंधित विसंगतियां रह गयी हैं उसका अपयश किसको जायेगा। हमारे जो संसाधन हैं उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इस उत्तरांचल को एक कालोनी बनाने का प्रयास किया गया, इसका अपयश किसको जायेगा।

मान्यवर, हिन्दुस्तान के अंदर सेवन सिस्टर राज्य बने सिक्किम बना हिमाचल बना आदि आदि। जब कोई नया राज्य बनता है तो उसका कार्यकाल भी तय किया जाता है। मान्यवर, आप इस गरिमामय सीट पर बैठे हुए हैं और जनतंत्र का भी यह तकाजा है मैं बधाई देना चाहूंगा, इनके राष्ट्रीय नेता संघप्रिय गौतम को जिन्होंने कहा कि यह एक कामचलाऊ सरकार है इसे हुकूमत करने का कोई अधिकार नहीं है अभी तक परिसीमन करने के लिए पांच सदस्यों के नाम तक प्रस्तावित नहीं किए गये हैं। क्योंकि इसके पीछे काम करने की इनकी इच्छा नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान में प्राविधान किया गया है परन्तु सेवा में उनका कितना आरक्षण होगा यह बात कहीं पर भी नहीं कही गयी है। अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग के गठन के लिए आज तक कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। यह सरकार का दायित्व है कि इन कमजोर वर्गों के प्रति यह सरकार कितनी उदासीन है। इस राज्य के निर्माण के लिए जब सड़कों पर आन्दोलन निकलता था, फोनिया जी ने भी किताब लिखी है, आंदोलन की शुरुआत हुई छात्रों और नौजवानों से यह सोचकर आंदोलन किया गया था उनको रोजगार देने के लिए ठोस कदम उठाये जायेंगे लेकिन मैं आज तक यह नहीं समझ पाया कि क्या रोजगार नीति बनाई है। मैं यह नहीं कहता कि 10 हजार लोगों को नौकरी दें लेकिन चरणबद्ध ढंग से उन्हें रोजगार देने के लिए क्या योजना बनाई है इसका उल्लेख कहीं पर आपने नहीं किया है।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की बात कही गयी बंगलौर और हैदराबाद को सिलिकोन वैली की तरह यहां पर भी दर्जा देने की बात कही गयी। यदि हैदराबाद में सिलिकोन वैली बनाई गयी है तो क्या सम्पूर्ण आन्ध्र प्रदेश का विकास हो गया। यदि बंगलौर

को सिलिकोन बनायी गयी तो क्या पूरा कर्नाटक का विकास हो गया। मान्यवर, यह आपकी भूल होगी नैनीताल, मसूरी, देहरादून में तो कैपिटल इन्टेसिव इन्डस्ट्री आप जरूर प्रमोट कर सकते हैं लेकिन यह लेवर इन्टेसिव नहीं बन सकता। श्री निशंक जी पहाड़ की जवानी और उसके पानी की बात किया करते थे और जो पलायन यहां से हो रहा है उस पलायन को रोकने के लिए रोजगार हेतु आपने कोई कार्यक्रम बनाया है कि एक वर्ष के अंदर या दो वर्ष के अंदर हम इतने लोगों को स्वरोजगार देने हेतु इस प्रकार का कार्यक्रम बनाये हैं। आप उन्हें किस तरह से टेक्निकल सपोर्ट देंगे और वेवसाइड आगोमेन्ट का कार्य करेंगे। सरकार ने कोई नीति नहीं बनायी है रटी रटायी चीजों को यहां पर कहा है। मान्यवर, उत्तरांचल में रवांई और जौनपुर का एक क्षेत्र है और वह जनजाति क्षेत्र है काफी समय से मांग चली आ रही है कि उनको जनजाति का दर्जा दिया जाय। भारत सरकार के जो कार्यक्रम रवांई जौनपुर क्षेत्र में चल रहे हैं उनको वही सुविधा प्रदान की गयी है जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में मिलती है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि यह सरकार रवांई और जौनपुर को जनजाति क्षेत्र घोषित करने के लिए भारत सरकार से सिफारिश करे।

श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी ने कहा कि हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और देहरादून की जो तराई बेल्ट है जो अनाज के लिए उत्तरांचल के लिए सेल्फ सेपीसेन्ट बन सकता था अनाज के मामले परन्तु आज उनका उत्पाद औने–पौने दाम पर बिक रहा है। राईस मिलर्स की बात कही गयी, गन्ना किसान की बात कही गयी, चीनी मिल की बात कही गई। राईस मिलर्स से 60 प्रतिशत लेवी के चावल को लेने की बात कही गयी परन्तु उसे खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी परिस्थिति आयी थी तो वहां के खाद्य मंत्री को भारत सरकार के पास भेजा गया था कि वह इस चावल को खरीदने के लिए पैसे का इन्तजाम करें। परन्तु यहां पर ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। धान का मूल्य 510 रूपये प्रति कुन्तल किया गया था परन्तु आज उसका धान 300–350 के हिसाब से बिक रहा है और उसकी कोई परवाह करने वाला नहीं है। उत्तरांचल से पर्यावरण संरक्षण का एक केन्द्र स्थान है चाहे राजाजी नेशनल पार्क हो, गोविन्द पशु विहार हो, कार्बेट नेशनल पार्क हो, नन्दाबायो रिजर्वस् हो इन पार्कों से लगे हुए जो गांव है जब अंग्रेजों का शासनकाल था तो उन्होंने यह महसूस किया था कि यदि जंगल का संरक्षण करना है तो वह उस स्थानीय आबादी के माध्यम से ही कुछ हकहकूक देकर हो सकता है। सरकारी मुलाजिम के हाथ से इस पर कंन्ट्रोल नहीं किया जा सकता।

आज उत्तरांचल में जंगल के किनारे कई गांव हैं परन्तु उनके रैंक्स को विद्ड्रा कर लिया गया। उनके पशु जंगल जा नहीं सकते। चूल्हे के लिए लकड़ी काट नहीं सकते। जबकि वैलफेयर स्टेट का सिद्धान्त है कि यदि हम किसी नागरिक की किसी सुविधा में कटौती करते हैं तो उसे कम्पनसेशन की जगह पर कुछ देते हैं, नन्दा देवी वायो रिजर्वस् में जीवन का जो बेसिक तत्व है, जन प्लाज्मा उसका संरक्षण किया जा रहा है। इसलिए मान्यवर, पर्यावरण के क्षेत्र को बनाने तथा संचित करने के लिए उत्तरांचल को भारत सरकार से स्पष्ट कहना पड़ेगा कि जो हमारे यह पार्क हैं जो 17–18 प्रतिशत भूभाग में हैं उनको पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्यावरण सैन्य का गठन किया जाय जिससे कि उस फॉरेस्ट के आस–पास रहने वालों को रोजगार मिल सके और 100 फीसदी खर्चा वहन भारत सरकार द्वारा किया जाय। मान्यवर, मैंने आज 311 की नोटिस दी थी यदि मुझे उस पर बोलने की

अनुमति दी जाती तो मैं सबसे पहले प्रहार पुलिस व्यवस्था के ऊपर करता यह एक अजीब विडम्बना है कि जिसके पास आम नागरिक के जानमाल की रक्षा का दायित्व है वह आज सबसे उपेक्षित हैं। मैं पुलिस के बड़े अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूं परन्तु सिपाही से लेकर हेड कांस्टेबिल तक, जिन्हें कोहरे और धूप में खड़ा होना पड़ता है और क्रिमिनल्स के पीछे भागना पड़ता है। उन्हें न तो चौथे वेतन आयोग के हिसाब से वेतन दिया गया और न ही पंचम वेतन आयोग के हिसाब से वेतन दिया गया। इस पर सरकार गम्भीरता से विचार करे। वक्फ बोर्ड के गठन का जिक्र नहीं किया गया है।

हमारे चकराता विधान सभा क्षेत्र में जहां पर्यटन की दृष्टि से सान्तुला देवी का मंदिर और एक मजार है आदि कई स्थानों को पर्यटन से जोड़ने का काम करें मेरे क्षेत्र में एक सहस्त्रपुर में खारा पेटी एक जगह है जब महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन किया था तो उस समय वहां के लोगों ने कहा था कि हम तो समुद्र तट पर नहीं जा सकते परन्तु हम लोग वहीं पर नमक सत्याग्रह के आन्दोलन को तोड़ेंगे उन्होंने पानी को उबालकर नमक बनाया और इस कानून को तोड़ा परन्तु आज यह स्थल उपेक्षित है। इसलिए इसे ऐसी ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित किया जाय।

मान्यवर, गन्ना और धान की जो मिलें हैं वह यहां से पलायन के कगार पर हैं और उत्तरांचल के लिए यह एक भारी उद्योग है यदि इससे उत्तरांचल वंचित हो गया तो इसकी भरपाई हम नहीं कर पायेंगे। अन्त में सरकार को मैं एक बात के लिए बधाई अवश्य देना चाहता हूं कि उत्तरांचल के जो सुदूर इलाके हैं जहां कठिन परिस्थितियों में जाकर अध्यापक नहीं रहते तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम वहीं के किसी पढ़े लिखे नवयुवक को अध्यापक नियुक्त कर दें। मेरे क्षेत्र चकराता जहां से मैं विधायक हूं वह जनजाति क्षेत्र है इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि शिक्षा मित्र की जो योजना उन्होंने चालू की है उसे वहीं से शुरू किया जाय। अन्त में मैं छटनी शुदा कर्मचारियों के बारे में कहूंगा कि उनको समायोजित करने के लिए सरकार ने क्या नीति बनाई है। सरकार यह तो कहे कि हम उन्हें इस कट ऑफ डेट तक समायोजित कर देंगे। शिक्षा विहार बनाने की बात कही गयी मेरा सुझाव है कि रुड़की विश्वविद्यालय को आई० आई० टी० का दर्जा दिया जाय यदि आप ऐसा करने में सफल हो पाये तो मैं समझूंगा कि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन के प्रस्तावों पर बल देते हुए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

* श्रीमती इंदिरा हृदयेश–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री भारत सिंह रावत जी द्वारा धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया और श्री रघुनाथ सिंह चौहान जी द्वारा उसका समर्थन किया गया। श्री मुन्ना सिंह चौहान जी ने व्यापक रूप से अपनी बात कहते हुए कहा कि उत्तरांचल का क्या स्वरूप होना चाहिये और उसकी कार्य योजना क्या होनी चाहिये और जो नीतिगत घोषणायें होनी चाहिये थी उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। कुछ मौलिक बिन्दुओं की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। अगर उत्तरांचल राज्य की नींव मजबूत होगी तो उस पर भवन भी मजबूत बनेगा। चाहे सम्पत्ति का समाधान हो, आय के बटवारे का हो, आर्थिक स्थिति का हो, बेरोजगारों को रोजगार देने की स्थिति का हो, पर्यटन नीति का मामला हो कृषि उद्योग नीति का मामला हो इनका स्पष्ट उल्लेख अभिभाषण में नहीं है राज्यपाल का अभिभाषण

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

सरकार की नीतियों का दस्तावेज होता है चूंकि यह विधान सभा अन्तरिम विधान सभा है और प्रथम राज्यपाल ने सरकार की नीतिगत दस्तावेज को यहां प्रस्तुत किया है जिस पर इस राज्य की जनता और बेरोजगार टकटकी लगा करके देख रहे थे और समाचार पत्रों के माध्यम से और राजनैतिक दलों से विचार विमर्श कर रहे थे, उनको बड़ी चिन्ता है पर्वतीय क्षेत्र में नवयुवक बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कोई नीतिगत योजना बनायी गयी है। उसका क्या कोई संकेत है और जो प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित लोग हैं महिलायें हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जायेगी। देहरादून राजधानी है सबके सामने कठिनाई आ रही है। बहुत सारे जनआंदोलन डिप्लोमा इंजिनियर्स का आंदोलन घरने पर बैठी अशासकीय शिक्षकों का आंदोलन और निगमों से जो छटनी शुदा हैं, उनको कैसे समायोजित किया जाय। जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनको नियमित कैसे किया जाय सभी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। परन्तु महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कोई ऐसी बात नहीं है। विद्युत की क्या व्यवस्था होगी जिससे उद्योग जुड़े रहेंगे। रुड़की विश्वविद्यालय को आई0आई0टी0 का दर्जा देकर इन्फोरमेशन एण्ड टेक्नॉलोजी का दर्जा सौंपा जाय और सूचना को रोजगार से जोड़ा जाय ताकि इसके माध्यम से हम क्षेत्रों का विकास भी कर सकें सूचना प्रोद्योगिकी के लिए उत्तरांचल का जो पर्यावरण है वह बिल्कुल उचित है। नया राज्य बना, वन निगम का पैसा कहां जायेगा, बिजली बोर्ड जो उत्तर प्रदेश के हाथ में है उसका क्या हो रहा है। परिवहन निगम भी आपके हाथ में नहीं है। किसानों के बारे में जो समृद्धि के प्रतीक है बड़ी कठिनाई हो रही है। जो बॉर्डर एरिया के हैं वह पलायन की ओर जा रहे हैं। खाली प्रसंशा करने से कोई फायदा नहीं होता जनता के सामने जो कठिनाई हैं उनको दूर करने के लिए व्यवहारिक कदम उठाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास दो तिहाई बहुमत भी प्राप्त है उसको एक अवसर प्राप्त है कि वह इसके आधार शिला को कैसे रखें, खाली प्रश्नों का तुष्टीकरण उत्तर देने से कोई फायदा नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि नीतिगत योजनाओं को बनाने के लिए विपक्ष को विश्वास में लिया जाना चाहिए था तो अच्छा रहता। मान्यवर, आज राईस मिलर्स पड़ोसी जिलों में जाना चाहते हैं इसलिए उनका पलायन रुक सके इसलिए हमें कार्य योजना बनानी होगी। मान्यवर, शिक्षानीति के बारे में कहना चाहती हूं, शिक्षा बन्धु और शिक्षा मित्र की बात कही जाती है तो जिसे आप इतना कम पैसा दे रहे हैं वह कौन सी शिक्षा दे पायेगा और कौन से स्तर की शिक्षा दे पायेगा। आपके मन में नहीं आया तो आप 10 महीने में उसे निकाल देंगे 9 महीने में उसे निकाल देंगे। आपने तो एक तरह से श्रम को शोषण किया शिक्षा की नीति के बारे में आपका कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि शिक्षा की क्या व्यवस्था हो और किस प्रकार की शिक्षा आप देना चाहते हैं क्या उधार के पाठ्यक्रम को ही चलाना चाहते हैं या फिर कोई नया चिन्तन करके शिक्षा के लिए कोई नया आयाम खोलेंगे। अब आपने एक एकल सदस्यी आयोग बना दिया 6 महीने में उसने अपनी रिपोर्ट देनी है। यदि उसने राजधानी बनाने के लिए अपनी कोई रिपोर्ट दे दी और किसी स्थान को इंगित कर दिया तो उसे प्रकाशित करने के लिए भी कहा जायेगा। तब फिर आप संकट में पड़ेंगे। 6 महीने में डिलिमिटेशन भी होना है समय सीमा निर्धारित है नहीं कि कब तक विधान सभा के चुनाव होने चाहिए। कुछ राजनैतिक बिन्दु होते हैं जिनसे भावनाएं उत्पन्न होती हैं।

श्री रघुनाथ सिंह चौहान जी ने कहा केन्द्र बिन्दु होना चाहिए परन्तु वह हृदय बिन्दु कहीं मिला नहीं किसी को एक जगह मिला तो किसी को दूसरी जगह मिला जो केन्द्र बिन्दु होगा वह जनसुविधा के आधार पर होगा या राजनीतिक सुविधा के आधार पर होगा। इसलिए इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। यह भी कहा गया कि हमारा साक्षरता का प्रतिशत 65 प्रतिशत है। हमारे यहां के लोग काफी संवेदनशील हैं। उनकी अपेक्षायें हो सकती हैं और कुछ चीजें राजनैतिक स्वरूप भी ले लेती हैं इसलिए जो नीति बने उसका स्वरूप क्या हो वह स्पष्ट होना चाहिए। पर्यावरण और पर्यटन और मिनरल्स यहां की सम्पदा हैं। मेरी राय में हिन्दुस्तान में सम्पदाओं के सम्बन्ध में जितना हमारे पास है किसी दूसरे के पास नहीं है चाहे वह जल हो, चाहे वह वन हो, चाहे वह खनिज हो परन्तु उसका उपयोग कैसा करना चाहिए। कैसे हम जल विद्युत परियोजनाओं को बनाकर हम अपनी आय को बढ़ायें।

पर्यटन के क्षेत्र में हमारे यहां सुदूर क्षेत्रों में भी बड़े आकर्षित करने वाले स्थान हैं। स्विटजरलैण्ड में तो मैन मैड आकर्षण हैं परन्तु यहां पर तो प्राकृतिक सौन्दर्य अपने आप में है। शुद्ध हवा है इसलिए इसके बारे में भी एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए और पर्यटकों के प्रति हमें एक चरित्र का निर्माण भी करना होगा जैसे कश्मीर में है कि हम उन्हें कैसे सम्मान दें ताकि उनको यह पता न लग सके कि वह अपने परिवार से बाहर हैं इसमें अभी समय लग सकता है परन्तु हम एक माहौल बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। जहां तक जंगलों की बात है पेड़ काटे जाते हैं परन्तु नये पेड़ भी लगें और जंगलों से चोरी भी लोग करते हैं जिससे आमदनी भी कम होती है इसकी प्रतिपूर्ति हम कैसे करें इसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए।

मान्यवर, हिन्दुस्तान की संस्कृति इमोशनल है यदि ईमानदारी से हमने कार्यक्रम बनाया तो हम अपने लक्ष्य में सफल हो सकते हैं। वैसे तो यह आने वाला समय ही बतायेगा हम तो यह भी चाहते हैं कि जो भी काम हो उत्तरांचल के हित में हो। अब यह कह देना कि हम हर गांव में 6 महीने में पानी पहुंचा देंगे और जब किसी को लगे कि मेरे गांव में तो पानी ही नही हैं वह चिढ़ जाता है ऐसी घोषणाओं से जहां तक विद्युत कटौती की बात है कुछ लोकल फाल्ट की वहज से हो सकता है परन्तु आज तक हम एकाउन्टिबिलीटी निर्धारित नहीं कर पाये। यदि हम एकाउन्टिबिलीटी निर्धारित कर दें तो पूरा तो नहीं आंशिक सुधार तो हो जायेगा। माडल सर्व भी होते हैं अगर विपक्ष स्वस्थ नहीं होगा तो सरकार भी स्वस्थ नहीं होगी क्योंकि सरकार को कहीं से मार्ग दर्शन नहीं मिल पायेगा। जिसको सरकार ग्राह्य समझे, उसे स्वीकार करे और जिसे अग्राह्य समझे उसे स्वीकार न करे। कल हम सबको जनता के सामने जाना है।

एक महत्वपूर्ण बिन्दु है श्रम का और यहां की सारी शक्ति महिलाओं पर आधारित है उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को उठाने के लिए क्यां कदम उठाये गये हैं। अभी भी वह सिर में बोझा ढोकर लकड़ी ले जाती हैं और बाल्टी लेकर दूर मीलों से पानी लाती हैं इसलिए इस ओर विशेष प्रयास किया जाना चाहिए। एक प्रशंसा मैं और करूंगी हमारे सचिव टोलिया जी यहां बैठे हैं टी बार्ड के माध्यम से गढ़वाल और कुमायूं मण्डल ने जो चाय की खेती करने का काम किया है उसका ऐरोमा अन्य प्रदेशों की चाय से बहुत अच्छा है। इस दिशा में और प्रयास किए जाने चाहिए। वर्ल्ड बैंक की परियोजनाओं से हमें काफी पैसा मिल रहा है इसका सही उपयोग हो और इसकी कितनी मोनीटिरिंग हम कर सकते हैं। ....

श्री अध्यक्ष–

आपका भाषण जारी रहेगा।

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें

श्री अध्यक्ष–

अब मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं। कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी 16–1–2001 की बैठक में सिफारिश की है कि दिनांक 17–1–2001 को प्रश्नकाल के पश्चात् तथा श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के पूर्व विधायी कार्य के लिये जांय तद्नुसार सदन का दिनांक 17 जनवरी, 2001 से 18 जनवरी, 2001 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखा जाना प्रस्तावित है :–

जनवरी, 2001	विधायी कार्य
17, बुधवार	(क) उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार एवं उसका पारण। (ख) उत्तरांचल आकस्मिकता निधि विधेयक, 2001 पर विचार एवं उसका पारण। (ग) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्प–कालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार एवं उसका पारण।
18, गुरुवार	~~श्री राज्यपाल के चर्चा (दूसरा दिन)~~ श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (अन्तिम दिन)

ऊर्जा, सिंचाई, संसदीय कार्य मंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत 2 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना इन्दिरा हृदयेश जी की है जिसे वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं, और दूसरी मुन्ना सिंह चौहान

जी की है इसे मैं शासन के पास आवश्यक कार्यवाही करने हेतु शासन के पास भेज रहा हूं।

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे पूर्वाह्न में बैठेंगे।

(तत्पश्चात् सदन की बैठक की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 17-1-2001 को 11.00 बजे पूर्वान्ह तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून
16 जनवरी, 2001

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

नत्थी "क"

(महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में संशोधन पीछे पृष्ठ 50 पर देखिए)

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
श्री राम सिंह सैनी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का समावेश नहीं किया है" :—

1—जनपद हरिद्वार को उस जनपद की जनता की भावनाओं के अनुरूप उत्तरांचल राज्य से निकालने का उल्लेख नहीं किया है।

2—प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को सुधारने हेतु किसी योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।

3—प्रदेश के किसानों की जर्जर आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें बिजली और पानी की आपूर्ति निःशुल्क देने की घोषणा नहीं की गयी है।

4—जनपद हरिद्वार में टिहरी बांध विस्थापितों के लिए छोटे किसानों की भूमि अधिग्रहण करने का जो निर्णय है उसको निरस्त करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

5—रुड़की विश्वविद्यालय रुड़की को आई0आई0टी0 का दर्जा देने का उल्लेख नहीं किया गया है।

6—उत्तरांचल के हर गांव में पानी, शिक्षा, चिकित्सा की समुचित व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है।

7—प्रदेश में शराब—बन्दी प्रभावी रूप से लागू हो इसकी किसी कार्य योजना की चर्चा नहीं की गयी है।

8—प्रदेश में जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए परिवार नियोजन की किसी कार्य योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।

9—प्रदेश में किसानों की गन्ने के मूल्य के भुगतान तथा जितने समय बाद मूल्य का भुगतान मिल मालिकों के द्वारा किया जाता है उस पर कम से कम बैंक ब्याज दर से उन्हें भुगतान करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

10—प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले इसकी कोई कार्य योजना तथा इस वर्ष धान की खरीद में किसानों को हुई क्षति की कोई चर्चा नहीं की गई है।

11—जनपद हरिद्वार में विद्युत आपूर्ति की दयनीय स्थिति को सुधारने तथा किसानों को अनेक नलकूपों के लिये आपूर्ति

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
श्री राम सिंह सैनी	की कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 12–रुड़की विधान सभा क्षेत्र में नदियों के कटाव से गांव की आबादी तथा कृषि योग्य उपजाऊ भूमि की जो भारी क्षति हो रही है, उसे बचाने हेतु किसी कार्य योजना का उल्लेख नहीं किया गया है। 13–प्रदेश में जिन तहसील मुख्यालयों पर कोई भी डिग्री कालेज नहीं है वहां पर राजकीय डिग्री कालेज खोलने का उल्लेख नहीं किया गया है। 14–जनपद हरिद्वार में नगरपालिका रुड़की से मिले हुए राजेन्द्रनगर, सुभाषनगर, सुनैहरा, मतलबपुर, रामपुर, खंजरपुर आदि बस्तियों को नगरपालिका में सम्मिलित करने का उल्लेख नहीं किया गया है। 15–जनपद हरिद्वार में रुड़की नगरपालिका में, सीवरेज, पानी निकास, सड़कों की जर्जर स्थिति एवं राजकीय अस्पतालों को उपकरणों से सुसज्जित करने व आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं किया गया है। 16–प्रदेश में शिक्षा के गिरते हुए स्तर को ऊपर उठाने तथा प्रदेश के हर बच्चे को समान शिक्षा देने की योजना का उल्लेख नहीं किया गया है। 17–प्रदेश में पर्यटकों को प्रोत्साहन देने हेतु किसी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं किया गया है। 18–विधायक अपने क्षेत्र में विकास कार्य समुचित रूप से करा सकें इसके लिए उत्तर प्रदेश की भांति प्रति विधायक प्रति वर्ष 75 लाख रु0 विधायक निधि की व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है। 19–जनपद हरिद्वार में जनहित को दृष्टिगत रखते हुए थानों व तहसीलों का पुनः परिसीमन की व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है। 20–प्रदेश में किसानों को बीज–खाद कीटनाशक दवाईयों व कृषि उपकरणों पर अनुदान की कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं किया गया है। 21–प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हों तथा उद्यमियों का रुझान आकर्षित हो ऐसी किसी कार्य योजना का उल्लेख नहीं किया गया है। 22–उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश की परिसम्पत्तियों के बंटवारे की किसी कार्य योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
श्री राम सिंह सैनी	23—स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन वृद्धि, विधवा पेंशन में वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
	24—प्रदेश में नौजवान बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं किया गया है।
	25—उत्तरांचल प्रदेश में अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल/हाई स्कूलों को अनुरक्षण अनुदान देने की किसी कार्य योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।
	26—रुड़की विधान सभा क्षेत्र के कुछ ग्रामों में विद्युत विभाग रुड़की अधिशासी अभियन्ता द्वारा निजी नलकूपों का विद्युत भुगतान व्यावसायिक दरों का लगाकर आर०सी० काटी जा रही है जिसका उल्लेख नहीं किया गया है।
	27—प्रदेश में आयोजनेत्तर के पक्ष में राजस्व घाटे की पूर्ति की कार्य योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।
	28—प्रदेश में आई०एस०आई० की बढ़ती हुई गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु उल्लेख नहीं किया गया है।
	29—सिंचाई विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को विगत 3 माह से वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है इस बावत कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है।
	30—राजकीय इण्टर कालेज, रुड़की का समस्त स्टॉफ उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरित हो चुका है केवल तीन अध्यापकों के सहारे पूरे कालेज का कार्य कराया जा रहा है इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है।
	31—प्रदेश में व्यापारियों के लिये शून्य कर प्रणाली का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
	32—प्रदेश में वक्फ बोर्ड का गठन की घोषणा एवं पिरान कलियर दरगाह शरीफ की सुधार योजना की कार्य योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।
	33—प्रदेश में अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगमों की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
श्री अम्बरीष कुमार (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—
	"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं किया है" :—
	1—जनपद हरिद्वार को जनपदवासियों की इच्छा के विपरीत उत्तरांचल में शामिल करने से उत्पन्न रोष को देखते हुए हरिद्वार जनपद को उत्तरांचल से बाहर कर पुनः उत्तर प्रदेश में

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
श्री अम्बरीष कुमार (उपस्थित किया जा चुका है)	सम्मिलित कराने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किये जाने के सम्बन्ध में। 2—प्रदेश में छात्रों की बढ़ी हुई फीस न लेकर पूर्व की भांति ही शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में। 3—प्रदेश में मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग, प्रबन्ध शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा संस्थान खोले जाने के सम्बन्ध में। 4—बेरोजगार युवाओं को कितने वर्ष में रोजगार देकर प्रदेश को बेरोजगार मुक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में। 5—गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किये जाने तथा गन्ना मिलों का कमांड एरिया उत्तर प्रदेश में रह जाने से उत्पन्न स्थिति का सामना किये जाने के उपाय के सम्बन्ध में। 6—गन्ना मिलों को घाटे से बचाने के लिए उन्हें विद्युत उत्पादन एवं वितरण की छूट दिये जाने के सम्बन्ध में। 7—उत्तरांचल में व्यापारियों को सुविधा देने हेतु शून्य कर प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में। 8—प्रदेश में उद्योगों की स्थापना तथा उद्योगों को आकर्षित करने हेतु कोई योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में। 9—प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक बच्चे को प्रदान करने का लक्ष्य पूर्ण करने हेतु समय निर्धारित करने के सम्बन्ध में। 10—प्रदेश के धान कृषकों को भारी घाटे से बचाने के लिए सब्सिडी दी जायेगी अथवा उत्तर प्रदेश/पंजाब की भांति केन्द्र सरकार से दिलाये जाने के सम्बन्ध में। 11—प्रदेश में लम्बित जल विद्युत परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु समय निर्धारित करने के सम्बन्ध में। 12—प्रदेश में सहकारी गन्ना समितियों का चुनाव शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में। 13—जनपद हरिद्वार की नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, का निर्वाचन विधि अनुसार 6 माह में कराये जाने के सम्बन्ध में। 14—हरिद्वार में लगने वाले मेले को अधिसूचित कर यात्रियों की सुविधा के लिये अतिरिक्त धन की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में। 15—हरिद्वार में संस्कृत एवं आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में। 16—हरिद्वार में अन्तर्राज्यीय बस स्टेशन की स्थापना का हविप्रा का प्रस्ताव पर अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
श्री अम्बरीष कुमार (उपस्थित किया जा चुका है)	17—हरिद्वार में गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण के कार्यों को पूरा कराकर, गंगा को पूर्णतः प्रदूषण मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।
	18—प्रदेश में महिलाओं को स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा निःशुल्क दी जायेगी तथा न्याय पंचायत स्तर पर कम से कम एक कन्या इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
	19—तहसील स्तर पर एक स्नातक महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
	20—प्रशासन को जनोन्मुखी, पारदर्शी, विकास परक बनाने हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना जो छः माह में अपनी संस्तुति दें।
	21—जनपद हरिद्वार में टिहरी बांध विस्थापितों ,को बसाने हेतु कृषकों की भूमि न लिए जाने के सम्बन्ध में।
	22—किसानों को पानी, बिजली, खाद, बीज समय से और अनुदान सहित उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
	23—उत्तरांचल राज्य, विशेषकर हरिद्वार में चौबीस घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।
	24—विधायकों को उत्तर प्रदेश के समान 75 लाख रुपये की विकास निधि दिये जाने के सम्बन्ध में।
	25—अनु0 जाति/अनु0 जनजाति को इक्कीस प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्गों को उत्तर प्रदेश की भांति 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।
	26—नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु उत्तर प्रदेश की भांति आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में।
	27—वक्फ बोर्ड का गठन कर पिरान कलियर की स्थिति में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में।
	28—उत्तरांचल अल्प संख्यक वित्त विकास निगम एवं अनुसूचित जाति/जन जाति तथा पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगमों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
	29—हेमकुण्ड साहिब तीर्थ पर यात्रियों/श्रद्धालुओं की सुविधाओं में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।
	30—उत्तरांचल के शिक्षकों, राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षक संस्थाओं के कर्मचारियों तथा स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश के समान सभी सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
श्री अम्बरीष कुमार (उपस्थित किया जा चुका है)	31—हरिद्वार में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में। 32—हरिद्वार में श्रमायुक्त कार्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में। 33—हरिद्वार में हवाई पट्टी का विस्तार कर, विमान सेवा प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।
डा0 इन्दिरा हृदयेश	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है" :— 1—दोहरे व्यापार कर की समस्या के समाधान हेतु कोई कार्य योजना। 2—राइस मिलों का पलायन रोकने का कोई समाधान। 3—विद्युत परियोजनाओं की आय के स्वामित्व के किये गये करारों को समाप्त करने की भी किसी योजना। 4—कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में किसी कार्य योजना का उल्लेख। 5—दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को क्रमशः नियमित किये जाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख। 6—उत्तरांचल की आर्थिक स्थिति के अनुरूप प्रदेश के माध्यमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों में वित्त विहीन मान्यताएं समाप्त करने के सम्बन्ध में कोई घोषणा। 7—अशासकीय माध्यमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में लिये जाने का उल्लेख। 8—बेरोजगार डिप्लोमा इंजीनियर्स को उत्तरांचल में रिक्त स्थानों पर समायोजित करने का उल्लेख। 9—उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के समायोजन की व्यवस्था तत्काल समाप्त करने का भी उल्लेख। 10—उत्तरांचल में नियुक्तियों हेतु आयोग गठन करने की व्यवस्था की भी स्पष्ट रूप रेखा का उल्लेख। 11—उत्तर प्रदेश में गठित विभिन्न निगमों की आय एवं स्वामित्व का रेखांकन। 12—उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश के मध्य परिसम्पत्तियों के बंटवारे की स्थिति एवं स्वामित्व।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
डा0 इन्दिरा हृदयेश	13—उत्तरांचल के निगमों, विद्युत परियोजनाओं आदि की आय के बंटवारे एवं स्वामित्व की स्थिति। 14—उत्तरांचल की शिक्षा तथा शिक्षा व्यवस्था की भी स्पष्ट घोषणा। 15—विद्यालयों में बढ़ी हुई फीस की व्यवस्था को समाप्त करने का उल्लेख। 16—महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सुदृढ़ करने का भी किसी कार्य योजना का उल्लेख। 17—किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने की कोई कार्य योजना तथा इस वर्ष धान का समर्थन मूल्य काश्तकारों को न मिल पाने से किसानों को हुई क्षति की पूर्ति का उल्लेख। 18—देश के अन्य राज्यों की भांति शून्य—कर प्रणाली को लागू करने की किसी योजना। 19—अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला वर्ग के विकास हेतु निगमों की स्थापना। 20—जल विद्युत परियोजनाओं को पूर्ण करने, उत्तरांचल में बन्द पड़ी इकाईयों को चालू करने, क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलिया के निर्माण की किसी कार्य योजना का उल्लेख। 21—उत्तरांचल के शिक्षकों, राज्य कर्मचारियों स्थानीय निकाय, निगम कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पांचवे वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख।
श्री ईसम सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है" :— 1—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग सरकारी व गैर सरकारी पदों में नियुक्ति के सम्बन्ध में। 2—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के हित में प्रमोशन पालिसी में रोस्टर प्रणाली व कैरीफार्वर्ड प्रणाली को लागू करना। 3—अल्पसंख्यक वर्ग, सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध अधिकारी का संरक्षण के सम्बन्ध में। 4—उत्तरांचल राज्य में शिक्षा नीति का स्वरूप।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
श्री ईसम सिंह	5–पश्चिम बंगाल से विस्थापित (नमः शूद्रो) जो अनुसूचित जाति में माना गया है उन्हें अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।
	6–उत्तरांचल में बेरोजगारी दूर करने हेतु सरकार की प्राथमिकता तथा संशोधन के सम्बन्ध में।
	7–उत्तरांचल राज्य की वन सम्पदा केन्द्र के व्यवस्था परिवर्तन के सम्बन्ध में।
	8–उत्तरांचल राज्य में विद्युत परियोजना निर्माण की रूप रेखा के सम्बन्ध में।
	9–उत्तरांचल राज्य में आर्थिक सुधार हेतु आयोग का गठन के सम्बन्ध में।
	10–वन सम्पदा का दोहन को रोकने हेतु, वन माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।
	11–किसानों को जो भूमि अधिग्रहण करने से, परेशान हैं को राहत देने के सम्बन्ध में।
	12–औद्योगिक व्यवस्था, उसके निर्माण तथा परियोजना का प्रारूप के सम्बन्ध में।
	13–हरिद्वार अथवा ऊधमसिंह नगर में हाई कोर्ट की सीट की स्थापना।
	14–थारू व बुकसा समाज की भूमि पर अवैध कब्जों का समाधान।
	15–राज्य के आर्थिक संसाधन।
	16–उत्तरांचल राज्य में प्रशासनिक व निर्माण कार्य की इकाई का स्वरूप।
	17–विधायक निधि 75 लाख की व्यवस्था के सम्बन्ध में।
	18–राज्य में सीमावर्ती जिलों में कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु व्यवस्था।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 2 विधान सभा/198–5–6–2002–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।